खण्ड-234, अंक-8
गुरूवार, 29 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(20 सितम्बर, 1962 ई0)

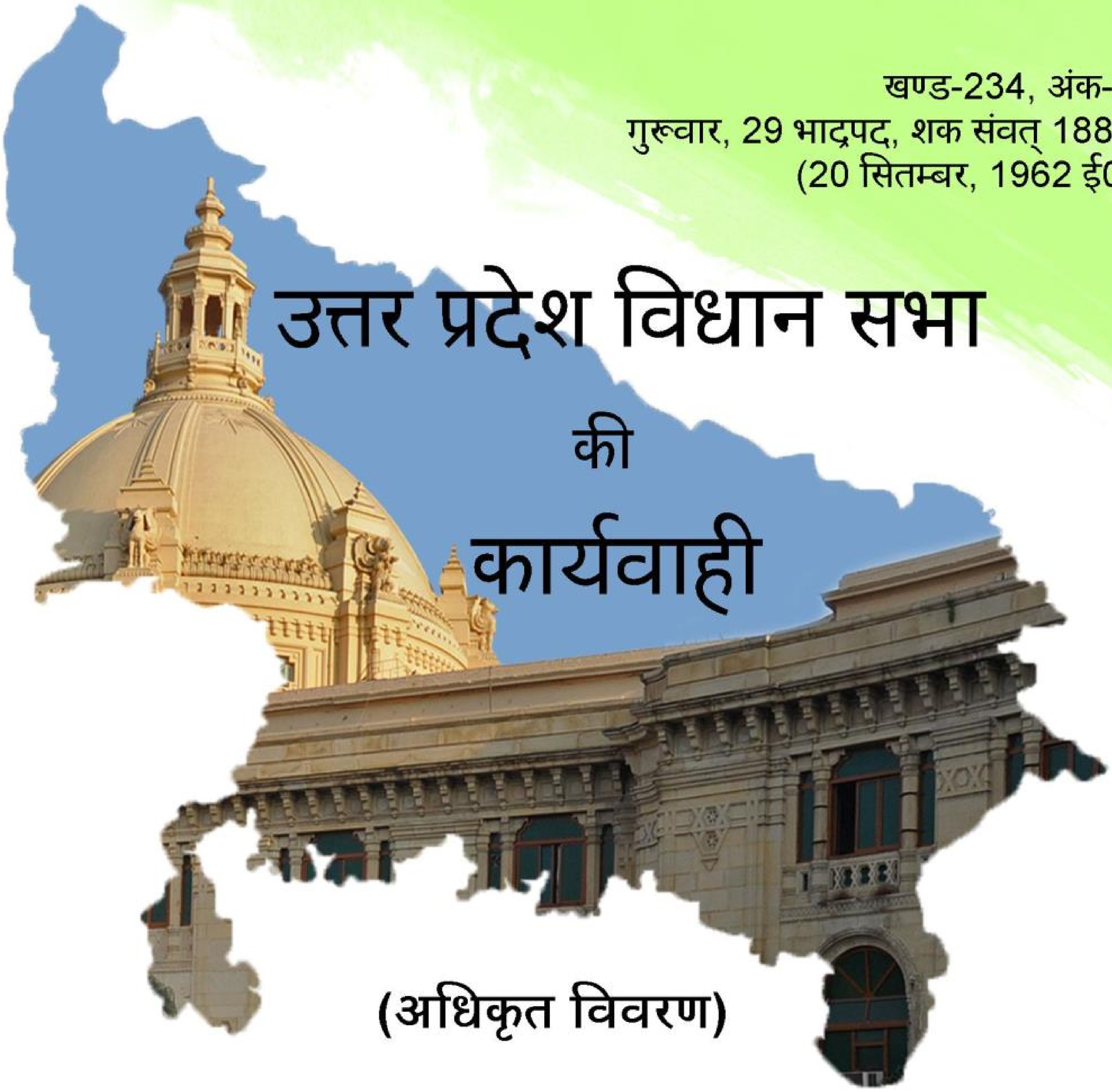

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 234 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	८९९–९०२
प्रश्नोत्तर	९०३–९६५
श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना ..	९६५
१० सितम्बर, १९६२ को विधान भवन के फाटक बंद होने के कारण सदस्यों को अन्दर आने में रुकावट पड़ने तथा पुलिस द्वारा रोके जाने के संबंध में अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	९६५–९६७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..	९६७–९७०
कक्षा ६, ७, ८ की पाठ्य पुस्तकों के अभाव के संबंध में दी गई नियम ५२ की सूचना पर वक्तव्य	९७०–९७१
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (पारित) ..	९७१–९८१
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन–स्वीकृत) ..	९८१–९८४
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२ विचारोपरान्त पारित ..	९८४–९८६
प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित) ..	९८६–९८७
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित)	९८७–९८९
हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित)	९८९–९९०
नत्थियां	९९१–१०२४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २० सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५९

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप , राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैत-यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी ,श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज सिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान ,श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुयोत्तमलाल बधवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेम सुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल ,श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री

बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ ,श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण , श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूप सिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह कुंवर, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणय', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतमिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम, गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलालयादव, श्री

नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, २० सितम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लखनऊ-कानपुर सड़क पर दारोगा और बस ड्राइवर में मारपीट

*१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १८ जुलाई, १९६२ को आलमबाग लखनऊ थाने के एक दारोगा ने रोडवेज के एक ड्राइवर को बुरी तरह पीटा जिससे लखनऊ-कानपुर रोडवेज के पूरे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और उस दारोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—१८-७-१९६२ को लगभग १ बजे दिन में तिराहा चारबाग, लखनऊ के पास रोडवेज बस और एक रिक्शा में दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के पश्चात् वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और यह आवश्यक समझा गया कि बस को सड़क पर से हटा दिया जाय। पुलिस के कर्मचारियों ने जो घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने बस को सड़क पर से हटाने का प्रयत्न किया। कहा जाता है कि इस संबंध में दारोगा और रोडवेज ड्राइवरों के बीच कुछ हाथापाई हुई। पुलिस ने ड्राइवरों और मिकेनिक, जो दुर्घटना के समय बस चला रहे थे, के विरुद्ध मुकदमा कायम किया। इस मुकदमे में चार्ज शीट दे दी गई है; ड्राइवर को पीटा गया या नहीं, मुकदमे में ही निर्णय हो सकता है।

कोई हड़ताल लखनऊ-कानपुर रोडवेज के कर्मचारियों ने नहीं की।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोसी के जीप ड्राइवर का वेतन

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोसी तथा मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के पास सरकारी जीपें हैं तथा उनके चालक भी नियुक्त हैं ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—केवल प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र घोसी के पास एक यूनीसिफ सहायता प्राप्त जीप है और उस पर चालक भी नियुक्त है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालकों की नियुक्ति कब तथा कितने रुपये मासिक वेतन पर की गई है और उनका वेतन प्रति मास देने की व्यवस्था क्या है ?

श्री धर्मसिंह—उक्त जीप के चालक की नियुक्ति ११-९-६० को वेतन-क्रम ४५-२-६५ रुपये तथा सरकार द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ते पर की गई है। उक्त चालक को वेतन देने हेतु बजट में प्राविधान है।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जीपों पर वार्षिक मरम्मत के लिये कितना रुपया किस अधिकारी को दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—जीप की वार्षिक मरम्मत के लिये ५०० रुपया जिला स्वास्थ्य अधिकारी आजमगढ़ को दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ११-९-६० को चालक की नियुक्ति हुई और आज २०-९-६२ तक करीब २ साल ९ दिन हुए, तो अब तक उसको तनख्वाह न देने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—सरकार को खेद है कि इस व्यक्ति को दो साल ९ दिन की तनख्वाह नहीं मिली । कारण उसका यह है कि वह आदमी मिलिटरी से रिटायर्ड और पेंशनयाफ्ता है । उसकी नियुक्ति के एप्रूवल में इसलिये देर हुई है कि डाइरेक्टर ने कुछ क्वेरीज की हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डाइरेक्टरा के पास ऐप्रूवल के लिये कागज कब आया और अब तक उस आदमी की नियुक्ति का ऐप्रूवल हुआ है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—नियुक्ति के बाद ही आया होगा, कब आया उसकी डेट का तो मुझे पता नहीं है लेकिन अभी तक उस का ऐप्रूवल हो नहीं पाया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है कि दो साल तक उसकी नियुक्ति की स्वीकृति नहीं हुई ?

श्री धर्मसिंह—यह जांच की जा रही है कि किन कारणों से कब कहां लापरवाही हुई और जैसा मैंने कहा—डाइरेक्टर के यहां से कुछ क्वेरीज वगैरह की गयी हैं, उसमें कुछ थोड़ी दिक्कतें हैं, जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पूरे तरीके से पहुंचा जा सकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि अब उस चालक को वेतन दिया जा सके जिससे उसकी गुजर हो सके ?

श्री धर्मसिंह—वेतन तो बाद में दिया ही जायगा । जैसा कि मैंने बतलाया—एक दो क्वेरीज की गयी हैं डाइरेक्टर महोदय से, उनका जवाब आने के बाद ही उस पर पूरे तरीके से कार्यवाही होगी ।

देवरिया जिले में बिजली की अव्यवस्था

*४—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर, बरहज, हाटा, सलेमपुर आदि नगरों तथा पूर्वी जिलों में प्रायः हर नगरों की बिजली बन्द होती रहती है ? यदि हां, तो १३ मई, सन् १९६१ से १५ मई, सन् १९६२ तक कितनी बार कितने-कितने समय के लिये उन नगरों में बिजली गुल हुई और क्यों ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—१३ मई, १९६१ से १५ मई, १९६२ तक इन नगरों में बन्द हुई बिजली का विवरण नत्थी किये ब्योरे में दिया हुआ है । गोरखपुर स्टीम स्टेशन से आने वाली ट्रान्समिशन लाइनों पर गन्ने व अरहर के हरे पौधों इत्यादि के फेंके जाने तथा चिड़ियों के कारण बिजली बन्द होने की कुछ घटनायें हुईं जो नियन्त्रण के बाहर थीं । इसके अतिरिक्त नलकपों व उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन देने के लिये भी समय-समय पर बिजली बन्द करनी पड़ती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९९१ पर)

*५—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या मुख्य मंत्री उक्त अव्यवस्था को दूर करने के लिये कोई कदम उठा रहे हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोहरी ट्रान्समिशन लाइनों के लगाने का विचार है जिससे बिजली की व्यवस्था में सुधार हो जायगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बिजली के बन्द होने की वजह से जैसा कि विवरण नत्थी में है, सरकार को क्या घाटा लगा और दूसरे जो उपभोक्ता हैं, खासकर जो गृह उद्योग के लिये बिजली लेते हैं उन्हें क्या घाटा हुआ ?

श्री अध्यक्ष—जो उपभोक्ता को घाटा हुआ उसे सरकार कैसे बतला सकती है ? सरकार को घाटा हुआ हो तो उसे वह बतला सकती है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—घाटा बतलाना बड़ा मुश्किल है, इसका एस्टीमेट नहीं किया जा सकता है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जितने घंटे बिजली उन नगरों में और खासकर देवरिया के प्रायः सभी नगरों में, जैसा विवरण में है, जितने घंटे बिजली बन्द रही उतने समय का दाम जो बिजली का होता है नहीं लगेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—घंटों का दाम नहीं लिया जाता है, बल्कि जो बिजली कन-ज्यूम होती है उसका दाम लिया जाता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसी अव्यवस्था बिजली के उपभोक्ताओं को न हो, इसके लिये रिहन्द की बिजली कब तक उपलब्ध करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं उसकी व्यवस्था अलग से कर रहे हैं ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—१३ से १५ मई तक कितने घंटों बिजली बन्द रही ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने तो पूरा विवरण दिया है जितने रोज बन्द रही ।

हरद्वार के बिजली कारखाने में ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में किसानों की मांगें

*६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि हरद्वार में बनने वाले बिजली के कारखाने में ली जाने वाली भूमि के किसानों ने माह जुलाई के आरम्भ में कोई धरना दिया है ? यदि हाँ, तो किसानों की माँगें क्या-क्या हैं ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—उल्लिखित कारखानों के लिये ली गई भूमि के मालिक किसानों ने जुलाई में नहीं वरन् २८ जून, १९६२ को धरना दिया था ।

इनकी माँगें निम्नलिखित हैं :—

१—अर्जित भूमि के बदले में किसी अन्य स्थान पर उन्हें भूमि एलाट की जाय ।

२—एलाट की जाने वाली भूमि के तुड़वाने के लिए सहकारी समिति द्वारा आवश्यक कृषि-यंत्रों की व्यवस्था की जाय ।

३—उक्त भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय ।

४—यदि बदले में भूमि न दी जा सके तो उचित मुआवजा शीघ्र दिया जाय जिससे वह अन्य किसी स्थान पर भूमि क्रय कर के अपना कृषि-कार्य कर सकें ।

५—उल्लिखित कारखाने में नौकरी तथा अन्य व्यवसाय के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाय ।

६—जिन हिन्दुओं के मरघट एवं मुसलमानों के कब्रिस्तान उपरोक्त कारखाने की सीमा में आ गए हैं उन्हें उनके ग्राम के निकट की भूमि दी जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल—मंत्री जी बतायेंगे कि किसानों की जो ६ माँगें हैं इनमें से कौन सी ऐसी माँगें हैं जिनको सरकार को मानने में कठिनाई है, और क्या कठिनाई है ?

श्री बनारसीदास—उनका धरना तो वापस ले लिया गया है। जहाँ तक उनकी माँगों का सवाल है, जैसे ज्यादा से ज्यादा उनको काम मिले, इसके बारे में सरकार पूर्णतः प्रयत्न कर रही है। जहाँ तक मुआवजे का प्रश्न है, उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है। बोर्ड आफ रेवेन्यू को कम्पेनसेशन के रेट्स वगैरह के कागजात भेज दिये गये हैं। जहाँ तक यह माँग है कि बदले में जमीन दी जाय, उसके लिये सरकार के लिये बड़ी कठिनाई है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किस हिसाब से सरकार किसानों को मुआवजा दे रही है ?

श्री बनारसीदास—अभी इसके सम्बन्ध में कुछ कहना बड़ा कठिन है, चाहते हैं कि मार्केट रेट पर अवश्य दिया जाय। बोर्ड आफ़ रेवेन्यू की स्वीकृति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना मुश्किल है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो फ़ार्मिंग फ़ेमिलीज़ इससे हिट हुई हैं उनके पास कोई अन्य साधन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहाँ से उद्योग कार्यों के लिये जमीन ली जाती है उनमें से अधिकांशतः ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कोई अन्य साधन नहीं होते और उन्हें इसीलिये मुआवजा देने का प्रश्न उठता है और उन्हें ,जो फैक्ट्री या उद्योग-धंधा वहाँ लगे, उसमें खपाने का विषय उठता है। प्रदेश की सरकार ने इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस बात के प्रयास करने की चेष्टा की है कि अधिक से अधिक जो धनराशि उन्हें मुआवजे के रूप दे सकते हैं, वह दें और साथ ही में जो कारखाना वहाँ लगे या लगने वाला है उसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार में लगा सकें।

मैं यहाँ यह भी इस उत्तर में सदन को सूचना देना चाहता हूं कि यह हैवी इलेक्ट्रिकल्स का जो कारखाना ज्वालापुर और हरद्वार के नजदीक लग रहा है उसमें केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से जो कारखाना लग रहा है उनकी तरफ़ से यह माँग है कि प्रदेश की सरकार उन्हें जमीन मुफ्त दे। यही परिपाटी अन्य प्रदेशों में अपनायी गई है और इसी परिपाटी को अन्य प्रदेशों ने केन्द्रीय सरकार का जहाँ पब्लिक सेक्टर में कोई उद्योग-धंधा लगा है, उसे अपनाया है।

प्रदेश की सरकार को इस परिपाटी की जानकारी नहीं थी कि मुफ्त में इस कारखाने के लिये जमीन देनी है और वह जमीन देनी है जब कि प्लान में इस रुपये के लिये कोई प्रबन्ध है नहीं क्योंकि पहले इस बात की सूचना इस प्रदेश की सरकार को नहीं दी गई थी कि जितने उद्योग-धंधे पब्लिक सेक्टर में लगेंगे उनके लिये मुफ्त जमीन हमें देनी पड़ेगी। अब वह जमीन हमें देनी पड़ रही है और किसान से वह जमीन लेनी पड़ रही है। लिहाजा अधिक से अधिक सहायता जो हम कर सकते हैं उसे देने की हम चेष्टा कर रहे हैं।

श्री जगवीरसिंह—माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि अधिकांश ऐसे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है तो इसको देखते हुए क्या सरकार उन्हें मार्केट वेल्यू देने की कोशिश कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में कह दिया कि मार्केट वेल्यू के लिये बोर्ड आफ रेवेन्यू को रेफर कर दिया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—जिन लोगों की जमीन ली गयी है उनमें अधिकाँश ऐसे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, तो उस इंटेरिम पीरियड के लिये कोई साधन उन्हें उपलब्ध कराने की सरकार चेष्टा करेगी ताकि वे अपना जीवन व्यतीत कर सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—किसी के पास पूर्णतया साधन नहीं हैं आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ कह सकूं क्योंकि इस विषय के आँकड़े मेरे पास नहीं आये कि कितने आदमी, उनके घर वाले किस किस उद्योग धंधे में लगे हैं परन्तु जब उन्हें मुआविजा दिया जाता है और सरकार की तरफ से यह कोशिश की जाने वाली है कि उन्हें वहाँ सड़कें तथा इमारतें आदि जो बनती हैं उनमें जो कार्य होता है उनमें मजदूर के नाते कार्य करने के सिलसिले में एम्पलायमेंट के नये साधन उपलब्ध होने जा रहे हैं उनके द्वारा अवश्य वहाँ के रहने वालों को जीविकोपार्जन के लिये साधन मिलेंगे। जब इतने बड़े बड़े कारखाने लगते हैं तो वहाँ इमारतें और सड़कें बनती हैं, कुवें खुदते हैं, इन सब कार्यों के लिये ईंटें पाथी जाती हैं, तरह तरह के कार्य निर्माण के सम्बन्ध में होते हैं, वहाँ उन नये उद्योग-धंधों के लिये व्यवस्था स्वतः हो जाती है और उस व्यवस्था में यह लोग जो अपने खेतों से वंचित किये जायंगे उन्हें कार्य पाने में सुगमता होगी और उस कार्य में वह अपने को लगा सकेंगे।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—इस सदन में आये दिन यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किसानों से जो जमीनें ली जाती हैं उनके बदले में उनको दूसरा रोजगार दिलाया जाय तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए क्या सरकार अपनी ऐसी नीति बनायेगी कि पहले उनको दूसरा रोजगार दिला दे और उसके बाद उनकी जमीन ले ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह पहले से नीति निर्धारित करना जरा मुश्किल सा है और इस लिये मुश्किल है कि प्लान के अन्तर्गत अगर उद्योग-धंधों को समय के अन्दर लगाना है तो किसी न किसी सेक्टर में कुछ न कुछ बोझ तो लोगों को उठाना ही पड़ेगा। या तो उद्योग धंधों को लगा लें, उद्योग धंधों को विकसित कर लें या फिर लोगों को जिनकी जमीन है उन्हें उस जमीन पर रहने दें। अब औद्योगीकरण और खेत की जमीन किसानों से लेना यह एक ऐसा विषय है जिसमें थोड़ा कहीं न कहीं विरोध आ जाता है और उस विरोध का संतुलन करना ही हमारा कर्तव्य है। सरकार इस कर्तव्य का पालन करने में बराबर चेष्टा करती है और उत्तरोत्तर चेष्टा करती रहेगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मुआविजे के जो नियम और कानून हैं वह उस जमाने के बने हैं जब अंग्रेजों का राज्य था और जमीन कारखानों के लिये बहुत कम ली जाती थी। तो क्या मुख्य मन्त्री जी उदारतापूर्वक यह विचार करने की कृपा करेंगे कि इन नियमों में ऐसे परिवर्तन करें कि जिनकी जमीन ली जाय—जो अब काफी ली जा रही है—उनको बाजार रेट के हिसाब से मुआविजा दिया करे ?

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में तो मंत्री जी ने कहा है कि हमने बोर्ड आफ रेवेन्यू को रेफ़र किया है।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—जो पब्लिक सेक्टर में कारखाने बनते हैं वह जनता के हित में बनते हैं लेकिन शुरुआत में ही किसानों को खत्म कर देने से वह जनता का हित नहीं रहता। तो क्या सरकार इस नीति पर विचार करेगी कि शुरुआत में ही जनता का अहित जो उनकी जमीन लेने से होता है वह न हो ?

श्री अध्यक्ष—मुख्य मन्त्री जी का इस विषय में पूरा बयान हो चुका है, अब आवश्यकता नहीं है।

गाजीपुर जिले में सिंचाई कूपों के लिए तकावी

*७—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र १९६२ के चौथे गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगी कि किसानों को कुल कितने रुपये की छूट दी गई और उसका ब्योरेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)---अब तक कुल २,२५,३७५ रुपये की छूट दी गई है। इसका विवरण २४ पृष्ठों में दिया गया है अतः उस को माननीय सदस्य विकास मंत्री के कार्यालय में देख सकते हैं।

*८---श्री रघुवीर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में शेष कुओं को छूट क्यों नहीं दी गई तथा व्याज की दर इतनी ऊंची क्यों रखी गयी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---लेखा-परीक्षा (आडिट) की आपत्ति के फलस्वरूप शेष कुओं पर छूट का दिया जाना स्थगित किया गया क्योंकि इन कुओं के लिये छूट की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन शासन ने इस पर विचार किया और इन शेष कुओं पर भी छूट दिये जाने के आदेश जारी किये जा रहे हैं।

व्याज की दर वही रक्खी गई जो तकावी नियमों में अन्य ऋणों के लिए भी निर्धारित है।

श्री रघुवीर---आडिट के सामने वह कौन सा प्रश्न था जिसके ऊपर उन्होंने किसानों को छूट की रकम वापस देने पर विचार न कर के उसको स्थगित कर दिया ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत बने हुये कुओं पर सितम्बर, १९५५ के पहले तक किसी तरह की छूट देने की योजना नहीं थी। तो उसके पहले जब वह दी गयी तो छूट नहीं मिल सकती थी, यही आडिट आब्जेक्शन था।

श्री रघुवीर---१९५३ से लेकर १९६० तक जितने कुओं का निर्माण हुआ है उन कुओं पर नये आदेश के अनुसार क्या उन किसानों को छूट दी जायगी जिन्होंने तकावी द्वारा कुयें बनाये हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---कुल ७१२ कुओं पर छूट दी गयी थी। २४८ कुओं पर ३०० रुपये प्रति कुएं के हिसाब से छूट ग्रो मोर फूड के एकाउन्ट से दी गयी और ६३ कुएं आडिट एतराज होने की वजह से रोक दिये गये थे लेकिन अब स्वीकृति मिल चुकी है और वह दी जायगी।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---जैसा कि अभी जवाब दिया गया है कि वह स्कीम लागू कर दी गई है कि सब को छूट दी जायगी, तो क्या जिन लोगों से छूट की रकम वसूल कर ली गई है उन पर भी वह आदेश लागू होगा और उनको वह वापस कर दी जायगी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---अगर १९५५ के बाद का है तो उस पर विचार होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, यह प्रश्न सारे प्रदेश का है। सरकारी आदेश हुआ और किसानों ने कुयें बनवाये लेकिन उनको छूट दी गई और किसानों से सूद सहित रुपया वसूल किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह समस्या सारे प्रदेश की है इसको ध्यान में रखते हुये, मंत्री जी बतायें कि कितना रुपया किसानों से सूद सहित वसूल किया गया है और क्या उनको सूद सहित रुपया वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---यह सवाल सारे प्रदेश का नहीं है बल्कि जिले का खास सवाल है। कम्युनिटी डेवलपमेन्ट आफिसर की गलती की वजह से गलत सब्सीडी दी गई थी, उसको रेग्यूलराइज किया गया है।

लाला मथुराप्रसाद को लूटने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, बदायूं में रिपोर्ट

*९--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि २४ मार्च, १९६२ को लाला मथुरा प्रसाद, निवासी ग्राम मुढ़कावली, थाना जरीफनगर, जिला बदायूं को चन्द आदमियों ने लूटा था, जिसकी नामजद रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई? रिपोर्ट दफा ३९७, ३९८ आई० पी० सी० की थी लेकिन कोई जांच या कार्यवाही अमल में नहीं आई जब कि इस घटना की सूचना सम्बन्धित मंत्री को भी दी गई है?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)--वादी द्वारा इस सम्बन्ध में की गई रिपोर्ट थाना कोतवाली बदायूं में लिखी गई थी, जिसके आधार पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दण्ड विधान का मामला बनता था। तहकीकात करने पर मामला झूठा पाया गया इसलिये उसमें अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

श्री रियासत हुसैन--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कोतवाली में कौन सी तारीख को और किस वक्त रिपोर्ट हुई और जांच किस आफिसर ने की?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, इसकी रिपोर्ट २६ मार्च, १९६२ को हुई और समय नहीं दिया गया है और जांच के वास्ते इसको थाना गुन्नौर भेज दिया गया था। उसके इंचार्ज ने जांच की।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि थाना जरीफनगर में यह रिपोर्ट करने गये और वहां रिपोर्ट न लिखी जाने पर कोतवाली में लिखाई गई। इसलिये थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी चूंकि उसकी उसमें साजिश थी और बिला पूछताछ किये ही फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, जो शिकायत है कि उस की रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो यह बात नहीं है। वे वहां गये ही नहीं तो इसका सवाल ही नहीं उठता।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि लाला मथुरा प्रसाद, निवासी ग्राम गुढ़कावली, थाना जरीफनगर को पुलिस ने इसलिये लुटवाया कि कुछ दिन पहले उन्होंने थाने के सिपाहियों के खिलाफ एक केस में गवाही दी थी?

श्री नवलकिशोर--श्रीमन्, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

इटावा जिले में पुरहा नदी पर पुल निर्माणार्थ एकत्र धन की जांच

*१०--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में ग्राम कुदरकोट (तहसील बिधूना, इटावा) में पुरहा नदी पर कोई पुल बनाने की योजना स्थानीय सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और नियोजन विभाग के अधिकारियों ने मिल कर लगभग तीन-चार वर्ष पहले बनाई थी?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--जी हां, उक्त योजना का कुछ अंश तो कार्यान्वित भी हो चुकी है।

*११--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--यदि हां, तो क्या उसके लिये धन संग्रह भी हुआ था और वह धन बिधूना खजाने में जमा हुआ था? यदि हां, तो वह कितना था और वह कहां है और उसमें क्या हो रहा है?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--बिधूना खजाने में तो इस सम्बन्ध की कोई राशि जमा नहीं हुई। ६,३०१.५० रु० की जो राशि एकत्रित हुई थी उसका उपयोग हो सका है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---क्या मन्त्री जी मेरी बात को सूचना मानकर जांच करायगे कि विधूना तहसील में चन्दा इकट्ठा किया गया था और खजाने में जमा हुआ था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---आपका नोटिस मानकर हम जांच करायेंगे क्योंकि हमारे पास जो इन्फार्मेशन आई है उसमें हमें लगता है कि कुछ काम में गड़बड़ी है और हमने जांच के लिये आर्डर्स भेज दिये हैं और एस० डी० ओ० आलरेडी जांच कर रहे हैं ।

सफीपुर तहसील में कल्याणी नदी पर पुल न बन सकना

*१२---**श्री गोपीनाथ दीक्षित** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार को पता है कि उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील की कल्याणी नदी पर पुल बनाने हेतु सन् १९५६-५७ में नियोजन समिति द्वारा ९,३४४.५९ रु० का अनुदान पुल समिति को दिया गया था और आज तक कोई पुल नहीं बन सका ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---नियोजन समिति ने ४,८०० रु० का अनुदान संबंधित पुल निर्माण समिति को सन् १९५६-५७ और १९५७-५८ में दिया तथा ५,०५६ रु० १ आना, ९ पाई का भुगतान लकड़ी के ३९ लट्ठों के मूल्य के रूप में सन् १९५५-५६ में किया गया था। इस प्रकार कुल ९,८५६ ०, १ आना, ९ पाई का अनुदान सन् १९५५-५६ १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में दिया गया।

पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो सका; जिसका मुख्य कारण यह है कि पुल की कुल अनुमानित लागत ३०,००० रु० थी परन्तु पुल निर्माण समिति के पास इतना धन उपलब्ध नहीं था कि वह इस लागत का ५० प्रतिशत जनता के अनुदान के रूप में लगा सकती इसके अतिरिक्त नदी का बहाव, प्रस्तावित निर्माण के स्थान पर इतना वेगवान था कि वहां पर निर्माण कार्य संभव नहीं हो सका। इसी बीच, सन् १९५८ में नदी ने अपना रास्ता ही बदल दिया। फलस्वरूप, उक्त पुल के निर्माण की योजना का परित्याग कर देना पड़ा।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---क्या विकास मंत्री जी यह बतायेंगे कि पुल समिति को अनुदान देने से पूर्व इस बात की कोई शर्त समिति के साथ लगायी गयी थी कि ५० परसेंट जनता का अनुदान प्राप्त होगा ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---सबसे पहले एक कल्याणी पुल निर्माण समिति की स्थापना हुई थी। उसमें इस तरह का निर्णय लिया गया था। दूसरे नियोजन समिति की मीटिंग में इसकी स्वीकृत हुई थी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जो पुल समिति को अनुदान स्वीकृत हुआ, क्या अनुदान स्वीकृत करते समय या पैसा देते समय नियोजन समिति ने यह जांच कर ली थी कि शेष धन पुल समिति एकत्र करने वाली है या एकत्र कर लेगी और उसके टेक्निकल पहलू की भी छानबीन की गयी थी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---इस सम्बन्ध में कमेटी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम जो रुपया खर्च होगा, वह देंगे। ३० हजार रुपये का अनुमानित धन निर्धारित था उसमें १५ हजार रुपये का अनुदान इस योजना के लिए देने की स्वीकृति मिली थी।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---क्या विकास मंत्री जी बतायेंगे कि नदी का बहाव अनुदान देने से पूर्व बढ़ गया या अनुदान देने के बाद ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---श्रीमन्, यह स्कीम १९५६-५७ में बनी थी और नदी का बहाव जो हटा वह १९५८ में हटा था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी))—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अनुदान १९५६–५७, १९५७–५८ में दिया गया, जब समिति के पास १५ हजार रुपया नहीं इकट्ठा हुआ तो क्या समिति ने यह जरूरी नहीं समझा कि वह रुपया नियोजन विभाग को लौटा दे, और अगर नहीं लौटाया तो सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—चूंकि कुछ सामान खरीदा जा चुका था, और काफी रुपया खर्च हो चुका था। इसलिए लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

एटा जिले में बुढ़गंगा का पुल

*१३—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) अनुपस्थित—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला एटा में कस्बा गंजडुंडवारा से कादरगंज को जाने वाली कच्ची सड़क पर बुढ़गंगा पर जो पुल है वह नदी के पानी के आधिक्य एवं इसकी चौड़ाई कम होने के फलस्वरूप प्रति वर्ष वर्षाकाल में पानी में डूब जाता है और सड़क का उपयोग कठिन हो जाता है ? यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह पुल अन्तरिम जिला परिषद् एटा का है अतः इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी अन्तरिम जिला परिषद् एटा की ही है।

सहारनपुर जिले में विकास कार्यों पर व्यय

*१४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जुदा-जुदा जिला सहारनपुर की तहसीलों में कितना-कितना धन उन्नति (Development) के कार्य में लगाया गया और किस-किस मद (कार्य) में व्यय हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—प्रेथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जुदा-जुदा सहारनपुर की तहसीलों में कितना कितना धन विकास (Development) के कार्य में लगाया गया और किस-किस मद (कार्य) में व्यय हुआ, इसका विवरण संलग्न† तालिकाओं में दिया हुआ है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विवरण दिया गया है उसके आखिरी पेज पर पब्लिक हेल्थ के अंडर में २ लाख ८८ हजार ९८३ रुपया व्यय हुआ देवबन्द तहसील में। इसी प्रकार १ लाख ५१ हजार रुपया नकुर में। लेकिन जो २ लाख ८८ हजार इसमें व्यय हुआ और एजूकेशन में १ लाख ४७ हजार व्यय हुआ और कम्युनिकेशंस में २ लाख व्यय हुआ, इनका टोटल मिला कर इस प्रकार आता है ४ लाख ७५ हजार रुपया नकुर तहसील में कुल खर्च हुआ, रुड़की में ५ लाख ३३ हजार, सहारनपुर में ६ लाख १ हजार और देवबन्ब में ८४९८६९ रुपया हुआ, तो क्या सरकार यह बता सकती हैकि यह सब प्रिविलेज देवबन्द के लिए क्यों था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह तो जिले की आवश्यकताओं और जो धन उस वक्त में मौजूद था उसके अनुसार जिले के लोग तय करके इसका निश्चय करते हैं और माननीय सदस्य इसको मेरे से ज्यादा अपने आप जानते हैं।

श्री उग्रसेन—मेरा एतराज सबसे पहले तो इसकी भाषा पर है। इसमें प्रेथम और द्वितीय लिखा है। तो प्रेथम तो हिन्दी भाषा का कोई शब्द है नहीं ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो इतना धन प्रथम और द्वितीय योजनाओं में सहारनपुर को दिया गया उसमें प्रमुख कौन-कौन से कार्य पूरे हुए ?

---

† छापी नहीं गयी है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उसके तो बड़े भारी डिटेल्स हैं, वह सब दिये हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं पढ़ कर बता दूं।

श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तालिका में जो विवरण दिया हुआ है उससे यह जाहिर है कि तहसील नकुड़ के बनिस्बत तहसील देवबन्द में दो गुना, तहसील सहारनपुर में सवा गुना और रुड़की में डेढ़ गुना खर्च हुआ, और तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर की सबसे पिछड़ी हुई तहसील है, जैसा माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए यह खर्च इस प्रकार से किया गया, तो क्या कारण है कि तहसील नकुड़ में सबसे कम रुपया खर्च हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह तो उस समय जिले के जो लोग थे उन्होंने यह निश्चय किया कि किस जगह कितना काम हो। यह निश्चय जिले के लोग किया करते हैं, लेकिन कभी कभी यह भी हो जाया करता है कि जब बहुत सी जिलों की आवश्यकतायें हैं तो यह निश्चय दिया जाता है कि पहले किस जगह काम हो और किस जगह बाद में हो। बहरहाल काम तो तमाम जगह होना है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—अध्यक्ष महोदय, इस सूची के मुताबिक एजूकेशन पर देवबन्द तहसील में सबसे ज्यादा खर्च हुआ, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह रुपया खास किसी संस्था को एजूकेशन के लिए दिया गया या कैसे खर्च हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसके डिटेल्स तो नहीं हैं। अगर आप नोटिस दें तो मंगा लिया जायगा।

श्री यशपाल—क्या माननीय मंत्री जी आगे के पांच सालों के लिए यह थोड़ा सा सदन में आश्वासन देंगे कि तहसील नकुड़ में जो इस प्रकार से सबसे कम रुपया खर्च हुआ है, उसका खयाल रखा जायगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब तो जितनी योजनायें हैं वह तो जिले के प्रतिनिधियों और कार्यकर्त्ताओं और अधिकारियों ने स्वतः विचार-विनिमय करके बनायी हैं। यदि उसमें नकुड़ के सिलसिले में अधिक धन रखा गया होगा और यदि वहां के प्रतिनिधि, वहां के कार्यकर्त्तागण और वहां के अधिकारीगण ज्यादा जागरूक होंगे तो अवश्य ऐसा मैं समझता हूं कि जहां आज पिछड़ा इलाका है उस इलाके में ज्यादा खर्च करने की व्यवस्था के ऊपर अवश्य प्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने जो कि जिले के स्तर पर या ब्लाक के स्तर पर अपनी योजनायें बनाते हैं, विचार किया होगा।

श्री मैनेजरसिंह—जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि विकास कार्यकर्त्ता और अधिकारियों ने योजना बनायी और उनकी गलतियों, या असावधानियों की वजह से वह असन्तुलित कार्यक्रम बन गया, एक क्षेत्र में कम हुआ और एक में ज्यादा हो गया, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ व्यक्ति विशेष की लापरवाही की वजह से या असावधानी की वजह से इस प्रकार का जो असन्तुलित विकास का कार्यक्रम इस प्रदेश में चल रहा है उसे ठीक करने के लिए वह कौन से उपाय कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह मुख्य मंत्री ने नहीं कहा।

हमीरपुर में डकैती तथा चोरियां

*१५—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार मेरे प्रश्न संख्या १६७, दिनांक २४ मई, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर की डकैती कब हुई और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नवलकिशोर—हमीरपुर की डकैती दिनांक १७ मार्च, १९६२ को हुई। इस संबंध में जांच की गई और अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है।

*१६—श्री होरीलाल यादव—कितनी चोरियों की तफतीश की गई, किन किन चोरियों के सम्बन्ध में मुकदमा चलाया गया और कितने मुकदमों में कामयाबी मिली ?

श्री नवलकिशोर—४५ चोरियों की तफतीश की गई, इनमें ५ में मुकदमा चलाया गया और २ मुकदमों में कामयाबी हुई।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी १७ मार्च को जो डकैती हमीरपुर में पड़ी वह किन साहब के घर पड़ी और उसमें कितने धन की हानि हुई ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, यह डकैती १७ मार्च को पड़ी और इस डकैती में २०९ रुपये का नुकसान हुआ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ४५ जो चोरियां हुई उनमें केवल ५ मुकदमे चलाये गये और २ सफल हुये। वे कौन कौन से थाने हैं जिनमें चोरियां तो हुईं पर एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, कुल ५३ चोरियां हुई थीं जिसमें जांच पड़ताल ४५ में की गई। ५ का चालान किया गया। उनमें ४० अनट्रेस्ड रही। ५ में २ की सजा हुई और ३ अभी अदालत के विचाराधीन हैं।

श्री होरीलाल यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस डकैती के सिलसिले में कितने अभियुक्त हैं और क्या वे सब गिरफ्तार हो चुके हैं ?

श्री नवलकिशोर—उस सिलसिले में ५ अभियुक्तों का चालान किया गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ४५ चोरियां हुईं, इस बात को देखते हुये जो चालान हुये वह बहुत कम हुये और मुकदमों में सजा कम हुई तो इसका क्या कारण है ? क्या इसकी जांच पड़ताल करने की कृपा करेंगे जिससे चोरी की बाढ़ रुक सके ?

श्री नवलकिशोर—उसकी जांच हुई। ४५ में जांच की गई मगर ४० चोरियों के अभियुक्तों का पता नहीं चल पाया।

पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध घूसखोरी व झूठे मुकदमे चलाने की जांच

*१७—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले साल (१९६१-६२) में एक हजार से अधिक पुलिस अफसर और कान्स्टेबिल रिश्वत लेने और झूठे मुकदमे बनाने के सिलसिले में पकड़े गये ? यदि हां, तो उनके ऊपर क्या जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत वर्ष १-४-६१-से ३१-३-६२ तक उत्तर प्रदेश में आगरा जिले को छोड़ कर, कुल ६४७ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध रिश्वत लेने और झूठे मुकदमे बनाने के आरोप प्रकाश (notice) में आये। इन सभी आरोपों की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराई गई।

छाता क्षेत्र के कुओं में खराबी

*१८—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला के क्षेत्र छाता में गर्की आने से कुओं का पानी खराब हो गया है ? यदि हां, तो इन कुओं के सुधार हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—जी हां। मथुरा जिले की छाता तहसील में गर्कीग्रस्त क्षेत्र में कुछ कुओं का जो कि पानी में डूब गये थे और जिनका पानी पीने योग्य नहीं रहा था उन कुओं का पानी उलीच कर उन्हें निष्क्रमण कर दिया गया था।

श्री लखीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने कुएं हैं जिनका पानी पीने योग्य नहीं है, अस्वास्थ्यकर है तथा उन कुओं से बीमारी का प्रकोप होता है जो पानी में डूब गये थे ?

श्री बंशीधर पांडेय—मेरी सूचना यह है कि उन कुओं का पानी उलीचा गया जो स्वास्थ्यप्रद नहीं थे। कितने ऐसे कुएं थे यह पता नहीं है। जो कुएं गर्की में आकर डूब गये थे उनकी सफाई की गई। कुछ ऐसे कुएं, जो सैनीटरी पैटर्न पर नहीं बनते हैं उनसे एपिडेमिक बीमारी फैलने का भय रहता है। वे कुएं जब स्वशासन विभाग के इंजीनियरिंग विभाग के जरिये से वे ब्लाक स्टेज १, के स्तर पर आ जायेंगे तब उनकी हम रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत सफाई कर देंगे।

श्री उग्रसेन—मन्त्री महोदय ने बतलाया कि जब स्टेज १ ब्लाक के स्तर पर वे कुएं आ जायेंगे तब सफाई करेंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने कुओं का पानी निकाल कर उनमें अच्छा पानी लाने की प्रक्रिया की गई जिससे वहां बीमारी न फैले ?

श्री बंशीधर पांडेय—कुओं में कहीं बाहर से पानी लाकर नहीं डाला जायगा, बल्कि यह व्यवस्था की जा रही है कि वे कुएं अच्छे ढंग के हों और इस संबंध में स्वायत शासन इंजीनियरिंग विभाग प्रयत्नशील है। संख्या की इस समय सूचना नहीं है।

लखनऊ व इलाहाबाद राजकीय प्रेसों में पदोन्नति-नियम

*१९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में प्रमोशन का क्या नियम है और क्या यही नियम राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ में लागू है ?

श्री बनारसीदास—सामान्यतः राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ में पदोन्नति (Seniority subject to the rejection of the unfit) अयोग्य व्यक्ति को अस्वीकार करने के शर्त के अधीन ज्येष्ठता के सिद्धान्त के अनुसार की जाती है। किन्तु कुछ ऐसे पद जिनमें विशेष प्राविधिक कौशल की आवश्यकता होती है, उनकी सीधी भर्ती परीक्षण के आधार पर की जाती है। परीक्षण में बाहरी तथा विभागीय अभ्यर्थी दोनों ही भाग ले सकते हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वे कौन से ऐसे उच्च पद हैं कि जिनमें विशेष प्राविधिक कौशल की आवश्यकता पड़ती है ?

श्री बनारसीदास—ऐसे बहुत से पद हैं जैसे कम्पोजीटर्स, मोनो लाइनो आपरेटर्स, बाइन्डरी आदि के पद।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—विभागीय विद्यार्थी जो उस परीक्षा में बैठते हैं क्या उनको अपने विभागीय अधिकारी से उसके लिये अनुमति लेनी पड़ती है अथवा वह बाहरी अभ्यर्थियों की भांति इम्तिहान में बैठने के लिये स्वतंत्र हैं ?

श्री बनारसीदास—इम्तिहान में सेलेक्शन होता है और वे विभाग में रहते ही हैं। जिनमें विशेष कौशल होता है उनको इम्तिहान में शामिल होने की इजाजत मिलती है और विभाग के लोग ही उनकी परीक्षा लेते हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो विभागीय अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं उनको क्या अनुभव के आधार पर कुछ विशेष सुविधा इंटरव्यू में प्रदान की जाती है ?

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, यह तो प्रायः होता है। जो लोग विभाग के कर्मचारी होते हैं और बाहर के लोग भी उसमें बैठते हैं तो उनके अनुभव के आधार पर जो लोग सेलेक्शन करते हैं उनको वे अवश्य थोड़ी प्राथमिकता देते हैं।

सहकारी रसायनशालायें

*२०—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिये कौन-कौन-सी सहकारी रसायनशालायें हैं और उनमें कितने मेम्बर हैं ? मेम्बरों का तथा गवर्नमेंट का कितना रुपया लगा हुआ है और कितने रुपयों की दवा एक वर्ष में तैयार होती है।

श्री धर्मसिंह—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९९२ पर)

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें कौन कौन मेम्बर हैं और सरकार का कितना रुपया कुल इसमें लगा हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—चार स्थान हैं जहां यह कार्य होता है, कोआपरेटिव के द्वारा। उसमें अल्मोड़े में २० लाख, बरेली में ११२८.६६ रूपये, और झांसी और लखनऊ में कुछ नहीं लगा है।

श्री ऊदल—मैंने माननीय मंत्री जी को ३, ४ दिन पहले लिखा था कि कुछ कम्पनियां जो प्रमाणित नहीं हैं इस प्रकार की दवाइयां बना रही हैं और उनकी शीशियों पर लेबिल वही लगाया जाता है, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि गोरखपुर में भी इस प्रकार का एक कारखाना है ?

श्री धर्मसिंह—इसकी सूचना तो इस वक्त नहीं है, लेकिन जब जब इस प्रकार की सूचनायें आती हैं तो उनकी जानकारी और जांच करायी जाती है और अगर गड़बड़ी पायी जाती है तो आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

[२० सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री ऊदल—[हटा दिया गया।]

फर्रुखाबाद कोतवाली में मनोहर के पीटे जाने की जांच

*२—श्री ऊदल—क्या ऐसी शिकायत सरकार को मिली है कि ११–१२ अक्तूबर सन् १९६० को फर्रुखाबाद की कोतवाली में पुलिस की मार से जिस मनोहर नामक व्यक्ति की मृत्य हो गई थी उसके सगे भाई को तथा जिन लोगों ने उस केस में गवाहियां दी हैं उनको डकैती में फंसाने की कोशिश फर्रुखाबाद की पुलिस कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं, इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अगर इस प्रकार की शिकायत नहीं प्राप्त हुई तो दूसरी बार जो मनोहर की मृत्य हो गयी उस सम्बन्ध में जो लोग दोषी पाये गये थे उन के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नवलकिशोर—यह जो मनोहर नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका का मामला मैजिस्ट्रीयल इंक्वायरी के आधीन है और जांच हो रही है पर कोई कारण पता नहीं चला। तब सी०आई०डी० की इन्क्वायरी उसके कोतवाली के अन्दर पीटे जाने के सम्बन्ध में हो रही है। मगर अभी तक सबूत काफी नहीं मिले हैं इसलिये उसके खिलाफ डिपार्टमेन्टल कार्यवाही की जा रही है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस केस को दो साल हो गये हैं, ऐसा मेरा खयाल है कि कुछ ज्यादा ही हो गये हैं, तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा तो कि सी०आई०डी जांच कर रही है और उसके खिलाफ डिपार्टमेन्टल कार्यवाही की जायगी।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सी०आई० डी० की रिपोर्ट उनके पास कब आई और सरकार कब तक उस पर कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

श्री नवलकिशोर—उसकी डेट्स की फाइल तो मेरे पास इस समय नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट है वह सब पढ़ दी गई है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब उनके पास सी०आई०डी० की रिपोर्ट इस बात की आ गई कि उस व्यक्ति को थाने में मारा गया और मारने से वह मर गया, तो उस दारोगा को मुअत्तल करने के सम्बन्ध में क्या जांच और कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा तो है कि उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—(जिला फैजाबाद) क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एक व्यक्ति कोतवाली में मारा जाय और फिर भी सबूत न फराहम हो सकें तो क्या ऐसा है कि उस कोतवाली में जब वह व्यक्ति मारा गया उस समय कोई सिपाही नहीं था ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जो रिपोर्ट सी०आई०डी० की है, वह तो यही कहती है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। जितने सबूत थे उनके आधार पर डिपार्टमेन्टल कार्यवाही हो रही है।

विद्युत्विहीन स्थानीय निकाय

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री दौलत लाल (आजमगढ़) तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कौन-कौन नगरपालिकायें तथा टाउन एरिया हैं जहां पर विद्युत् शक्ति उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह आपके कार्यालय से ५-६-६२ को भेजा गया था, तो आप देखें कि ३ महीने से ज्यादा समय हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सूचना इसी दफ्तर से मिलनी है बाहर से नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इस दफ्तर की बात है। बिजली २ तरीके से मिलती है। एक राज्य विद्युत् परिषद् की मार्फत और कुछ लाइसेंसीज अपने आप देते हैं। यह सूचना मेरे पास है कि कितनी जगह बिजली राज्य विद्युत् परिषद् ने दी है। बड़ी लम्बी लिस्ट है। यदि कहें तो पढ़ कर सुना दूं। मेरे पास इसकी भी लिस्ट है कि राज्य विद्युत् परिषद् ने कितनी

जगह लाइसेंसीज को बिजली नहीं दी है। लेकिन एक सूचना मेरे पास अभी तक नहीं है कि कितनी जगह जो प्राइवेट कम्पनीज हैं, उसकी सूचना यहां नहीं आई है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह डाइरेक्ट देते हैं। वह सूचना मांगने में देर होती। अगर आप चाहें तो डिटेल में आपको सूचना दे दूं।

भ्रष्टाचार तथा अराजकता रोकने के लिए आयोग के गठन का सुझाव

*४—श्री ऊदल—क्या सरकार प्रदेश में एक ऐसे आयोग का गठन करने का विचार कर रही है जो भ्रष्टाचार तथा अराजकता को रोकने के लिये उचित सुझाव दे सके ?

श्री नवलकिशोर—विधि तथा व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में श्री अजित प्रसाद जैन की अध्यक्षता में नियुक्त पुलिस आयोग ने जो सिफारिशों की हैं वे शासन के विचाराधीन हैं। इस सम्बन्ध में कोई और आयोग गठन करने का सरकार विचार नहीं कर रही है।

श्री ऊदल—वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार शब्द के प्रयोग को बुरा समझते हैं, लेकिन प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार के कारण बढ़ती हुई अराजकता को ध्यान में रखते हुये जो हर क्षेत्र में बढ़ रही है, जो माननीय अजितप्रसाद जैन की रिपोर्ट है, उसके अलावा कोई सदस्य या तीन सदस्य आयोग इस सम्बन्ध में बनावेंगे जिससे यह दूर हो सके ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर वह दे चुके हैं।

वन पोखरा गांव सभा के चुनाव में मधुवन थाने की पुलिस द्वारा कथित ज्यादती

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत थाना घोसी के ग्राम मलेरी कोट के कुछ व्यक्तियों की १५ मार्च, १९६२ की लिखी हुई दरख्वास्त उनके पास आई है जिसमें स्थानीय पुलिस के विरुद्ध नगद रुपया तथा अन्य सामान उठा ले जाने की शिकायत लिखी गई है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं। ऐसी किसी दरख्वास्त का प्राप्त होना नहीं पाया गया। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री ६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि बनपोखरा ग्राम के व्यक्तियों ने क्या-क्या बयान दिये ?

श्री नवलकिशोर—बयानों की † प्रति संलग्न है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री जी बयानों की प्रति में देखने की कृपा करेंगे कि जिस समय प्रेसाइडिंग आफिसर को छोड़कर प्रीतम, फेंकू, रघुनाथ और बैजनाथ ने, जैसा कि अपने बयान में कहा है थानेदार ने रामहर्ष सिंह को धक्का देकर हटाया और उसी वजह से सारे वोटर चुनाव स्थल से भाग कर चले गये ?

श्री नवलकिशोर—बयान तो उनके पास है ही, यही उनकी शिकायत थी, लेकिन जब जांच की गयी तो वह सही नहीं पायी गयी।

---

† छापी नहीं गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जांच करने वाले ने किस आधार पर उनके बयान को निराधार पाया ?

श्री अध्यक्ष—तो यह पूछिये कि क्या और कोई आधार था ? माननीय मंत्री जी, वह कहते हैं कि जब बयान से मालूम होता है कि यह बात हुई तो आप क्यों कहते हैं कि नहीं हुई ?

श्री नवलकिशोर—जिनके बयानात हुये यह तो उनकी शिकायत ही थी। मेरा कहना यह है कि सर्किल इंसपेक्टर और तहसीलदार ने जांच की। उससे यह बात सिद्ध हुई कि चूंकि कई लोग चुनाव से सम्बन्धित नहीं थे, उनको हटाया गया। धक्का देने की कोई बात नहीं थी।

इलाहाबाद में सरकिट हाउस बनाने पर विचार

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या स्वास्थ्य मंत्री इलाहाबाद मेडिकल कालेज के बारे में प्रश्न संख्या ९, दिनांक ३ मई, १९६२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के गवर्नमेन्ट हाउस को मेडिकल कालेज में शामिल करने के बाद क्या गवर्नमेन्ट हाउस दूसरे स्थान पर बनवाया जायगा ? यदि हां, तो किस स्थान पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—गवर्नमेन्ट हाउस के बजाय एक सरकिट हाउस बनवाया जायगा। इसके बनने का स्थान (site) अभी तय नहीं हो पाया है।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार उपर्युक्त तिथि के प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि जो डाक्टर इलाहाबाद मेडिकल कालेज में शिक्षक हैं तथा जो छात्र शिक्षा पा रहे हैं उनको ठहरने का स्थान दिया गया है ? यदि हां, तो कितने छात्रों तथा कितने शिक्षकों को ?

श्री धर्मसिंह—सभी छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था है, तथापि प्रथम वर्ष १९६१-६२ में केवल २१ छात्र व २ छात्रायें छात्रावास में रहे। शेष छात्रों ने अपने रहने का प्रबंध स्वयं किया, शिक्षकों के लिये अभी कोई सरकारी निवास-स्थान नहीं है। अतः उन्होंने भी अपने रहने का प्रबंध स्वयं किया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी इस गवर्नमेन्ट हाउस की बिल्डिंग को डिसमेंटिल करावेंगे या बिल्डिंग को मेडिकल कालेज में इस्तेमाल करने के लिये रखेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बिल्डिंग कालिज का हिस्सा होगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छात्रों और शिक्षकों के रहने के लिये गवर्नमेन्ट हाउस को, जो खाली पड़ा हुआ है, देने की कृपा करेंगे और उसमें यह प्रबंध करायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि गवर्नमेन्ट हाउस तो गवर्नर महोदय के जाने-आने और वहां ठहरने के लिये है और जब तक उसके लिये कोई दूसरा प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक सारा गवर्नमेन्ट हाउस दे देना दूरदर्शिता नहीं होगी। हमारा प्रयास यह है कि कमिश्नर का जो रेसीडेन्स है वहां हम एक सरकिट हाउस बनायें और जो मेडिकल का बजट है उसी के अन्दर उसको बनायें। जब उसको बना दें तब इस गवर्नमेन्ट हाउस को मेडिकल कालेज के परपज के लिये दें, ऐसा हमारा विचार है।

टैक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*९—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या श्रम मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि टैक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशें प्रदेश की किस-किस मिल ने अब तक कार्यान्वित नहीं की है अथवा आंशिक रूप में कार्यान्वित की है ?

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—ऐसी सूती मिलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९९३ पर)

*१०—श्री गेंदासिंह—कार्यान्वित न करने अथवा आंशिक रूप में कार्यान्वित करने के कारण क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आवश्यक सूचना उक्त "सूची" में दे दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९९३ पर)

*११—श्री गेंदासिंह—क्या उक्त मिलों के कर्मचारियों की ओर से सरकार को आवेदन-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां । लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल, सहारनपुर में हाल ही में मिल मालिकों तथा मजदूरों में समझौता हो गया है जिसके अनुसार विवादग्रस्त मामले आर्बिट्रेशन के लिये भेज दिये गये हैं । अन्य मिलों के बारे में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न संख्या ११ का उत्तर स्पष्ट नहीं मिला है, कृपया उत्तर साफ दिलवाने का कष्ट करें ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, प्रश्न पूछा गया था कि आवेदन-पत्र आये ? उत्तर दिया गया—जी हां, पूछा गया क्या कार्यवाही हुई ? उत्तर दिया गया—उचित कार्यवाही की जा रही है । अब जितने आवेदन-पत्र आये उन सब पर अगर बोलने लगूं तो आधा घंटा लग जायेगा ।

श्री गेंदासिंह—यह तो ऐसी फेहरिस्त है जो ज्यादा लम्बी नहीं है । ४–५ मिले हैं जिन्होंने लागू नहीं किया है, ४–५ ऐसी हैं जहां से आवेदन-पत्र आये हैं । उनके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है, यह बता दें ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—एक मिल है हाथरस की, वहां पर मिल मालिक और मजदूर लोग जिलाधीश को आर्बीट्रेटर मान कर फैसला कराने को राजी हो गये । अभी हमने यह सूचना मांगी कि क्या कार्यवाही हुई तो मालूम हुआ कि अभी कुछ हुआ नहीं है क्योंकि मिल मालिक ने दस्तखत करने में देरी कर दी है । उसके लिये अभी श्रम मंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि जो वायदा किया है उसे पूरा करो । इसी तरह से एक दूसरी मिल है सहारनपुर की, वहां पर एग्रीमेंट हो गया है आर्बीट्रेशन के बारे में । अब वह बैठा या नहीं, या क्या कार्यवाही हो रही है यह अभी पता नहीं है । अब हर मिल के बारे में बता सकना सम्भव नहीं है, जहां जो भी कार्यवाही की जरूरत होती है वह की जाती है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मोदीनगर के सिलसिले में जो विवाद है, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मोदीनगर का विवाद तो खत्म हो गया है । वहां फैसला हो गया है, अब वहां विवाद पैदा न करें ।

*१२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—[हटा दिया गया ।]

*१३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया ।]

झांसी जिले में लघु उद्योग-धंधे

*१४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में इस समय तक कितने लघु-उद्योग धंधे चल रहे हैं और उनमें कितने लोगों को काम मिल रहा है ?

ग्राम तथा लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—झांसी जिले में इस समय तक २४ लघु उद्योग-धंधे चल रहे हैं जिनमें लगभग २,१५३ व्यक्तियों को काम मिल रहा है ।

*१५-१६—श्री झारखंडेराय—[हटा दिये गये ।]

रुद्रपुर थानान्तर्गत पिपरा गांव में गुण्डागर्दी

*१७—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के रुद्रपुर थाना के पिपरा नामी ग्राम में गत २० मई, १९६२ को ४०-५० की संख्या में दिन दहाड़े गुण्डे लाठी, बल्लम और फरसे के साथ लूट-पाट एवं कत्ल के लिये चढ़ आये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त ग्राम में दिनांक २० मई, १९६२ को ४०-५० व्यक्तियों ने एक मुकदमे के गवाहों को दबाने के लिये चढ़ाई की थी । इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उनमें से एक व्यक्ति को धारा १५१ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया । शेष अभियुक्त भाग गये थे । बाद में ९ और अभियुक्तों का धारा १०७/११७ जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत चालान किया गया और मुकदमे न्यायालय भेज दिये गये ।

*१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या मंत्री जी को गुण्डों के ऐसे निश्चय की सूचना उस ग्राम के लोगों द्वारा मिल चुकी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त ग्राम के कुछ निवासियों का एक शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के एक पत्र दिनांक ११ मई, १९६२ के साथ प्राप्त हुआ था । उसमें ऐसे किसी निश्चय की सूचना नहीं थी ।

*१९—श्री चन्द्रबलीसिंह—इस संबंध में अब तक कितने लोगों का चालान हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब तक कुल २५ अभियुक्तों का चालान किया गया है ।

श्रम कल्याण केन्द्र, ऐशबाग, लखनऊ

*२०—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐशबाग राजकीय प्रेस में कोई श्रम कल्याण केंद्र है ? यदि हाँ, तो उस केंद्र पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और केंद्र द्वारा श्रमिकों को क्या सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, ऐशबाग राजकीय प्रेस में एक श्रम कल्याण केंद्र है, जिसके लिये सरकार ने एक श्रम कल्याण अधिकारी, एक डाक्टर, एक आर्गेनाइजर तथा एक कम्पाउन्डर के पद की स्वीकृति दी है । इस केंद्र पर प्रेस कर्मचारियों की बीमारी आदि की प्राथमिक परिचर्या की सुविधा है तथा एक वाचनालय भी है ।

*२१—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यदि उपरोक्त व्यवस्था नहीं है तो केंद्र भवन किस काम में आ रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न नहीं उठता ।

नोटः—तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।)

केसा कर्मचारियों की मांगें

*२२—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या यह सही है कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों के ग्रेड तथा साहू केमिकल वाराणसी के कर्मचारियों के ग्रेड में कोई अन्तर है? यदि हाँ, तो किस-किस ग्रेड में विद्युत कर्मचारियों के वेतन में अन्तर है और कितना?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—साहू केमिकल, वाराणसी एक गैर सरकारी संस्था है और उनके कर्मचारियों के ग्रेड के बारे में सूचना उनसे मांगी गई थी। वह सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है।

*२३—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन (आपरेटिंग स्टाफ) के कर्मचारियों ने कोई आवेदन-पत्र तारीख १४ सितम्बर, १९६१ को मुख्य मंत्री की सेवा में अपनी मुख्य मांगों के सिलसिले में भेजा था? यदि हाँ, तो क्या उन कर्मचारियों का मांग-पत्र सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन (आपरेटिंग स्टाफ) के कर्मचारियों द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र की एक † प्रति संलग्न है।

*२४—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन कर्मचारियों की उपयुक्त मांगों को सरकार मानने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कर्मचारियों की मांगों का मामला राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है।

नैनी थाने के निकट रामजतन यादव की हत्या

*२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद के नैनी बाजार में नैनी थाने से १० गज दूरी पर रामजतन यादव को १९ मई, १९६२ को गड़ासे तथा लाठियों से मारा गया? यदि हाँ, तो यह घटना क्या थी तथा इस घटना में कितने आदमी पकड़े गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रामजतन यादव को दिनांक २९-५-६२ को लगभग १०-३० बजे दिन में नैनी थाने से करीब आधा मील दूर पर मुन्नी लाल तथा अन्य ११ व्यक्तियों द्वारा रंजिश के कारण गड़ासे से व लाठियों से मारे जाने की सूचना है। इस घटना में १२ अभियुक्त पकड़े गये थे। वे इस समय जमानत पर हैं।

मल्लावां थाने में डकैती की झूठी रिपोर्ट तथा लाइसेंसदारों की जांच

*२६—श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार को पता है कि हरदोई जिले के मल्लावां पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत रसूलपुर ग्राम में पार्टीबन्दी के आधार पर एक झूठी डकैती की रिपोर्ट लिखाई गयी और उसमें विरोधियों को नामजद किया गया? सुपरिंटेंडेंट पुलिस हरदोई ने इस इत्तला को बिलकुल झूठा पाया जबकि दो व्यक्ति निर्दोष लगभग २ माह जेल में बन्द रहे? क्या सरकार धारा १८२ के अन्तर्गत झूठी गवाही व झूठी इत्तिला देने का मुकदमा चलाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी?

---

† छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, डकैती की एक ऐसी रिपोर्ट थाना मल्लावाँ जिला हरदोई में दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामाँकित दो व्यक्ति लगभग ३९ दिन जेल में रहे। जाँच से रिपोर्ट झूठी सिद्ध होने पर गिरफ्तार किये गये लोगों को धारा १६९ दंड विधि संग्रह के अन्तर्गत मुक्त करा दिया गया और वादी के विरुद्ध एक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा १८२ के अन्तर्गत कायम किया गया जो इस समय न्यायालय के विचाराधीन है।

*२७—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मल्लावाँ पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत कितने पुराने हिस्ट्री शीटरों को व डकैती में चालान हुये लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिये गये हैं ? किस व्यक्ति की सिफारिश से यह लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हुये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुल ऐसे दो व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये जिनका डकैती में चालान हुआ था यद्यपि वे दोनों न्यायालय से छूट गये थे। इनमें से एक की केवल हिस्ट्री-शीट भी खोली गयी थी जो सन् १९४६ में बन्द हो गई थी। केवल एक के प्रार्थना-पत्र पर स्थानीय एम० एल० ए० व हाकिम तहसील की सिफारिश थी।

*२८—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार इन लाइसेंसों की तहकीकात कराने की कृपा करेगी कि ऐसे लाइसेंस प्राप्त करने वाले लोगों के नाम क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—संबंधित व्यक्तियों के नाम हैं श्री बाबू राम और श्री नवाब अली। जिलाधीश को ऐसे केसेज की जाँच करने के आदेश पहिले ही हो चुके हैं।

बुलन्दशहर जिले में कत्ल व डकैती के मुकदमे

*२९—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९५८ से १९६२ फरवरी तक कितने कत्ल व डकैती के मुकदमों का चालान हुआ और कितने मुकदमे कामयाब हुये और कितने आदमियों को सजा मिली ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला बुलन्दशहर में १९५८ से फरवरी १९६२ तक कत्ल के ११५ और डकैती के ९१ मुकदमों में अभियुक्तों का चालान किया गया। इनमें से कत्ल के ३९ और डकैती के ३५ मुकदमे कामयाब हुये तथा कत्ल के मुकदमों में १२९ व्यक्तियों को और डकैती के मुकदमों में १०३ व्यक्तियों को सजा हुई।

मरहरा ग्राम में इण्डिया विलेज सर्विस सेंटर बन्द होना

*३०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के मरहरा नामक ग्राम में अमेरिका द्वारा "इंडिया विलेज सर्विस सेंटर" चलाया जाता है ? यदि हाँ, तो उस सेंटर में किस प्रकार का कार्य होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय ऐसा कोई सेंटर एटा जिले के मरहरा ग्राम में नहीं चलाया जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व एक अमेरिकन मिशन द्वारा ऐसा सेंटर वहाँ चलाया जाता था जो ग्रामीण जनता में स्वास्थ्य संबंधी सेवा, सिलाई-कढ़ाई सिखाने का कार्य एवं कृषि संबंधी सूचना प्रसार करता था।

*३१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सी०आई०डी० द्वारा जाँच रिपोर्ट जो इस सेंटर के बारे में सरकार को प्रेषित की गई है उसकी एक प्रतिलिपि वह सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश की सी०आई०डी० ने इस केंद्र के बारे में कोई जांच नहीं की। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह सेंटर अभी चल रहा है या बन्द हो गया ? यदि बन्द हो गया, तो उसके बंद होने का कारण क्या है तथा कब से शुरू हुआ और कब बन्द हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त सेंटर १९४५ ई० में स्थापित हुआ था और १९६० ई० में बन्द हो गया था। जहाँ तक सरकार को सूचना है यह केंद्र इस संस्था की कुछ अपनी प्रशासकीय समस्याओं के कारण बन्द हुआ था।

*३३-३४—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—[१३ वें मंगलवार के लिये प्रश्न १८-१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मनकापुर में बिजली दर

*३५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बिजली के रेट में कोई संशोधन करने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य विद्युत परिषद् ने गंगा-सारदा विद्युत क्षेत्र में, सब उपभोक्ताओं के लिये, लाइसेंसीज को छोड़कर, १ मई, १९६२ से बिजली की दरें परिवर्तित कर दी हैं। लाइसेंसीज को परिवर्तित दरें १ जुलाई, १९६२ से लागू होंगी।

पूर्वी क्षेत्र में जहाँ कि वाष्प विद्युतगृहों से बिजली दी जाती है "लार्ज तथा हैवी पावर" के उपभोक्ताओं के लिये भी जो कि १०० के०वी० ए० से ज्यादा बिजली प्राप्त कर रहे हैं बिजली की दरें १ जून, १९६२ से परिवर्तित कर दी हैं।

*३६—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मनकापुर जिला गोंडा में घरेलू रोशनी व पंखा के लिये तथा औद्योगिक कार्य के लिये बिजली का क्या रेट निर्धारित है और संशोधित रूप में क्या करने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मनकापुर जिला गोंडा में प्रकाश व पंखे तथा औद्योगिक कार्यों के लिये विद्युत शक्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित दरें हैं :

१—घरेलू प्रकाश तथा पंखे ..	८ आने प्रति यूनिट
२—वाटर वर्क्स तथा कोल्ड स्टोरेज	३ आने ६ पाई प्रति यूनिट
३—अन्य औद्योगिक विद्युत् भार	४ आने प्रति यूनिट

परिवर्तित दरें अभी तक नहीं बनी हैं।

*३७—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मसकनवा, तहसील उतरौला, जिला गोंडा में बिजली देने का विचार वह करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस नगर के विद्युतीकरण की जांच की जा रही है।

केसा कर्मचारियों के इमोल्युमेंट्स में कमी

*३८—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केसा पावर हाउस, कानपुर के कर्मचारियों को नवम्बर, सन् १९४८ में तनख्वाह, अंतिम सहायता तथा डी०एफ० ए० मिलाकर १०८ रु० प्रतिमास मिलता था परन्तु सन् १९६२ में तनख्वाह तथा डी० एफ० ए० मिलाकर कुल ८२ रु० ही दिया जाता है ? यदि हाँ, तो २६ रु० प्रतिमास के इमोल्यूमेंट्स के घटाये जाने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, केसा कर्मचारियों को नवम्बर, १९४८ में तनख्वाह अन्तरिम रिलीफ तथा डी०एफ०ए० मिलाकर १०८ रुपये ३० नये पैसे मिलता था परन्तु जून, सन् १९६२ में कुल मिलाकर ८३ रुपये ६० नये पैसे मिले।

इस प्रकार इमोल्यूमेंट्स में २४ रुपये ७० नये पैसे की कमी हो जाने का मुख्य कारण मूल्य सूचनांक (Cost of living index number) (इन्डेक्स नम्बर) का कम हो जाना है क्योंकि डी०एफ०ए० इन्डेक्स के आधार पर लगाया जाता है।

*३९—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केसा (कानपुर) का १९४८ व १९६२ में क्रमशः कुल लाभ तथा नेट लाभ कितना-कितना था तथा दोनों में अलग-अलग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केसा में सन् १९४८–४९ में कुल लाभ १३ लाख और वास्तविक लाभ ३·२६ लाख तथा १९६०–६१ में कुल लाभ ६२·०८ लाख और वास्तविक लाभ ४०·८४ लाख था।

सन् १९४८–४९ की अपेक्षा सन् १९६०–६१ में कुल लाभ में ३७५ प्रतिशत तथा वास्तविक लाभ में ११५६ प्रतिशत वृद्धि हुई। अप्रैल, १९५९ से केसा राज्य विद्युत् परिषद् की एक इकाई है। इसलिये उसके हानि लाभ पर परिषद् के कुल हानि लाभ के साथ विचार करना पड़ेगा।

उन्नाव का कथित ग्रामोद्योग ट्रस्ट

*४०—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्रामोद्योग ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश जिसका कार्यालय उन्नाव में है किन ग्राम उद्योगों के विकास के कार्य कर रहा है?

श्री फूलसिंह—जहाँ तक सरकार को ज्ञात है इस नाम का कोई ट्रस्ट उन्नाव में नहीं है।

*४१—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार यह बतायेगी कि अब तक कितना धन सरकारी कोष से इस ट्रस्ट को सहायतार्थ एवं ऋण स्वरूप दिया जा चुका है और उस धन का परिव्यय किस रूप में कहाँ और कब किया गया?

श्री फूलसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*४२—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस ट्रस्ट की अन्य शाखायें भी राज्य में कहीं हैं? यदि हाँ, तो कहाँ और क्या उन सबकी गतिविधि पर वह प्रकाश डालने की कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*४३–४४—श्री सन्तसिंह यूसुफ—[५ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न ४०–४१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

मुरादाबाद इण्डस्ट्रियल इस्टेट

*४५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि मुरादाबाद की उद्योग बस्ती (इंडस्ट्रियल इस्टेट) कब तक बनकर तैयार हो जायेगी और क्या सरकार उसे फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उस पर सरकार का कितना खर्च होगा?

श्री फूलसिंह—मुरादाबाद की इंडस्ट्रियल इस्टेट लगभग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के प्रारम्भ तक बनकर तैयार हो जाने की आशा है और यह फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्रियल इस्टेट होगी। उपरोक्त इंडस्ट्रियल इस्टेट के निर्माण में कुल ७ '५० लाख रुपया खर्च होगा।

*४६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस इंडस्ट्रियल इस्टेट में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे और सरकार उसमें क्या सहायता करेगी?

श्री फूलसिंह—सरकार की उद्योगों के स्थापित करने के संबंध में कोई सुनियोजित योजना नहीं है, इसका निर्णय उद्योगपति स्वयं करेंगे, अतः उक्त इंडस्ट्रियल इस्टेट के अन्तर्गत सभी प्रकार के आधुनिक लघु उद्योग जिनका भविष्य उज्जवल है, तथा जिनके बने हुये माल की खपत की संभावना निकटवर्ती बाजार में है स्थापित किये जा सकते हैं, जिनमें से, कतिपय उद्योगों के नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं। सरकार द्वारा उपरोक्त उद्योगों को चलाने के निमित्त सामान्य सुविधायें जैसे-बिजली, पानी का प्रबन्ध, ऋण देना तथा हायर परचेज पर मशीनरी तथा कच्चा माल आदि प्राप्त करने में आवश्यक सहायता दी जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रावैधिक सहायता भी औद्योगिकों को इच्छानुसार दी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९९४ पर)

सहारनपुर जिले में डकैतियां

*४७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पाँच साल में सहारनपुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कितने डाकू मारे गये और ग्रामीणों द्वारा कितने पकड़े या मारे गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत पाँच वर्षों में सहारनपुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में १ डाकू मारा गया तथा ५ पकड़े गये और ग्रामीणों द्वारा ३ मारे गये तथा ८ पकड़े गये। इसके अतिरिक्त पुलिस तथा ग्रामीणों की डाकुओं से संयुक्त मुठभेड़ में १ डाकू मारा गया।

*४८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में कितने डाके की वारदातें प्रतिवर्ष १९५७ से हुईं और उनमें कितने व्यक्तियों को अदालतों में भेजा गया तथा कितने साफ बरी हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९९५ पर)

*४९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि बरी होने वाले मुकदमों में पुलिस के ठीक-ठीक सबूत न दे सकने के कारण कितने छूटे और सरकार ने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बरी होने वाले मुकदमों में पुलिस के दोष के कारण पिछले पांच वर्षों में कोई मुकदमा नहीं छूटा। अतः पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई।

पुलिस विभाग, मैनपुरी में पिछड़े वर्ग की भर्ती तथा राज्य के अस्थायी कर्मचारी

*५०—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में अप्रैल, १९६० से अप्रैल, १९६२ तक नीचे लिखे पद पर कितनी भर्ती हुई और उसमें क्रमशः कितने अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति थे:—

(क) कांस्टेबिल,

(ख) क्लर्क,

(ग) चपरासी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अप्रैल, १९६० से अप्रैल, १९६२ तक मैनपुरी जिले के पुलिस विभाग में क्लर्क के पद पर कोई भर्ती नहीं कीगई। कांस्टेबिल तथा चपरासी के पद पर क्रमशः ७१ व ४ व्यक्ति भर्ती किये गये जिनमें से कांस्टेबिल के पद पर ४ अनुसूचित वर्ग तथा ४५ पिछड़े वर्ग के व्यक्ति थे तथा चपरासी के पद पर १ अनुसूचित वर्ग तथा ३ पिछड़े वर्ग के व्यक्ति थे।

*५१—श्री रामसिंह—क्या सरकार यह बताने का कृपा करेगी कि तारीख २ जून, १९६२ के समाचार-पत्र "स्वतंत्र भारत" में श्रीमान मुख्य मन्त्री का वक्तव्य था कि तीन साल के पूर्व के राज्य कर्मचारियों के पद स्थाई कर दिये जायेंगे? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि किन-किन विभागों के पद स्थाई किये जायेंगे और रोडवेज के कितने कर्मचारी स्थाई किये जायेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी घोषणा नहीं की गई। २ जून, १९६२ के "स्वतंत्र भारत" में इस आशय का प्रकाशित समाचार ठीक नहीं था। सन् १९६२-६३ में विभिन्न विभागों में लगभग १५,४८४ पद स्थाई घोषित किये गये हैं। जिनमें १,५७० पद रोडवेज के हैं। कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

घोसी थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराध की घटनायें

*५२—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि घोसी थानान्तर्गत जिला आजमगढ़ में गत २ वर्षों में प्रति वर्ष कितनी डकैती, चोरियां, हत्यायें हुई हैं, कितनों में केस चला और उन केसों के फल क्या हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९९६ पर)

कर्वी, नरैनी तथा कमासिन थानों में कत्ल

*५३—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—उत्तर प्रदेश विधान सभा दिनांक ३१ मई, सन् १९६२ के प्रश्न १ से सम्बन्धित—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थानेदार कर्वी, नरैनी, कमासिन के ४ थानेदारों के कार्यकाल में कितने कत्ल हुये? थानेदार कर्वी, नरैनी व कमासिन से यह मतलब है जो इन थानों में मार्च, सन् १९६२ ई० में इन्चार्ज थे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन थानों में जो थानेदार मार्च, १९६२ में नियुक्त थे उनके कार्यकाल में थाना कर्वी में तीन, थाना नरैनी में चार और थाना कमासिन में सात कत्ल हुए।

हरदोई विकास खण्ड कार्यालयों के लिपिकों की भर्ती के खिलाफ शिकायत

*५४—श्री भीखालाल (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, सन् १९६२ में हरदोई में विकास खंड कार्यालयों के लिये लिपिकों का चुनाव हुआ था? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे और कितने चुने गये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, जिला हरदोई में अप्रैल, १९६२ में लिपिकों का चुनाव हुआ था जिसमें कुल ११६ अभ्यर्थियों ने भाग लिया और उनमें से केवल ३८ अभ्यर्थी चुने गये।

*५५—श्री भीखालाल (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से कितने ऐसे थे जिनके नाम रोजगार दिलाऊ दफ्तर से आये थे और कितनों के प्रार्थना-पत्र सीधे विभाग को प्राप्त हुए थे और कितने विभागीय कर्मचारी थे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का विवरण इस प्रकार है :—

१—रोजगार दिलाऊ दफ्तर से आये अभ्यर्थी	८५
२—विभाग द्वारा आये अभ्यर्थी	२२
३—सीधे आये अभ्यर्थी	९
योग ..	११६

*५६—श्री भीखालाल (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिये टाइप राइटिंग का जानना जरूरी था ? यदि हां, तो चुने गये अभ्यर्थियों में से कितने ऐसे हैं जो टाइप जानते हैं और कितने नहीं ? क्या इस चुनाव के सम्बन्ध में जिलाधीश के पास कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिये हिन्दी तथा अंग्रेजी टाइप जानना आवश्यक था। चुने गये अभ्यर्थियों में से सभी अंग्रेजी टाइप जानते हैं और उनमें से लगभग आधे से अधिक हिन्दी टाइप भी जानते हैं।

चुनाव के सम्बन्ध में जिला कम्युनिस्ट पार्टी के मन्त्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान और श्री छेदालाल, भूतपूर्व सदस्य लोक सभा से निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुईं :—

(१) रोजगार दिलाऊ कार्यालय से एवं अन्य विभागों से प्रस्तुत नामों के अतिरिक्त सीधे भी कुछ व्यक्तियों की परीक्षा ली गई।

(२) उसमें से कोई व्यक्ति ऐसे चुने गये जो टाइप नहीं जानते थे जब कि टाइप जानना अनिवार्य था ?

(३) टाइप न जानने वालों की टाइप में मदद दी गई और उनके नाम से टाइप किये हुये कागज लगाये गये थे, उदाहरणार्थ:—

(१) श्री प्रताप सिंह राठौर,
(२) श्री अरुण कुमार अवस्थी,
(३) श्री शिव कुमार पाण्डेय,
(४) श्री दिनेशकुमार द्विवेदी,
(५) श्री रघुनाथ।

(४) एक "waiting list" भी इस आशय हेतु बनाई गई थी कि भविष्य में उन्हीं में से रिक्त स्थान की पूर्ति की जायेगी। किन्तु हाल में २, ३ स्थान रिक्त हुये जिनकी पूर्ति बाहर से की गई।

आजमगढ़ जिला अस्पताल के डाक्टर के विरुद्ध शिकायत

*५७—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि उन्हें सितम्बर, १९६१ के दूसरे सप्ताह में श्री कमलाकान्त मिश्र, मन्त्री रोडवेज मजदूर सभा का जिला अस्पताल आजमगढ़ के इंचार्ज डाक्टर के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, जांच कराई गई, डाक्टर के विरुद्ध आरोप निराधार पाये गये।

झांसी तथा जालौन जिलों में आयुर्वेदिक औषधालयों के कर्मचारी

*५८—श्री विजयसिंह—क्या सरकार वह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन तथा झांसी में ऐसे कितने चिकित्साधिकारी आयुर्वेद हैं जिनके कि सरकार ने स्थायी किये जाने के सभी सम्बन्धित कागजात प्राप्त करके भी अभी तक स्थायी नहीं किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जालौन जिले में एक वैद्य तथा झांसी जिले में दो वैद्य ऐसे हैं।

*५९—श्री विजयसिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जालौन तथा झांसी के आयुर्वेदिक औषधालयों के कौन कर्मचारी हैं जो १ जनवरी, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक स्थानान्तरित किये गये हैं ? क्या उनकी सर्विस बुक उन स्थानों को भेजी गई हैं जहां वह स्थानान्तरित हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जालौन जिले से एक वैद्य का तथा झांसी जिले से दो वैद्यों तथा तीन कम्पाउन्डरों का स्थानान्तरण उक्त अवधि में किया गया। उनकी सर्विस बुक इत्यादि भी उनके सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी गई हैं।

शमसाबाद थाने के कुछ गांवों में मारपीट

*६०—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ५ अक्तबर, सन् १९६१ को गांवों झारपुरा, पीलापुरा, थाना शमसाबाद, जिला आगरा के लोगों पर हमला किया गया था जिसकी रिपोर्ट थाना इंचार्ज, एस० एस० पी०, डी० आई० जी०, जिला मैजिस्ट्रेट आदि को की गई थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है, हमला किन लोगों ने किया तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९९७–९९८ पर)

चुर्क सीमेंट फैक्टरी की विस्तार योजना

*६१—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के विस्तार का कार्य जो किया जा रहा है उस पर कितना रुपया खर्च होगा और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के विस्तार का कुल अनुमानित व्यय २,९८,२६,००० रु० है। इसका विस्तार कार्य अब दिसम्बर, १९६२ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

*६२—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देहरादून में कोई सीमेंट का कारखाना खोलने के बारे में कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रूप-रेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

सवाल नहीं उठता।

*६३—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

नियोजन विभाग मैनपुरी में पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*६४—श्री रामसिंह—क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में इस समय नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तथा उनमें से क्रमशः, कितने परगणित तथा पिछड़े वर्ग के हैं :

(क) बोरिंग मेकेनिक,
(ख) सहायक बोरिंग मेकेनिक,
(ग) मिस्त्री,
(घ) चपरासी,
(ङ) मेकेनिक सुपरवाइजर ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना निम्न प्रकार है:—

पद	कुल संख्या	परिगणित वर्ग	पिछड़ा वर्ग
१	२	३	४
(क) बोरिंग मेकेनिक	२	..	..
(ख) सहायक बोरिंग मेकेनिक ..	१०	..	६
(ग) मिस्त्री	..	..	..
(घ) चपरासी	१	..	१
(ङ) मेकेनिक सुपरवाइजर ..	..	..	..

*६५-६६—श्री उग्रसेन—[हटा दिये गये।]

आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत सम्बन्धी जोशी कमेटी

*६७—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ललितपुर आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के अध्यापक संघ की ओर से कोई प्रतिवेदन पत्र १० सितम्बर, १९६० का भेजा हुआ सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*६८—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आयुर्वेदिक विद्यालय के स्तर को सुधारने के लिये विद्यार्थियों में हुये असंतोष के परिणामस्वरूप कोई जोशी कमेटी नियुक्त की गई थी ? यदि हां, तो कब तथा उसके क्या सुझाव हैं ? क्या सरकार ने उन्हें कार्यान्वित किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। सन् १९६१ में जोशी कमेटी की स्थापना हुई थी। कमेटी के सुझाव उन्हीं विषयों पर हैं जिन पर विचार करने के लिये कमेटी को कहा गया था जो कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्नातकों के भविष्य तथा प्रदेश में चल रहे आयुर्वेदिक एवं यूनानी विद्यालयों के उत्थान आदि से सम्बन्धित हैं। कमेटी के सुझाव अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

*६९—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया सदन की मेज पर यह सूचना रखेगी कि उक्त पीलीभीत के विद्यालय की अनर्थक स्थिति को देखते हुये कितनी ग्रांट प्रतिवर्ष दी जाती है और क्या यह सही है कि अध्यापकों को वेतन तक नहीं मिल रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कथित विद्यालय को ५४,२०० रु० का आवर्तक अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्था की आवश्यकतानुसार तथा धन की उपलब्धि को देखते हुए इसे अनावर्तक अनुदान भी दिए जाते हैं। विगत तीन वित्तीय वर्षों में इस विद्यालय को ७४,९०० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया गया है। यह सही नहीं है कि अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता है। यह जरूर है कि कभी-कभी देर हो जाती है।

कानपुर में सूती मिलों के मजदूर

*७०—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर की सूती मिलों में प्रति मिल में कितने (१) स्थायी, (२) एवजीदार, (३) अस्थायी, (४) अपरेंटिस, (५) ठेकेदारी के मजदूर हैं ? अपरेन्टिसों को किस योजना के अधीन रखा गया है और उनके प्रशिक्षण की क्या सुविधायें प्राप्त हैं तथा उनके प्रशिक्षण की अवधि क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न में पूछी गई बातों की सूचना एक तालिका में दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्था 'ज' आगे पृष्ठ ९९९–१००१ पर)

सादियाबाद थाने में रिपोर्ट लिखने से इन्कार

*७१—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर (सादात) १६ जून, १९६२ को सादियाबाद थाने के अन्तर्गत ग्राम हुरमुजपुर में एक किसान को लगान वसूली के सम्बन्ध में लाठी द्वारा अमीन ने बुरी तरह से पीटा। यदि हां, तो किसान को मारने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*७२—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त किसान उसी वक्त थाने में रिपोर्ट करने गया, लेकिन थाना इन्चार्ज ने यह कह कर टाल दिया कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध रिपोर्ट यहां दर्ज नहीं होती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार की रिपोर्ट करने के लिये किसी व्यक्ति को थाने पर जाने की सूचना नहीं है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

झांसी नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों की जांच

*७३—श्री लखपतराम शर्मा—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध करीब १ वर्ष हुआ प्रान्त की गुप्तचर पुलिस द्वारा पिकअप नं० ९६४४ यू० एस० जे० से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के मामले की जांच की गयी ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त मामले को न्यायालय में न दिये जाने का क्या कारण है, व जांच कब समाप्त हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। यह सही है कि उक्त मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा की गई थी। नगरपालिका झांसी के अध्यक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिये पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण इस मामले को न्यायालय नहीं भेजा गया और अप्रैल, १९६२ में जांच समाप्त कर दी गई।

डाकुओं की गोली से मृत श्री रामआसरे पांडेय के परिवार को पेंशन देने पर विचार

*७४—श्री रघुवीर—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी २ अगस्त, १९६२ ई०, २ बजे रात्रि डाकुओं से आशापुर चौमुहानी (सारनाथ) के समीप मुठभेड़ में पी० आर० डी० के एक हल्का सरदार राम आसरे पांडेय की गोली लग जाने से मृत्यु हो गई? यदि हां, तो क्या सरकार राम आसरे पान्डेय के परिवार को पेन्शन देने पर विचार करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, पी० आर० डी० के हल्का सरदार श्री राम आसरे पान्डेय की मृत्यु डाकुओं से मुठभेड़ में, गोली लग जाने से हुई। स्व० श्री राम आसरे पान्डेय के आश्रितों को असाधारण पेन्शन दिये जाने का मामला विचाराधीन है।

*७५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—[हटा दिया गया।]

देवरिया सेवायोजन कार्यालयों में पिछड़े वर्ग की भर्ती

*७६—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सेवा योजना कार्यालय देवरिया से गत वर्ष १९६१ में कितने आदमियों का नाम नौकरी के हेतु दर्ज था और उनमें से कितनों को नौकरी दी गयी तथा उसमें कितने पिछड़े वर्ग के व कितने अनुसूचित जाति के थे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१०,५०२ व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीकृत कराये जिनमें से ८८१ को नौकरी दिलायी गयी थी और उनमें ८० अनुसूचित जाति के थे। पिछड़े वर्ग से संबंधित पंजीयन तथा काम पाने वालों के आंकड़े सेवायोजन कार्यालयों में अलग से नहीं रखे जाते हैं।

कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, इटावा का प्रबन्ध

*७७—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि प्रस्तावित यू० पी० कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, इटावा का उद्घाटन गत २३ जुलाई को श्री मुख्य मंत्री द्वारा हो गया है?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

*७८—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस मिल के निर्माण की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? क्या सरकार वह भी बतायेगी कि इस मिल के प्रबन्धक एडहाक कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं और वे कब से हैं?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १००२ पर)

रामपुर बीड़ी मजदूरों के नेताओं की भूख-हड़ताल

*७९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर बीड़ी मजदूरों के दो नेता श्री मुश्ताक अहमद खां, सदर बीड़ी मजदूर यूनियन और श्री सलामत जान खां २० जुलाई से बीड़ी को मजदूरी एक रुपया १२ आने कराने के लिये भूख हड़ताल कर रहे हैं? क्या सरकार ने कारखानेदार और बीड़ी मजदूरों में समझौता कराने के लिये कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या बीड़ी मजदूरों के नेताओं ने भूख हड़ताल का नोटिस सरकार के पास भेजा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—भूख हड़ताल के नोटिस मिले थे और पक्षों में समझौता करने के प्रयत्न किये गये लेकिन शुरू में समझौता न हो पाया और भूख हड़ताल २० जुलाई से हुई। बहरहाल श्रमाधिकारियों के निरन्तर प्रयास से २८ जुलाई को एक समझौता हो गया और भूख हड़ताल २९-३० जुलाई, १९६२ को समाप्त हो गई।

दुबहा बाजार में पुलिस चौकी स्थापित करने की प्रार्थना

*८०—**श्री गंगाप्रसाद** (जिल गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २६ फरवरी, १९६२ को माननीय सभा सचिव श्री कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह के दौरे पर दुबहा बाजार, जिला गोंडा में सभा हुई थी और सभा में क्षेत्र की जनता ने प्रार्थना-पत्र दिया था कि उपरोक्त क्षेत्र में आये दिन चोरी, डकैती हुआ करती है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम दुबहा बाजार, जिला गोंडा के ग्रामवासियों ने दिनांक २६-२-६२ को नहीं बल्कि २९,६-६२ को हुई सभा में एक प्रार्थनापत्र सभा सचिव श्री देवेंद्र प्रताप सिंह को दिया था जिसमें उक्त ग्राम में एक पुलिस चौकी स्थापित करने की प्रार्थना की गई थी।

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जिला भ्रष्टाचार निरोधक समिति, रायबरेली

*८१—**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला भ्रष्टाचार निरोधक समिति रायबरेली के समक्ष वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं तथा वे कब से किन-किन अधिकारियों के विचाराधीन हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—३४ जिनमें से २१ में कार्यवाही की जा चुकी है। शेष १३ से संबंधित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १००३ पर)

विकास क्षेत्र 'राही' में किसान मेला

*८२—**श्री रतीपाल**—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली विकास क्षेत्र राही में पिछले साल किसान मेला हुआ था? यदि हां, तो किन-किन तारीखों में और उसमें कितना रुपया खर्च हुआ था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला रायबरेली के राही नाम के विकास क्षेत्र में पिछले साल किसान मेला नहीं हुआ था। इस संबंध में व्यय का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*८३—**श्री रतीपाल**—क्या यह सही है कि उपर्युक्त मेले के सिलसिले में चन्दा भी किया गया था? यदि हां, तो कितना और उसका हिसाब क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता।

आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार

*८४—**श्री भानुप्रतापसिंह**—क्या सरकार २ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न २८८,२८९ में जिस आई०ए० एस० अधिकारी के विषय में प्रश्न पूछा गया था, उसके विषय में निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करेगी:—

(क) अधिकारी का नाम,
(ख) किस जिला के जिलाधीश थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(क) श्री चन्द्र मोहन निगम, (ख) गोंडा ।

*८५—श्री भानुप्रतापसिंह—क्या यह सही है कि उपरोक्त अधिकारी को इस बार जब अस्थायी कमिश्नर का चार्ज दिया गया उसके पूर्व कई बार हायर (higher) चार्ज खाली होने पर अन्य अधिकारियों को जो उपरोक्त अधिकारी से जूनियर थे अस्थायी चार्ज दिलाया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। ऐसे अवसर अधिकतर कमिश्नरों के छुट्टी जाने पर ही उत्पन्न होते हैं और प्रथानुसार डिवीजन के ज्येष्ठतम जिलाधीश को ही स्थानापन्न रूप से कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। श्री चन्द्र मोहन निगम के जिलाधीश की पोस्टिंग की अवधि में केवल फैजाबाद डिवीजन में एक ही ऐसा अवसर आया ।

नगरमहापालिका वाराणसी

*८६—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार नगरमहापालिका वाराणसी को कागज बनाने तथा शुगर मिल के लिये लाइसेंस देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया—बैरिया बांध के उत्तरी क्षेत्र में दीमक का प्रकोप

*८७—श्री मैनेजरसिंह—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया बैरिया बांध के निर्माण के कारण उपरोक्त बांध के उत्तरी क्षेत्र में दीमक का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो सरकार दीमक के प्रकोप से बचाव का क्या उपाय सोच रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, बलिया—बैरिया बांध के निर्माण के कारण उक्त बांध के उत्तरी क्षेत्र में जहां बाढ़ का पानी जाना बन्द हो गया है, दीमकों का प्रकोप बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिये वी० एच० सी० (V. H. C.) तथा अल्ड्रेक्स जैसी कृमिनाशक औषधियों का अधिक से अधिक प्रयोग का प्रचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृषकों को नलकूप जैसे सिंचाई के साधनों का भी यथासंभव प्रयोग करने की सम्मति दी जा रही है, और उन्हें यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि खेतों में खरपतवार या फसलों की बची हुई खूंटियां आदि को जहां तक संभव हो, साफ कर दिया करें ताकि उन पर दीमकों के पनपने की संभावना शेष न रहे।

अतर्रा में रंगाई के कारखाने की आवश्यकता

*८८—श्री मतोलासिंह—टाउन अतर्रा, जिला बांदा में सरकार क्या कोई आधुनिक ढंग पर रंगाई का कारखाना खोलने व तैयार करने का विचार रखती है?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

तरबगंज अस्पताल में डाक्टर न होना

*८९—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की तहसील व थाना तरबगंज में जो राजकीय अस्पताल है उसमें कितने समय से डाक्टर का स्थान रिक्त है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गोंडा जिले में तरबगंज अस्पताल अन्तरिम जिला परिषद के अधीन है। वहां दिनांक ६-११-१९६० से डाक्टर का स्थान रिक्त है।

*९०—श्री शीतलप्रसाद—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जब से यह अस्पताल कायम हुआ, सन् १९५८ ई० तक कभी और डाक्टर का स्थान रिक्त हुआ था ? यदि हां, तो कितने समय तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९५० से १९५८ तक कभी भी तरबगंज अस्पताल में डाक्टर का स्थान रिक्त नहीं रहा ।

*९१—श्री शीतलप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में तहसील तरबगंज के परास ग्राम में एक चिकित्सालय खोलने के लिये सरकार के विचाराधीन था ? अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । एलोपैथिक अस्पताल के खोलने के प्रश्न पर विचार हो गया है और यह संभव नहीं है । आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने पर विचार जारी है ।

कानपुर में लोहे की चोरबाजारी

*९२—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत एक पक्ष के भीतर कानपुर में, फर्जी फर्मों तथा अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर बनाकर आयरन स्टील कंट्रोलर, तथा उत्तर प्रदेश उद्योग-विभाग से लाखों रुपयों के मूल्य का लोहा परमिट लेकर चोरबाजार में बेच देने वाले एक अन्तर प्रान्तीय गिरोह का पता चला है तथा इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री फूलसिंह—जनहित में इस प्रश्न का उत्तर देना उचित न होगा ।

विकास ब्लाक, रामसनेही घाट के कूप

*९३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि विकास ब्लाक राम सनेहीघाट जिला बाराबंकी के कूप कब बन कर तैयार हो गये तथा वह किसानों के लिये चालू कब हुये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कूप शासन द्वारा नहीं बनाये जाते हैं, बल्कि कृषक अपने कूप शासन से तकावी (ऋण) के रूप में सहायता लेकर स्वयं बनाते हैं । अतः कूपों के किसानों के लिये चालू किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य नलकूप से है तो राम सनेहीघाट ब्लाक में कोई नलकूप नहीं बनाया गया है । अतः उसके किसानों के लिये चालू किये जाने का प्रश्न भी नहीं उठता ।

गुरसराय एवं बामौर ब्लाकों में कूप निर्माण योजना

*९४—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के गुरसराय एवं बामौर ब्लाक में कौन-कौन से ऐसे गांव हैं जहां पानी पीने के कुयें नहीं हैं और सरकार की ओर से ऐसे गांवों में सरकारी व्यय पर कुयें बनवाने की क्या कोई योजना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—झांसी जिले के गुरसराय ब्लाक में ढुरवई एवं बामौर ब्लाक में पथरेड़ी ऐसे ग्राम हैं जहां पानी पीने के कुयें नहीं हैं । इन दोनों ग्रामों में इस वर्ष के अन्त तक एक-एक कुआं बनवाने की योजना है, जिसमें कुल व्यय का ७५ से ९० प्रतिशत तक सरकारी अनुदान दिया जा सकेगा, बशर्ते कि १० प्रतिशत गांव वाले नकद चन्दा दें और यदि आवश्यक हो तो १५ प्रतिशत तक की लागत का कार्य श्रमदान द्वारा सम्पन्न करें ।

*९५—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

चीनी मिलों की गन्ना पूर्ति

*९६—श्री छेदालाल चौधरी—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी १९६२–६३ के गन्ना सीजन में चीनी मिलों को गन्ना पूर्ति के लिये गन्ना उत्पादकों के गन्ने के सट्टे किये जाने के आधार या सिद्धांत क्या अपनाया जायेगा अर्थात् गन्ना उत्पादक की ३ वर्षीय सप्लाई अथवा उपज का आधार लिया जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६२–६३ सीजन में प्रदेश की चीनी मिलों को गन्ना पूर्ति के लिये गन्ना उत्पादकों के गन्ने के सट्टे (बांडिंग) का आधार उत्पादक द्वारा विगत तीन वर्षों के गन्ने की औसत सप्लाई होगी, किन्तु सट्टा अनुमानित उपज के ८५ प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ।

बीड़ी उद्योग कर्मचारी यूनियन, इलाहाबाद की मांगें

*९७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बीड़ी उद्योग कर्मचारी यूनियन, इलाहाबाद की ओर से दिनांक ३ जुलाई, १९६२ तथा दिनांक २४ जुलाई, १९६२ को उसे मजदूरों की मांगों के संबंध में कोई स्मृतिपत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं तथा सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां ।

उनमें उल्लिखित मुख्य-मुख्य मांगें तथा प्रत्येक के विषय में स्थिति के विवरण की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १००४–१००५ पर)

*९८—श्री होरीलाल यादव—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

रेलवे स्टेशन खुदागंज की लूट

*९९—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २ या ३ अगस्त, १९६२ को फर्रुखाबाद जिले में एन० ई० रेलवे का स्टेशन खुदागंज लूट लिया गया है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी, हां । दिनांक ३, ४ अगस्त, १९६२ की रात को डकैतों ने रेलवे स्टेशन खुदागंज पर डाका डाला व कुछ सरकारी व कुछ कर्मचारियों की निजी संपत्ति लूट ले गये । घटना में जांच जारी है ।

*१००—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसके पहले भी कभी उक्त स्टेशन लुट चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । इस स्टेशन पर दिनांक १६–८–१९५५ की रात को एक डकैती पड़ी थी ।

जिला बस्ती की ऐडवाइजरी कमेटी

*१०१—श्री जगदीश (बस्ती)—क्या जिला बस्ती की ऐडवाइजरी कमेटी जो अदालती पंचों के चुनाव के लिये बनाई गई थी, पार्टी के आधार पर बनाई गई थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

*१०२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[हटा दिया गया ।]

*१०३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—[१२ वें सोमवार के लिये प्रश्न ३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

कोड़ा-जहानाबाद के लिए बिजली की स्वीकृति

*१०४—श्री बद्रीप्रसाद (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया कस्बा कोड़ा जहानाबाद तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर में बिजली पहुंचाने का वह विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ । इस नगर के विद्युतीकरण की स्वीकृति हो गई और आशा है कि उक्त नगर का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हो जायेगा ।

*१०५—श्री बद्रीप्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि कोड़ा जहानाबाद टाउन एरिया तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर में बिजली लगाने के लिये खम्भे आदि सामान पहुंचाया गया है फिर बिजली लगाना बन्द कर दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एल० टी० मेन्स बिछा दिये गये हैं, परन्तु आगे काम आवश्यक सामान, जैसे तार आदि के अभाव में न बढ़ सका । आवश्यक सामान मंगा रक्खा है और इसके शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

तालगांव थाना क्षेत्र में मुकदमे

*१०६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना तालगाँव, जिला सीतापुर के क्षेत्र के अन्तर्गत कितने मुकदमे आई० पी० सी० की धारा १०७, १०८, १०९, ११० में चल रहे हैं और उनको चलते हुये कितने दिन हो गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई नहीं ।

*१०७—श्री बिपिन बिहारी तिवारी—क्या प्रादेशिक सरकार इन धाराओं को आई० पी० सी० से हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

नियोजन विभाग में ड्राइवरों का वेतन

*१०८—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग के जिला स्तर के काम करने वाले ड्राइवरों का वेतन क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नियोजन विभाग के जिला स्तर पर काम करने वाले ड्राइवरों का वेतन क्रम रु० ४०—२—बाई०—५०—ई० बी०—३—बाई—६५ है ।

*१०९—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या यह सत्य है कि उनको अन्य उसी स्तर के कर्मचारियों, चपरासियों आदि के हिसाब से डी० ए० नहीं दिया जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ । ड्राइवर दैनिक भत्ते के अधिकारी तभी हो सकते हैं जब वे अपने मुख्यालय से बाहर कम से कम एक रात्रि के लिये ठहरें ।

*११०—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—यदि हाँ, तो क्या सरकार इस असमानता को दूर करने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

एटा जिले में बुढ़ गंगा पर पुल की आवश्यकता

*१११—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला एटा तहसील अलीगंज में पटियाली के पास बुढ़गंगा पर पुल बनाने की आवश्यकता दर्शाते हुये कभी कोई प्रस्ताव या प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो क्या और कब और इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला एटा तहसील अलीगंज में पटियाली के पास बुढ़ गंगा पर पुल बनाने की आवश्यकता दर्शाते हुये प्रश्न कर्ता के पत्र मई, १९६२ में प्राप्त हुये थे। इन पर मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से रिपोर्ट माँगी गई है जो शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

*११२—श्री लखीसिंह—[१३ वें बुधवार के लिए प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बाबा खेलारीदास द्वारा निर्मित सड़क पर पुलियों की आवश्यकता

*११३—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को यह पता है कि श्री बाबा खेलारी दास निवासी हंसवापुर जिला बाराबंकी में श्रमदान द्वारा १६ मील कच्ची सड़क का निर्माण किया है मगर जगह व जगह पुलों के निर्माण की आवश्यकता है जिसके न बनने से यह श्रम बेकार हो जाने की संभावना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हाँ, श्री बाबा खेलारी दास, निवासी हंसवापुर द्वारा जिला बाराबंकी व रायबरेली में कुल १६ मील लम्बी सड़क का निर्माण श्रमदान से किया गया है। इस सड़क पर जहाँ कहीं पुलियों की आवश्यकता है, वहाँ ग्राम सभाएं उन पुलियों के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। जहाँ तक बड़े पुलों का प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग से आवश्यक निरीक्षण करने तथा वाँछित पुलों के निर्माणार्थ अनुमानाँक तैयार करने का अनुरोध किया गया है। किन्तु यदि किसी बड़े पुल अथवा पुलों की वस्तुतः आवश्यकता हुई तो उसका निर्माण सम्बधित जिला परिषद् का उत्तरदायित्व होगा।

*११४—श्री भगवानदीन—क्या सरकार अपने अभियन्ता द्वारा इसका निरीक्षण कराकर आवश्यक पुलों का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—चूंकि पुलों का निर्माण जिला परिषद् और पुलियों का निर्माण ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत होता है, अतः शासन द्वारा उनके निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

बदौसा—बघैलाबारी सड़क बनाने की आवश्यकता

*११५—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि बदौसा से बघैलाबारी तक ६ मील पक्की सड़क का तिजारती पहलू से पक्की होना बहुत जरूरी है और जिसका सम्बन्ध सीधा कोलुवा जंगल से भी है और इसके बन जाने से उत्तर प्रदेश का सीधा सम्बन्ध मध्य प्रदेश से हो जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बदौसा से बघेलावारी सड़क जिला परिषद् बाँदा की है। यह ६ मील लम्बी है, तिजारती दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है। कोलुवा जंगल से जो लकड़ी आदि निकलती है वह इसी सड़क द्वारा आती है। इस दृष्टिकोण से अन्य देहाती सड़कों की अपेक्षा इस सड़क का कुछ महत्व है। बदौसा—बघेलाबारी तक पक्की सड़क बन जाने से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से पक्की सड़क द्वारा कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित होता।

*११६—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को बनाने को सोच रही है और अगर बनाने का विचार है, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद् की है और इसके रख-रखाव का उत्तरदायित्व परिषद् का है।

धौरहरा क्षेत्र में पुल निर्माण योजना

*११७—श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि धौरहरा एसेम्बली क्षेत्र जिला खीरी में सुखनी बहा व सिंगावर के पास दहावर में पुलों का निर्माण किस समय तक हो जावेगा ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—प्राप्त सूचनानुसार आशा की जाती है कि गन्ना विकास परिषद् के वर्ष १९६२-६३ के भीतर पुलों का निर्माण हो जावेगा।

श्रम सम्बन्धी केसेज में एवार्ड्स का इम्प्लीमेन्टेशन

*११८—श्री रक्षपालसिंह—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निम्न वादों (केसेज) के सम्बन्ध में दी गई एवार्डस् के निर्णयों की अलग-अलग तिथियाँ क्या हैं ? सरकार ने उनके इम्प्लीमेन्टेशन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और कर रही है तथा उपरोक्त एवार्ड्स का इम्पलीमेन्टेशन कब तक हो जावेगा—

(क) एड्जू० केस नं० १८६/५६, वर्कमैन बनाम कानपुर ब्रास वर्क्स एण्ड फ्लावर मिल्स, कानपुर—आर० डी० केस नं० १०, ६० फैसला २५ मार्च, १९६२।

(ख) एडजूडिकेशन केस नं० ९५/५७, फैसला ३० दिसम्बर, १९५७, एण्ड इनफोर्स्ड दे दिये नोटिफिकेशन नं० ५६२/टी० डी०/XXVI-ए—५४ (टी० डी०)—५६, दिनांक ७ फरवरी, १९५८, आर० डी० केस २२३-५८, फैसला २० जून, १९५८।

(ग) फैसला एस० आई० टी०, रेफरेन्स नं० १२, ५६ वर्कमैन बनाम मेसर्स जे० के० काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर, सर्वश्री दुर्गादत्त तथा गंगा नारायण के इम्प्लायमेंट देने के सम्बन्ध में रिफ्यूजल।

(घ) इम्पलीमेंटेशन आफ एग्रीमेंट एवार्ड इन एडजूडिकेशनल केस नं० १२५/६०, तथा नं० ९८/६० वर्कमैन बनाम जगदीश रोलिंग वर्क्स आर० डी० केस नं० २६९, एण्ड २६८ सन् १९६१ फैसला, १० अगस्त, १९६१।

(ङ) आर्बीट्रेशन एवार्ड इन आर० डी० केस नं० १/६०, आर० डी० केस नं० २१४/६१, फैसला २२ जुलाई, १९६१। वर्कमैन बनाम जगदीश रोलिंग वर्क्स ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्नगत वादों के सम्बन्ध में विवरण एक तालिका में दिया गया है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १००६-१००७ पर)

केसा में दुर्घटना

*११९—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (केसा) रीवर साइड पावर हाउस खराब हो जाने के कारण दो आदमियों की मृत्यु हो गई तथा अनेक व्यक्ति घायल हो गये ? यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के क्या कारण थे ? उससे केसा का कितना नुकसान हुआ तथा एडमिनिस्ट्रेशन ने या सरकार ने क्षतिग्रस्त व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सहायतार्थ क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अन्य ६ व्यक्ति घायल हो गये।

दुर्घटना का कारण एक ब्वायलर के फर्नेस चैम्बर में आग का विस्फोट था। यह विस्फोट प्रज्वलित करने वाले तैल लैम्प के (स्टार्टिंग आयल बरनर) एका-एक बुझ जाने के कारण हुआ।

विस्फोट के कारण ब्वायलर को पहुंची क्षति बहुत साधारण किस्म की है जिसकी मरम्मत का अनुमानित व्यय १२५० रुपये है। विस्फोट के कारण जले हुये आहत व्यक्तियों को तुरन्त लाला लाजपतराय चिकित्सालय पहुंचाया गया तथा केसा ने घायलों के लिये विशेष औषधि एवं उपयुक्त शक्तिवर्धक आहार पर घायलों के अस्पताल में रहने की अवधि में लगभग १,००० रुपया व्यय किया।

दुर्घटना के कारण मरे हुए व्यक्तियों के परिवारों को मृतकों का अर्जित वेतन, ग्रेचुटी आदि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेंस कारपोरेशन मृतकों के आश्रितों को आश्रित हित लाभ तथा घायल व्यक्तियों को नकद हित लाभ, जो इम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेंस ऐक्ट के अनुसार उन्हें मिल सकता है, प्रदान करेगा।

बरसाना थाना अन्तर्गत नाहरा ग्राम में हताहत होने की घटना

*२०—**श्री लखीसिंह**—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छाता तहसील के थाना बरसाना, ग्राम नाहरा में हरदयाल पुत्र लल्लू को जनवरी, सन् १९६२ से अब तक की अवधि में कत्ल किया है और भिगोल पुत्र लल्लू व चिरंजी पुत्र कन्हैया, सूरजमल पुत्र छतर के शरीर में छरें लगे हैं इस घटना पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, इस प्रकार की एक घटना १५-१६ जुलाई, १९६२ की रात्रि में हुई। पुलिस ने मामले की जाँच करके अभियुक्तों का चालान किया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

मथुरा व कोसी में बिजली की अव्यवस्था

*१२१—**श्री राधेश्याम शर्मा**—क्या सरकार मथुरा शहर व कोसी नगरपालिका में बिजली की अव्यवस्था दूर करने के लिये बिजली का प्रबन्ध अपने हाथ में ले रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अव्यवस्था दूर करने का एकमात्र उपाय कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लेना नहीं है। अगर और उपाय न हुआ तो ऐसा भी हो सकता है।

उमरी गांव में आग्नेयास्त्रों का अवैध कारखाना

*१२२—**श्री सत्यनारायण पांडेय** (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में धूरपुर थाने के अन्तर्गत उमरी गाँव में कोई आग्नेय-शस्त्रों के बनाने का कारखाना इस सप्ताह में पकड़ा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ।

*१२३—**श्री सत्यनारायण पांडेय**—यदि हाँ, तो उसका क्या विवरण है और उपरोक्त अवैध कारखानों की तलाशी किस थाने की सूचना के आधार पर हुई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विवरण, जिसमें प्रश्न के दूसरे भाग से सम्बन्धित सूचना भी दी हुई है †संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १००८ पर।)

*१२४—**कुंवर श्रीपालसिंह**—[हटा दिया गया।]

गोंडा के वकील का पीटा जाना

*१२५—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा नगर के प्रमुख वकील जो एक केस के सम्बन्ध में ग्राम मधवापुर निकट रेलवे स्टेशन टिकरी गये हुये थे उनको बदमाशों ने बुरी तरह मारा ? यदि जवाब हाँ में है, तो सदन की मेज पर पूर्ण विवरण सरकार रखने की कृपा करेगी ?

*१२६—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त वकील को नगर के प्रमुख गुन्डों ने वह हरकत की है तो उन गुन्डों का क्या नाम है ?

*१२७—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा नगर के वकील जिन को गुन्डों ने ग्राम मधुवापुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे जनता में असंतोष है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस घटना का विवरण, जिसमें मारने वालों के नाम तथा मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का भी उल्लेख है, संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ १००९ पर।)

बन्दूक का लाइसेंस देने के सम्बन्ध में आदेश

*१२८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जो छोटे-छोटे गाँव हैं, और जहाँ लाइसेंसदार नहीं हैं अधिकाँश उन्हीं गाँवों में डकैतियाँ पड़ती हैं तो क्या सरकार के सम्मुख यह समस्या विचाराधीन है कि इन छोटे-छोटे गाँव में भी बन्दूकों के लाइसेंस देने की व्यवस्था की जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डकैतियाँ छोटे व बड़े दोनों प्रकार के उन्हीं गाँवों में पड़ती हैं जहाँ धन आदि मिलने की संभावना रहती है । ऐसे गाँवों में जहाँ कोई ग्राम रक्षा समिति तथा लाइसेंसदार नहीं है बन्दूक के लाइसेंस देने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश बहुत पहले जिलाधीशों को दिये जा चुके हैं ।

बकसांवा निवासी श्री भाई लाल अभियुक्त की अस्पताल में भर्ती

*१२९—श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी के कोठी थाना में २५ जून, १९६२ को बकसांवा के लोगों ने ३२४ धारा के तहत कोई रपट दर्ज कराई है ? क्या यह सच है कि जख्मी अभियुक्त के मुआयने और इलाज की स्थानीय पुलिस ने कोई व्यवस्था नहीं की और सीधे उसे दूसरे दिन जेल भेज दिया ? क्या यह भी सच है कि उपरोक्त अभियुक्त की हालत खराब होने पर तुरन्त जेल डाक्टर ने बाराबंकी जिला अस्पताल को इलाज के लिये वापस कर दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ, उक्त तिथि को ग्राम बकसाँवा निवासी श्री भाई लाल ने एक रिपोर्ट धारा ३२४ के अन्तर्गत दर्ज कराई थी । वह एक डकैती के मुकदमे में अभियुक्त थे और उनकी शिनाख्त कार्यवाही होनी आवश्यक थी अतः पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया ।

थाने के निकट कोई अस्पताल नहीं है जहाँ श्री भाई लाल की चोटों का मुआयना और इलाज हो सकता । रात में कोई सवारी भी प्राप्य नहीं थी अतः उन्हें रात भर हवालात में ही रहना पड़ा । दूसरे दिन सवारी मिलते ही श्री भाई लाल को सदर बाराबंकी भेज दिया गया । वहाँ पहुंचने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया । जेल डाक्टर की राय के अनुसार उन्हें उसी दिन सदर अस्पताल में भरती करा दिया गया था ।

कानपुर में अपराधों में वृद्धि

*१३०—श्री राजनारायण मिश्र—क्या मुख्य मंत्री को इस बात की सूचना है कि केन्द्रीय सरकार की सेन्ट्रल रिपोर्ट १९६० के अनुसार जिसके प्रकाशन का समाचार अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह के समाचार-पत्रों में आया, सम्पूर्ण भारतवर्ष की तुलना में कानपुर ने अपराधों की वृद्धि में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और अपराधों की ६८.४ प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि देश के अन्य बड़े नगरों में, जैसे बम्बई १३.९, अहमदाबाद ५.६, मद्रास ७.३, और कलकत्ता में ५.८ कमी हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार इन अपराधों को अविलम्ब रोकने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। यह ठीक है कि सन् १९५७, १९५८ तथा १९५९ में दस्तन्दाजी अपराधों की संख्या के औसत पर १९६० में कानपुर में ६८.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो सम्पूर्ण भारतवर्ष में सबसे अधिक है। यह सही नहीं है कि बम्बई नगर में इन अपराधों की संख्या में १३.९ तथा अहमदाबाद में ५.६ प्रतिशत कमी हुई है बल्कि इन नगरों में १३.९ तथा ५.६ प्रतिशत की क्रमशः वृद्धि हुई है। मद्रास तथा कलकत्ता में अपराधों की संख्या में क्रमशः ७.३ तथा ५.८ की कमी अवश्य हुई है।

कानपुर में अपराधों में वृद्धि का प्रमुख कारण यह है कि नगर पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है और शहर में पुलिस की कमी के कारण अपराधों की रोक थाम का समुचित प्रबन्ध नहीं हो पाता। पुलिस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर पुलिस की संख्या बढ़ाने तथा पुनः-संगठन पर विचार किया जा रहा है।

कालपी में श्री झुनकूलाल के गोदाम में चोरी

*१३१—श्री राजनारायण मिश्र—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि तारीख २ अगस्त, १९६२ की रात को कालपी, जिला जालौन में सशस्त्र डाकुओं ने बीच बाजार में नगर के एक प्रमुख व्यापारी श्री झुनकूलाल के यहां हमला किया और इस हमले का मुकाबला बाजार के चौकीदार एवं बस्ती के अन्य व्यक्तियों ने गोली और पत्थरों से किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तारीख २-८-६२ को नहीं, बल्कि दिनांक ३, ४-८-६२ की रात में श्री झुनकूलाल के गोदाम में चोरी करने का प्रयत्न किया गया। कोलाहल पर चौकीदार व बस्ती के अन्य व्यक्तियों ने चोरों का मुकाबिला किया और इस दौरान में एक गोली भी चलाई गई।

*१३२—श्री राजनारायण मिश्र—यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे कि भविष्य में नगर के जन-जीवन की सुरक्षा हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कस्बा कालपी में सुचारु रूप से पुलिस गश्त का प्रबन्ध कर दिया गया है और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

*१३३—श्री वृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

भटनी विकास खण्ड के कार्य

*१३४—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया के भटनी विकास खंड में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से कार्य किये जायेंगे और किस जगह विकास खंड बनेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास खंड भटनी जिला देवरिया में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में होने वाले कार्यों की सूची विकास मंत्री के कार्यालय में देखी जा सकती है। इस विकास खंड के मुख्यालय की स्थिति के प्रश्न पर खंड विकास समिति, भटनी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

बड़ा गांव की जमीन ब्लाक के लिये लेना

*१३५—श्री लखपतराम शर्मा—क्या श्रम तथा सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम बड़ा गांव, जिला झांसी में जो ब्लाक की इमारतें बनाई जाने वाली हैं, जिन स्थानों पर यह इमारतें बनना है वहां की सारी जमीन खेती के लिये बहुत ही उपजाऊ है, वहां बहुत लोगों का जीवन निर्वाह उसी से होता है ? क्या यह सत्य है कि काश्तकारों को जबरदस्ती जमीन का मामूली मुआवजा दिया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बड़ा गांव ग्राम में ब्लाक के भवनों के निर्माण के लिये भूमि हस्तगत जरूर की जा रही थी, किन्तु इस समय तत्संबंधी कार्यवाही स्थगित कर दी गई है । इसी बीच में, संबंधित खंड विकास समिति ने इस आशय का प्रस्ताव पास कर दिया है कि बड़ा गांव ब्लाक का मुख्यालय बड़ा गांव के बजाय कोछाभांवर में रहे । इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त बड़ा गांव में भूमि लेने के संबंध में भी निर्णय होगा ।

*१३६-१३८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३९—श्री विजयपालसिंह—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

श्री ठाकुरप्रसादसिंह तथा श्री छत्रमल गुप्त का अलीगढ़ जिले से स्थानान्तरण न होना

*१४०—श्री लखीसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अलीगढ़ में ऐसे कितने डिप्टी कलेक्टर तथा तहसीलदार नियुक्त हैं जिनको इस जिले में तीन साल से अधिक कार्य करते हो गया है, उनका क्या-क्या नाम है और उनका तबादला क्यों नहीं किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक डिप्टी कलेक्टर तथा एक तहसीलदार । उनके नाम क्रमशः श्री ठाकुर प्रसाद सिंह और श्री छत्र मल गुप्त हैं । (Package Scheme) के अन्तर्गत अलीगढ़ जिले के सभी तहसीलों में एक साथ चकबन्दी का कार्य होने के कारण श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, जो उस जिले के बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) हैं, का स्थानान्तरण नहीं किया गया । श्री छत्रमल गुप्त का स्थानान्तरण किया गया था, मगर प्रशासकीय कारणवश रद्द कर दिया गया ।

*१४१—श्री लखीसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि किसी अफसर का तबादला कितने समय बाद हो जाना अनिवार्य है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलों में तैनात अधिकारियों का स्थानान्तरण साधारणतया तीन वर्ष पूरे हो जाने पर कर दिया जाता है, किन्तु असाधारण परिस्थितियों में उन्हें कुछ और काल के लिये रहने दिया जाता है ।

*१४२—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

सिरसिया विकास क्षेत्र में आलू के बीज का वितरण

*१४३—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के सिरसिया विकास क्षेत्र में ग्राम सेवकों से आलू के बीज का दाम वसूल करने के जिला नियोजन अधिकारी ने जो आदेश अपने पत्र संख्या १५/दू०, कृषि-२८, दिनांक १६ मई, १९६२ को बी० डी० ओ० सिरसिया को भेजा है उसके लिये ग्राम सेवकों ने किस तिथि को आलू के बीज की मांग की थी तथा किस तिथि को आलू सिरसिया पहुंचा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—क्षेत्रीय विकास अधिकारी सिरसिया ने अपने पत्र संख्या २७२०, दिनांक ३१–८–५९ द्वारा २० मन आलू की मांग समय से ५ दिन पहले की थी ।

आलू का बीज कोल्ड स्टोरेज से जिले में दिनांक १०–११–५९ को प्राप्त हुआ था और दिनांक ११–११–१९५९ को ही विकास क्षेत्र सिरसिया भेज दिया गया जो दिनांक १३–११–५९ को समय से सिरसिया पहुंच गया था ।

बीच का किस्म मिलिट्री स्पेशल था जिसकी बुआई का समय ही नवम्बर माह होता है । जिले का अधिकांश भाग तराई है जिसमें सबसे अधिक तराई भाग सिरसिया है । सिरसिया क्षेत्र में बाढ़ का दौर नवम्बर माह तक चलता रहता है अतः आलू आदि की बुआई आधे नवम्बर के पश्चात् ही होती है ।

*१४४—**श्री मुन्नूसिंह**—आलू के बीज सिरसिया पहुंचने की सूचना ग्राम सेवकों को किस तिथि में दी गई और इस विषय में उनके हस्ताक्षर किस तिथि में प्राप्त किये गये थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—संयोगवश दिनांक १३–११–५९ को सिरसिया ब्लाक के कर्मचारियों की स्टाफ मीटिंग थी अतः आलू सिरसिया पहुंचने की सूचना दिनांक १३–११–५९ को ही ग्राम सेवकों को देकर स्टाफ मीटिंग रजिस्टर में हस्ताक्षर ले लिये गये थे ।

*१४५—**श्री मुन्नूसिंह**—क्या इस विषय पर इसके पूर्व भी विभागीय लिखा पढ़ी हुई थी और अन्य कर्मचारी इसके उत्तरदायी ठहराये गये थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । इस विषय पर वसूली का अन्तिम आदेश देने से पहले पूछ तांछ की गई । परिणाम स्वरूप जो कर्मचारी उत्तरदायी पाये गये उनसे वसूली के आदेश दिये गये ।

सोरांव तहसील में डकैतियां

*१४६—**श्री बंशीलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले के तहसील फूलपुर और तहसील सोरांव में गत जुलाई, सन् १९६२ से अब तक कितनी डकैतियां हुई और उन डकैतियों में कितने-कितने व्यक्ति पकड़े गये और कितना-कितना माल बरामद हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जुलाई, १९६२ से ३०–८–६२ तक सोरांव तहसील में कुल ४ डकैतियां पड़ीं । इन डकैतियों में से तीन में क्रमशः ८९८ रु०, २९१ रु० व ७६ रु० का माल लूटा गया । चौथी डकैती में कोई माल नहीं लुटा । किसी मामले में कोई माल बरामद नहीं किया जा सका । ये सब डकैतियां एक ही गिरोह द्वारा डाली गई हैं अतः इनके संबंध में ८ व्यक्ति पकड़े गये हैं ।

इस अवधि में तहसील फूलपुर में कोई डकैती नहीं पड़ी ।

*१४७—**श्री बृजमोहनलाल गुप्त** (जिला बांदा)—[हटा दिया गया ।]

*१४८–१४९—**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

तुलसीपुर चीनी मिल कर्मचारियों को बोनस न मिलना

*१५०—**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६०–६१ के सीजनल बोनस के संबंध में जो निर्णय त्रिदलीय कान्फ्रेन्स, नैनीताल में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में लेबर अपिलेट ट्रेबुनल के फारमूले को तथा वेज बोर्ड के फारमूले को कमेटी द्वारा विचार करने का किया था उसे बोनस कमेटी ने कार्यान्वित किया या नहीं ? यदि नहीं, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---१९६०-६१ सीजन के बोनस के संबंध में हुई त्रिदलीय सम्मलन में यह निर्णय हुआ था कि सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की जायेगी जो सामान्य रूप से चीनी उद्योग के केन्द्रीय वेतन मण्डल की सिफारिशों के आधार पर एवं आपसी समझौते द्वारा देय बोनस के प्रश्न पर विचार करेगी। इस निर्णय के अनुसार बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी और सरकार ने उसे मानकर १ मई, १९६२ को लागू भी कर दिया।

*१५१---श्री सुखदेवप्रसाद---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १९६०-६१ के बोनस के संबंध में बनाई गई कमेटी में स्वतंत्र चीनी मिल कर्मचारी यूनियन, तुलसीपुर, जिला गोंडा के प्रतिनिधियों ने कोई समझौता इस बोनस के संबंध में किया या उनको कोई मौका इस कमेटी में अपने विचार प्रकट करने का दिया गया या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---कमेटी में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हो गया था, अतः किसी व्यक्तिगत यूनियन को कमेटी के समक्ष विचार प्रकट करने का कोई मौका देने का प्रश्न ही नहीं था।

*१५२---श्री सुखदेवप्रसाद---तुलसीपुर, जिला गोंडा चीनी मिल के जीवनकाल में शुगर प्रोडक्शन १९६०-६१ में सबसे अधिक हुआ फिर भी उस वर्ष के हिसाब से वहां के कर्मचारियों को बोनस सरकार द्वारा नहीं दिलाया गया ? कब तक उचित कार्यवाही करके बोनस दिलाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---१९६०-६१ के सीजन का बोनस बनाई गई चीनी की मात्रा के आधार पर नहीं बांटा गया है। इस ऋतु के देय बोनस के संबंध में सरकारी आदेश १ मई, १९६२ को ही लागू कर दिया गया अतः इस फैक्ट्री के श्रमिकों को बोनस दिलाने के संबंध में अब कोई कार्यवाही संभव नहीं।

बिसवां थानान्तर्गत जानवरों की चोरी

*१५३---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)---क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि थाना बिसवां, जिला सीतापुर में अधिक तादाद में जानवरों की चोरी की घटनायें हो रही हैं और वह जानवर बदमाशों द्वारा जानवरों की कीमत का आधा मूल्य पा जाने पर जिनके जानवर चोरी जाते हैं उनको वापस कर दिये जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

*१५४---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---क्या सरकार इस तरह की Black Mailing जिससे कि किसान त्रस्त हो रहे हैं रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न नहीं उठता।

*१५५-१५७---श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़), श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखण्डेराय---[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

फूलपुर तहसील में टाट पट्टी का कार्य

*१५८---श्री बंशीलाल---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद की फूलपुर तहसील में टाट पट्टी का कार्य कितने दिनों से हो रहा था ? उसमें कितनी बिक्री तथा उत्पादन होता था और कितने व्यक्ति काम कर रहे थे ?

श्री फूलसिंह—इलाहाबाद की फूलपुर तहसील में चलने वाला टाट पट्टी कला का केन्द्र प्रथम १९५५–५६ वित्तीय वर्ष में बाबूगंज (इलाहाबाद) में स्थापित किया गया था। वित्तीय वर्ष १९५६–५७ से १९६१–६२ तक यह केन्द्र फूलपुर में चलता रहा। उसमें होने वाले उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वित्तीय वर्ष		उत्पादन	बिक्री
		रु० न०पै०	रु० न०पै०
१९५५–५६	..	१०,४६४.२८	१०,२४५.३७
१९५६–५७	..	१०,३८९.६७	१०,०४०.४९
१९५७–५८	..	१०,८७०.२४	१०,१३४.९५
१९५८–५९	..	१३,८८९.४१	१२,४११.५२
१९५९–६०	..	१०,४४५.२५	१०,७५८.७६
१९६०–६१	..	८,३७६.५२	८,७९९.९२
१९६१–६२	..	३,६५८.८३	३,६५८.८३

इस केन्द्र में ३ व्यक्ति काम कर रहे थे।

*१५९—श्री बंशीलाल—क्या यह सही है कि फूलपुर तहसील, जिला इलाहाबाद से यह स्कीम तोड़ दी गई? यदि हां, तो जो व्यक्ति उसमें काम करते थे उनको कहां जगह दी गई?

श्री फूलसिंह—जी हां।

उक्त केन्द्र के कर्मचारियों को निम्नलिखित पदों पर जगह दी गई थी—

१—शिक्षक—सरकारी टाइप योजना के अन्तर्गत बिजनेस मैनेजर, सरोआ ब्लाक, इलाहाबाद।

२—चपरासी—सेरीकल्चर स्कीम अजीतमल, जिला इटावा।

३—चौकीदार—प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना के अन्तर्गत फूलपुर केन्द्र पर।

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज, वाराणसी

*१६०—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में अब तक कुल कितने व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ? उसमें कुल कितने अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गत तीन वर्षों में, अर्थात् १९५९ से १९६१ तक ५४,६२४ व्यक्तियों ने अपना पंजीयन कराया जिनमें से ५,३९० अनुसूचित जाति के तथा ११ अनुसूचित जनजाति के थे।

*१६१—श्री हरिगैनराम—क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी एम्पलायमेंट ऐक्सचेन्ज द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को नौकरी दी गई? उसमें कुल कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त अवधि में ३,६९७ व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई जिनमें से ५०३ अनुसूचित जाति तथा २ अनुसूचित जनजाति के थे।

*१६२—श्री कैलाश—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६३—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६४—श्रीमती शकुन्तलादेवी—[हटा दिया गया।]

कानपुर में टी० बी० अस्पताल

*१६५—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर में कितने टी० बी० के अस्पताल हैं तथा कितने मरीजों को भरती करने की सुविधा उपलब्ध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानपुर में टी० बी० के ६ अस्पताल एवं क्लीनिक हैं जिनमें मिलाकर १६२ इन डोर शैय्याओं का प्रबन्ध है।

*१६६—श्रीमती सुशीला रोहतगी—जो वर्तमान सुविधायें शासन की ओर से टी० बी० के रोगियों को प्रदत्त हैं, उन्हें कम समझते हुये सरकार शीघ्र से शीघ्र Domicilliary Treatment यानी घरेलू चिकित्सा चालू करने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—टी० बी० के रोगियों के लिये (Domicilliary Treatment) घरेलू चिकित्सा का प्रबन्ध द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से ही प्रारम्भ हो गया है तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस सुविधा को और विस्तृत किया जा रहा है।

सूती मिल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की सिफारिश

*१६७—श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० सम्पूर्णानन्द समिति ने सूती मिलों में कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो कितना रुपया प्रतिमास ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, डा० सम्पूर्णानन्द के मध्यस्थ निर्णय के अनुसार उसके प्रतिपालन के उपरान्त संबंधित श्रमिकों का उपार्जित वेतन बढ़ेगा। कार्यभार और काम करने की हालतों के मुताबिक स्थिति चालू होने पर ही बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू होगा और तब ही बताया जा सकता है कि कितना रुपया प्रतिमास बढ़ेगा क्योंकि उपर्युक्त मध्यस्थ निर्णय के अनुसार विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों का वेतन उनके कार्यभार से संबंधित है।

*१६८—श्री रामायणराय—क्या श्रम मंत्री उक्त समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मध्यस्थ निर्णय की† प्रति माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मेज पर रख दी गई है।

सिधौली विकास खण्ड में झगड़ा

*१६९—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ८ अगस्त, १९६२ की रात्रि में सीतापुर जिला अन्तर्गत सिधौली विकास खंड के सरकारी कर्मचारियों एवं ब्लाक प्रमुख में झगड़ा हो गया ? यदि हां तो (१) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक प्रमुख ने सरकार को क्या रिपोर्ट दी ? (२) क्षेत्र विकास अधिकारी ने सरकार को क्या रिपोर्ट दी ?

---

†छापी नहीं गई।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, ब्लाक प्रमुख तथा क्षेत्र विकास अधिकारी दोनों की रिपोर्ट † माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत हैं।

*१७०–१७१—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़), श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री हीरालाल यादव तथा श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—[४ अक्तूबर १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७२–१७३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७४–१७६—श्री मंगलदेव—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७७–१७८—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

रिवाल्वर लाइसेंस के लिए विधायक का प्रार्थना-पत्र

*१७९—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता द्वारा रिवाल्वर के लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्र पर कमिश्नर बरेली ने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, बरेली से अच्छे चाल चलन की तस्दीक मांगी है? यदि हां, तो क्या विधायकों के इस प्रकार के प्रार्थनापत्रों के संबंध में यही नियम बनाये गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कमिश्नर ने एक रिपोर्ट मांगी थी परन्तु वह किस विषय पर थी बताना उचित न होगा। इस प्रकार के प्रार्थना-पत्रों के संबंध में जो नियम बनाये गये हैं वे सब पर एक जैसे लागू होते हैं। लाइसेंसिंग अथारिटी को अधिकार है कि वह जैसी जांच आवश्यक समझे कर सकता है।

जसपुरा छाया खण्ड

*१८०—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक जसपुरा, जिला बांदा में भवन निर्माण का कार्य अभी तक क्यों प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला बांदा का ब्लाक जसपुरा अभी छाया खंड है, भवन निर्माण की कोई भी योजना व प्राविधान छाया स्तर पर नहीं किया जाता है।

*१८१—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ब्लाक में भवन-निर्माण का स्थान अन्तिम रूप से निश्चित हो चुका है? यदि हां, तो कहां?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। भवन निर्माण के स्थान का प्रश्न छाया स्तर पर उठता ही नहीं है। छाया खंड जब पूर्व प्रसार खंड में परिवर्तित हो जाता है तब यह प्रश्न कि, "इस विकास खंड का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाये"—संबंधित क्षेत्रीय विकास समिति की राय से तय किया जाता है।

*१८२—श्री रघुनाथसिंह—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

दिगरौता इलाके में डाकुओं की गिरफ्तारी

*१८३—श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आगरा जिला के दिगरौता के इलाके में तारीख ८–९ जून, १९६२ को कोई डकैती का केस हुआ?

---

† छापी नहीं गयी।

क्या सरकार को यह भी पता है कि दिगरौता डकैती केस में धौलपुर के कुछ व्यक्ति मय रायफल एवं जेवरात आदि के गिरफ्तार किये गये ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या थे और उनके साथ क्या कानूनी कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिगरौता इलाके में उक्त तिथि में कोई डकैती का केस नहीं हुआ। नगला वूजा मजरा, ग्राम दिगरौता में तीन व्यक्ति (१) अजमेरसिंह, (२) श्रीपत, (३) घूरेसिंह नाजायज हथियार रखने के अपराध में ७ जून, १९६२ को गिरफ्तार किये गये। इनमें से दो थाना कोतवाली धोलपुर के क्षेत्र के निवासी हैं। ये व्यक्ति ग्राम पटलौनी, जिला मथुरा की एक डकैती से भी संबंधित हैं। आगरा जिला की पुलिस ने इन तीनों व्यक्तियों का चालान धारा १९ आर्म्स ऐक्ट (Arms Act) के अन्तर्गत कर दिया है और तीनों मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं।

*१८५—**श्री खेमचन्द**—क्या सरकार ने इस विषय को लेकर राजस्थान सरकार से कोई वार्ता की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना खेरागढ़, जिला आगरा के थानेदार ने एस० एच० ओ० (Station House Officer) धोलपुर को अपराधियों की गिरफ्तारी तथा नाजायज हथियारों की बरामदगी के बारे में सूचना भेजी थी।

क्षेत्र विकास अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट

*१८६—**श्री कन्हैयालाल** (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने क्षेत्र विकास अधिकारियों की कोई ग्रेडेशन लिस्ट तैयार की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे प्रकाशित करने का इरादा रखती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, ३१ मार्च १९५६ तक चुने गये क्षेत्र विकास अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट तैयार की है परन्तु प्रकाशित करने का अभी विचार नहीं है।

*१८७—**श्री कन्हैयालाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने क्षेत्र विकास अधिकारियों के लिये कोई सेलेक्शन ग्रेड स्वीकार किया है ? यदि हां, तो इस ग्रेड के अन्तर्गत नियुक्ति कब तक होगी और उन नियुक्तियों का आधार क्या होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, स्पेशल ग्रेड स्वीकार किया है। इस ग्रेड में पदोन्नति की जाने की सम्भावना निकट भविष्य में है। पदोन्नति योग्यता (Merit) के आधार पर लोक सेवा आयोग के परामर्श से होगी और ऐसे विकास क्षेत्र अधिकारी (डिप्टी प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव आफिसर) सहायक जिला नियोजन अधिकारी जिनको उक्त पदों पर कार्य करते ५ वर्ष का समय हो गया है पदोन्नति के अधिकारी होंगे।

रायबरेली जिला अस्पताल के लिए ऐम्बुलेंस कार की मांग

*१८८—**श्री भगवानदीन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अस्पताल, रायबरेली में कोई ऐम्बुलेन्स कार अब तक नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला अस्पताल, रायबरेली में कोई एम्बुलेन्स कार नहीं है।

*१८९—**श्री भगवानदीन**—यदि यह सही है, तो क्या सरकार ऐम्बुलेन्स कार वहां भेजने का कोई प्रबन्ध कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंच योजना में जिला अस्पतालों को एम्बुलेन्स कार देने की एक योजना सम्मिलित की गई है। धनाभाव के कारण यह योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पाई है। इस योजना के कार्यान्वित होने पर जिला अस्पताल, रायबरेली में एम्बुलेन्स कार की व्यवस्था करने पर विचार किया जायेगा।

भवाना के व्यापारियों का शिकायती पत्र

*१९०—**श्री मुकुटबिहारीलाल** तथा **श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रम मंत्री महोदय को अगस्त, १९६२ के दूसरे सप्ताह में भवाना, जिला मेरठ के व्यापारियों का कोई शिकायती पत्र उक्त स्थान पर शाप ऐन्ड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट ठीक से न लागू होने के बारे में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

अधिनियम का ठीक से परिपालन कराने के लिये उक्त नगर में इन्सपेक्टर द्वारा निरीक्षणों की संख्या बढ़ा दी गई है और उल्लंघन करने वाले दूकानदारों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर मेडिकल कालेज के प्राध्यापकों का स्थानान्तरण

*१९१—**श्री मुकुटबिहारीलाल** तथा **श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर मेडिकल कालेज के प्राध्यापकों की दलबन्दी के कारण जिन प्राध्यापकों को ट्रांसफर कर दिया गया था उन्होंने अपने नये स्थानों पर ड्यूटी ज्वायन कर ली है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानपुर मेडिकल कालेज के तीन प्राध्यापकों का वहां से ट्रांसफर किया गया था जिस में से एक ने अपने नये स्थान पर ड्यूटी ज्वायन कर ली है। दूसरे ने अपने नये स्थान पर ड्यूटी ज्वायन करली थी परन्तु बाद में उन्हें अपने पहले स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने अपने पहले स्थान पर ड्यूटी ज्वायन कर ली है। तीसरे ने अपने नये स्थान पर ड्यूटी ज्वायन करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया।

*१९२—**श्री मुकुटबिहारीलाल** तथा **श्री रक्षपालसिंह**—क्या उनमें से किसी डाक्टर को पुनः कानपुर मेडिकल कालेज में ही वापस बुला लिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, उनमें से एक प्राध्यापक को पुनः कानपुर मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित कर दिया गया क्योंकि उन्हें उनकी नियुक्ति की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुसार उनके पुराने स्थान से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता था।

छाता रिब्ज फैक्टरी, कानपुर में हड़ताल

*१९३—**श्री शारदानन्द**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जार्जमऊ (कानपुर) में स्थित छाता रिब्ज फैक्टरी में ४२ दिन से अधिक से मजदूरों की हड़ताल चल रही है? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उपश्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र में दोनों पक्षों को कई बार बुलाकर हड़ताल सम्बन्धी मामलों को सुलझाने हेतु प्रयत्न किया। यह प्रयत्न जारी है, परन्तु अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है।

अकबरपुर तहसील में आम की गुठली खाने से हरिजनों की मृत्यु

*१९४—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम यरकी, तहसील अकबरपुर (फैजाबाद) में एक ही घर में ६ हरिजनों की मृत्यु आम की गुठली का बीज खाने से हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ऐसी घटना हुई है ।

*१९५—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—[१२ वें सोमवार के लिए प्रश्न ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१९६-१९७—श्री रामप्यारे—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

*१९८-१९९—श्री रियासत हुसैन—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

मंत्रियों के आगरा दौरे पर व्यय

*२००—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १० और २० अगस्त, १९६२ के बीच किस-किस मंत्री व उपमन्त्री ने आगरा नगर का दौरा किया ?

(अ) मन्त्रियों का यह दौरा सरकारी था या गैरसरकारी ?

(ब) इस दौरे पर कितना खर्च हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ १०१० पर)

देवरिया जिला गन्ना अधिकारी

*२०१—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे जिला गन्ना अधिकारी हैं जिन्हें जिलों में रहते तीन वर्ष से ऊपर हो गया है और वह कौन-कौन से जिले हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—केवल एक जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया ऐसे हैं जिन्हें देवरिया जिले में रहते हुए तीन वर्ष से ऊपर हो गया है ।

*२०२—श्री रणबहादुरसिंह—क्या सरकार सभी ऐसे गन्ना अधिकारियों का, जो एक जिले में तीन वर्ष से अधिक रह चुके हैं, तबादला करने का इरादा रखती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां ।

*२०३—श्री रणबहादुरसिंह—क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में कितने ऐसे सुपरवाइजर सर्किल हैं जिनके क्षेत्र में किसानों को १९६१-६२ की सब्सीडी अभी तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो न देने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवकलिया ब्लाक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*२०४—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अदालत पंचायत क्षेत्र, देवकलिया, ब्लाक बिसवां, जिला सीतापुर में पंचायत सेक्रेटरी और बी० एल० डब्लू० के विरुद्ध स्थानीय प्रधानों ने दलबन्दी, भ्रष्टाचारिता और अनैतिकता की शिकायत जिलाधीश, सीतापुर से अप्रैल, १९६२ से अगस्त, १९६२ तक कई बार की? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

*२०५—श्री हरिगैनराम—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

सहारनपुर जिले में बलदेवदास बाजोरमा अस्पताल का मुआयना

*२०६—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मन्त्री ने सहारनपुर जिले में बलदेवदास बाजोरमा अस्पताल का १९६० या १९६१ में कितनी दफ़ा मुआयना किया और मुआयना रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुआयना केवल एक बार किया।

मुआयना रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ १०११ पर।)

श्रम महासंघ

*२०७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त श्रम महा संघों की संख्या कितनी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसे महासंघों की संख्या १३ है।

*२०८—श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसे महासंघों की संख्या कितनी है जो कि केवल एक उद्योग की श्रम यूनियनों को अपने से सम्बद्ध करते हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसे महासंघों की संख्या केवल ५ है।

*२०९—श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस-किस महासंघ से कितनी-कितनी यूनियनें सम्बद्ध हैं तथा प्रत्येक महासंघ की सदस्य संख्या क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—महासंघों से सम्बद्ध यूनियनों की संख्या तथा उन यूनियनों के सदस्यों की संख्या संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ १०१२ पर)

*२१०-२१२—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किए गए।]

सिरसिया विकास खंड के पुराने कर्मचारी

*२१३—श्री मुन्नूसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिरसिया विकास खंड, जनपद बहराइच में कितने ऐसे कार्यकर्ता वर्तमान हैं जो तीन वर्ष से अधिक से वहां कार्य कर रहे हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास खंड सिरसिया, जनपद बहराइच में तीन वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सात है।

*२१४—**श्री मुन्नूसिंह**—क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को सिरसिया विकास खंड, जनपद बहराइच से किसी अन्य स्थान को स्थानान्तरित करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

*२१५—**श्री ईश्वरशरण** (जिला गोंडा)—[१२वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

औद्योगिक विकास के लिये अनुदान

*२१६—**श्री रामायणराय**—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९६२ में किन-किन लोगों को औद्योगिक विकास के लिये १ लाख और १ लाख से अधिक रुपया अनुदान दिया गया ?

श्री फूलसिंह—इस अवधि में ऐसा अनुदान किसी को नहीं दिया गया।

थाना इंचार्ज, कमालगंज के विरुद्ध शिकायत

*२१७—**श्री दयाराम शाक्य** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नसीरुद्दीन, पुत्र दुल्ला, थाना कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद ने कोई प्रार्थना-पत्र इस शिकायत का सरकार के पास थाना इंचार्ज, कमालगंज के विरुद्ध भेजा है कि उससे १५० रु० पुलिस ने मांगे जिसमें से सिर्फ ३७ रु० वह दे सका और बाकी रुपया न देने पर उसका चालान कर दिया गया ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। हां इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ७ मार्च, १९६२, जो श्री नसरुद्दीन ने मंत्री, शाखा कमेटी, कम्युनिस्ट पार्टी, कमालगंज, फर्रुखाबाद को भेजा था, पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद को अवश्य प्राप्त हुआ था।

उस प्रार्थना पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक (परिवाद) ने की और शिकायत गलत पाई गई। इसलिए उस पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई।

*२१८—**श्री दयाराम शाक्य**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इसी दरख्वास्त की जांच होने के बाद दूसरी बार फिर उसका चालान दफा ३९५ ताजीरात हिन्द में किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, दूसरी बार उनका चालान एक व्यक्ति मेवाराम, निवासी मीठापुर, थाना कमालगंज के यह बताने पर कि उक्त श्री नसरुद्दीन मार्च मास की हाथिन, थाना छिबरामऊ की डकैती में उसके साथ शामिल थे, किया गया।

गांवों को बिजली देने की दर

*२१९—**श्री रामसिंह**—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा-मैनपुरी बी० लाइन कब तक तैयार की जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी इटावा से मैनपुरी तक लाइन लगाने के किसी प्रस्ताव की स्वीकृति राज्य विद्युत परिषद ने नहीं दी है।

*२२०—श्री रामसिंह—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरनाहल, जिला मैनपुरी में बिजली कब तक लगायी जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी इस नगर के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जांच हो रही है और यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक विद्युतीकरण हो जायगा।

*२२१—श्री रामसिंह—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल लाइन से कितनी दूर वाले गांव को बिजली दी जा सकती है और किस दर पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गांवों का विद्युतीकरण केवल नलकूप की लाइन के निकट होने पर ही निर्भर नहीं है वरन् कई और भी बातें देखनी पड़ती हैं जैसे गांव में उद्योग धंधों की सम्भावना, गांव की आबादी, घरों की संख्या, और विशेषतः पक्के घरों की, गांव का विस्तार, बिजली की खपत का तखमीना, इत्यादि इत्यादि।

बिजली की दरें नत्थी किये ब्योरे में दी हैं।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ १०१३ पर)

केसा मजदूरों की मांगें

*२२२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या राज्य सरकार के सम्मुख केसा, कानपुर में काम करने वाले बिजली मजदूरों ने वेतन और नौकरी की शर्तों से सम्बन्धित मांगों को एक साल के भीतर पेश किया है ? यदि हां, तो यह मांगें क्या हैं और कब पेश की गईं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, अभीष्ट सूचना एक तालिका में दी गई है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०१४–१०१५ पर)

अतारांकित प्रश्न

महिला चिकित्सालय, अतरौली में डाक्टरानी न होना

१—श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतरौली, जिला अलीगढ़ में दो वर्षों से लेडी डाक्टर नहीं है, वहां की जनता को परेशानी है, क्या सरकार वहां लेडी डाक्टर भेजने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—महिला चिकित्सालय, अतरौली, जिला अलीगढ़ में २८-१०-१९६० से लेडी डाक्टर नहीं है इसका कारण प्रदेश में महिला डाक्टरों की भारी कमी है। वहां एक लेडी डाक्टर शीघ्र ही भेजने का प्रस्ताव है परन्तु यह बतलाना कठिन है कि कब तक इसकी व्यवस्था हो सकेगी।

प्रशासनाधिकारियों का प्राइवेट नौकरियों में जाना

२—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि गत तीन वर्ष में प्रदेश सेवा के कितने आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० कर्मचारियों ने प्राइवेट नौकरियों में जाने के लिये आज्ञायें सरकार से चाहीं और उनमें से कितनों को आसा प्रदान की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक ने भी नहीं मांगी। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बरनाहल तथा करहल ब्लाकों में कुएं व नल

३—श्री रामसिंह—क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी के बरनाहल तथा करहल ब्लाक में १ अप्रैल, १९६० से ३० अप्रैल, १९६२ तक कितने पानी पीने के कुयें व नल लगाये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला मैनपुरी के बरनाहल तथा करहल ब्लाकों में उक्त अवधि में क्रमशः २६ व ४ पीने के पानी के कुयें बने। हैन्ड पम्प नहीं लगाये गये।

४-५—श्री रामसिंह—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में कागज का कारखाना खोलने का सुझाव

६—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि बांदा नगर व अतर्रा टाउन में धान की पैदावार अधिक है, वहां पर किसानों के पास धान का पयाल तथा भूसी अधिक जमा हो जाती है वह या तो बरसात में सड़ जाय अथवा चारे के रूप में खर्च होता है, तो क्या सरकार के विचाराधीन कोई योजना है जिसके द्वारा पयाल तथा भूसी सड़ा कर उससे मोटा कागज (दफ्ती) बनायी जाय और कोई योजना है, तो किस स्थान पर और कब तक कार्यरूप में आवेगी ?

श्री फूलसिंह—अत्तर्रा टाउन क्षेत्र में धान की पैदावार अधिक है। बांदा में अभी कुछ समय से ही धान पैदा किया जाता है। पयाल गांवों में अधिकतर जानवरों को खिलाया जाता है, भूसी आमतौर पर प्रयोग में नहीं आती है।

पयाल तथा भूसी से कागज बनाने की कोई योजना इस साल विचाराधीन नहीं है।

गुरुसराय ब्लाक में हैबतपुरा ग्राम को जाने वाली सड़क

७—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के ब्लाक गुरुसराय में हैबतपुरा ग्राम को जाने वाली पक्की सड़क में कितना रुपया गुरसराय ब्लाक का व्यय हुआ है और कितना रुपया गांव सभाओं का लग चुका है और इस अधूरे काम की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—झांसी जिले के उक्त ब्लाक में हैबतपुर ग्राम को जाने वाली सड़क पर ५,००० रुपया गुरसराय ब्लाक का, ५०० रुपया हैबतपुरा ग्राम सभा के कोष का, तथा ग्राम सभा हैबतपुरा एवं नुनार की जनता द्वारा दिया गया चन्दा ४६१.५० रुपया लगा है।

इस अधूरे कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में बनाई गई निर्माण समिति के प्रधान श्री ठाकुर दृगपालसिंह का है।

कुंओं के लिए तकावी देने के नियम

८—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाकों में जो तकावी कुओं को दी जाती है उसमें अभी तक भूमिधरी की जमानत ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, भूमिधरी की भी जमानत ली जाती है। तकावी नियमों में इसका प्राविधान है।

९—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, ब्लाक दहगवां में किसी किस्म की तकावी की दरख्वास्त देने पर ब्लाक प्रमुख की तसदीक कराई जाती है ? क्या यह जरूरी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं, यह जरूरी भी नहीं है।

सेन्ट्रल इण्डस्ट्रियल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन, खलीलाबाद की मांगें

१०—श्री झारखंडेराय—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत एक साल में खलीलाबाद (बस्ती) "सेंट्रल इंडस्ट्रियल वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन" की ओर से कितने प्रार्थना-पत्र, स्मृति-पत्र, आदि अपनी जरूरतों तथा अपनी प्रार्थनाओं सहित निदेशालय, कानपुर (उद्योग) तथा माननीय मंत्री को प्राप्त हुये हैं?

श्री फूलसिंह—१० जून, १९६१ से १६ जुलाई, १९६२ तक ३१ प्रार्थना-पत्र आदि प्राप्त हुये।

११—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन प्रार्थना-पत्रों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ १०१६–१०१९ पर)

१२—श्री झारखंडे राय—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

नजीबाबाद तहसील में बच्चे की हत्या

१३—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर तहसील और नजीबाबाद तहसील, जिला बिजनौर में ८ जुलाई, १९६२ से २७ जुलाई, १९६२ तक कितने कत्ल हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न में उल्लिखित अवधि में तहसील नजीबाबाद में ६,७ दिन के एक बच्चे के कत्ल की सूचना मिली है।

तहसील बिजनौर में इस अवधि में कत्ल की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई।

सहायक विकास अधिकारियों का चुनाव

१४—श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री रामचरणशाह (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि कितने सहायक विकास अधिकारियों (उद्योग) का चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा नवम्बर/दिसम्बर, १९६१ में किया गया था और उनमें से कितने आजकल ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं?

श्री फूलसिंह—नवम्बर, दिसम्बर, १९६१ में लोक सेवा आयोग द्वारा कुल ११८ (७५ संतुत सूची तथा ४३ अतिरिक्त सूची में) सहायक विकास अधिकारियों (उद्योग) का चुनाव ७५ पदों के लिये किया गया था इनमें से ७२ सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

१५—श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री रामचरण शाह—क्या यह सही है कि जून, १९६२ में प्रशिक्षण में भेजने के लिये २६ उम्मीदवारों को उद्योग निदेशक के कार्यालय से पत्र लिखे गये परन्तु उनमें से केवल ८ को ही भेजा गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री फूलसिंह—जून, १९६२ में उद्योग निदेशक कार्यालय से २९ व्यक्तियों से ६ अगस्त, १९६२ से प्रशिक्षण पर जाने के लिये केवल स्वीकृतियां मांगी गई थीं जिनमें से २६ व्यक्तियों ने अपनी स्वीकृतियां उद्योग निदेशक कार्यालय को प्रेषित कीं।

८ को ही भेजा गया क्योंकि रिक्त स्थान केवल ८ ही थे।

झांसी से समाचार-पत्रों का प्रकाशन

१६—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी से मार्च, सन् १९६१ से अगस्त, सन् ६२ के बीच कितने समाचार-पत्र वहां से प्रकाशित होते रहे हैं व उनमें कितने दैनिक व कितने साप्ताहिक रहे हैं जो आज तक प्रकाशित होते आ रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—झांसी से मार्च, १९६१ से अगस्त, १९६२ तक की अवधि में कुल १९ समाचार-पत्र प्रकाशित हुये। इनमें से १३ अभी तक (नियमित या अनियमित रूप में) प्रकाशित हो रहे हैं।

आजमगढ़ जिले के लिए विद्युत् योजना

१७—श्री उमाशंकर—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ जिले के किन-किन कस्बों में विद्युत् लगाने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अतरौलिया, मोहम्मदाबाद, रानी की सराय, सराय मीर, चंडेसर, निजामाबाद, घोसी बड़ागांव, भारती जगदीशपुर, कप्तानगंज, जीयनपुर, अजमतगढ़, सरदहा बाजार और ठेकमा बाजार का विद्युतीकरण स्वीकृत हो चुका है। अन्य नगर जो ट्रांसमिसन लाइनों के समीप स्थित हैं उनकी जांच की जा रही है।

१८—श्री उमाशंकर—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के कुछ कस्बों में बिजली लगाना स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो वे कौन से कस्बे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। सगड़ी तहसील के निम्नलिखित ४ नगरों के विद्युतीकरण की स्वीकृति हो चुकी है:—

१—कप्तानगंज

२—सरदहा बाजार

३—अजमतगढ़

४—जीयनपुर

१९—श्री उमाशंकर—क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के कस्बा कप्तानगंज, महाराजगंज, सरदहा और बिलरियागंज में बिजली लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कप्तानगंज और सरदहा बाजार के विद्युतीकरण की स्वीकृति हो चुकी है। महाराजगंज तथा बिलरियागंज के विद्युतीकरण के लिये जांच की जा रही है और यदि प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से सम्भव हुआ तो उक्त नगरों का विद्युतन तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया जायेगा।

बिलसड़ा टाउन एरिया में बिजली लगाने की प्रार्थना

२०—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जिले में टाउन एरिया बिलसंडा में बिजली लगाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस नगर के विद्युतीकरण के लिये जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं और यदि प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से संभव हुआ तो यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया जायेगा।

२१—**श्री दुर्गाप्रसाद**—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इस टाउन एरिया बिलसंडा में बिजली लगवाने के लिये प्रार्थना-पत्र आ चुका है? यदि आ चुका है, तो क्या विचार हुआ है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चेयरमैन, टाउन एरिया से १७-९-६२ को एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है और बिलसंडा के विद्युतीकरण के लिये जांच करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

फतेहपुर जिले से बिजली के लिए मांग

२२—**श्री दीपनारायणसिंह**—क्या मुख्य मंत्री जिला फतेहपुर की गल्ला मंडी किशुनपुर टाउन एरिया वालों व धाता जैसे बड़े गांव को भी इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर बिजली देने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन नगरों के विद्युतीकरण के लिये जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं और यदि प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से विद्युतीकरण संभव हुआ तो यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में संपन्न किया जायेगा।

सहारनपुर जिले की चीनी मिलों का गन्दा पानी

२३—**श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ), श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल**—क्या सरकार को मालूम है कि हिन्डन, काली तथा कृष्णी नदियों में सहारनपुर गन्ना मिल व मनसूरपुर शुगर मिल तथा शामली शुगर मिल का गन्दा पानी आता है जिससे तमाम मछलियाँ बीमार हो जाती हैं? यदि हां, तो सरकार इस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कथित गन्दे पानी से मछलियों के बीमार हो जाने की कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है। प्रश्न के अंतिम भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

लखनऊ में रवीन्द्र रंगशाला के लिए टेण्डर्स

२४—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में रवीन्द्र रंगशाला बनवाने के संबंध में टेन्डर्स (Tenders) मांगे गये थे? यदि हां, तो उच्चतम तथा निम्नतम टेंडर किन लोगों का था?

श्री बनारसीदास—रवीन्द्र रंगशाला के निर्माण का कार्य स्थानीय मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा सम्पन्न हो रहा है। सोसाइटी से जो सूचना प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि इस काम के लिए टेंडर मांगे गये थे। केवल दो टेंडर प्राप्त हुये थे। उच्चतम टेंडर श्रीमंत रामदयाल रामजस का तथा निम्नतम टेंडर श्रीमंत आर० एन० खन्ना एन्ड को० का था। बाद में श्रीमंत रामदयाल रामजस ने अपनी दरों में एक प्रतिशत कटौती कर दी जिसके फलस्वरूप उनका टेंडर निम्नतम टेंडर से भी ५,५१० रुपया कम हो गया।

२५—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या सूचना मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रंगशाला का निर्माण-कार्य कौन-सी कम्पनी कर रही है और इसका प्रारम्भिक प्राक्कलन कितना है?

श्री बनारसीदास—चूंकि दोनों टेंडरों में अन्तर बहुत कम था इसलिये उक्त दोनों फर्मों के मालिकों ने एक मिली जुली फर्म रामा बिल्डिर्स के नाम से बना ली और यही फर्म न्यूनतम दरों पर, जो श्रीमंत राम दयाल रामजस की दरों पर एक प्रतिशत कटौती करने पर आती थी, कार्य कर रही है। इस कार्य का प्राक्कलन १२ लाख रु० है जिसमें भवन निर्माण का प्रारम्भिक प्राक्कलन ७ लाख रुपया है।

२६—श्री बालोजी अग्रवाल—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

इगलास तहसील में बन्दूक के लाइसेन्स

२७—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील इगलास, जिला आजमगढ़ में सन् १९६१ में कितने लाइसेंस बन्दूकों के दिय गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१ में तहसील इगलास, जिला अलीगढ़ के ३८ व्यक्तियों को बन्दूक के लाइसेंस दिये गये।

२८—श्री शिवदानसिंह—उपरोक्त तहसील में आजकल बन्दूकों के लाइसेंस की कितनी अर्जियां और कब से विचाराधीन हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय (३-९-६२) को कुल १४३ अर्जियां विचाराधीन हैं, जिनमें से ५६ सन् १९६१ की और ८७ सन् १९६२ की हैं।

२९—श्री शिवदानसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि जब तक हर प्रार्थी ५०० रु० अल्प बचत योजना और १०० रु० रिलीफ फंड में जमा नहीं कर देता तब तक बन्दूक का लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाता? अगर नहीं, तो लाइसेंस दिये जाने वाले उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनसे उपरोक्त धनराशि नहीं जमा कराई गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सब नहीं है कि जब तक हर प्रार्थी ५०० रु० अल्प बचत योजना और १०० रिलीफ फंड में जमा नहीं कर देता तब तक बंदूक का लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाता। इगलास तहसील के ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्हें लाइसेंस दिये गये और जिन्होंने अल्प बचत योजना आदि में कुछ जमा नहीं किया संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ १०२० पर)

गंजशहीद, मुरादाबाद सब-स्टेशन के निर्माण में सीमेन्ट की खपत तथा एस० डी० ओ० हाइडिल मुरादाबाद का टी० ए०

३०—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार को ज्ञात है कि जो सब-स्टेशन नं० ५ गंजशहीद, मुरादाबाद में बनवाया गया उसमें अधिकतर काम गारे से कराया गया है, जब कि २५० बोरी सीमेंट सरकारी स्टोर से लिया गया और सिर्फ ५० बोरी काम में लाया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गंजशहीद, मुरादाबाद सब-स्टेशन के बनवाने में ७९३ क्यूबिक फिट ईंट की चुनाई गारे से कराई गई है क्योंकि इसके लिये सीमेंट की आवश्यकता नहीं थी।

सब-स्टेशन के बनवाने के लिये ९९ बोरी सीमेंट की आवश्यकता थी जिसमें अब तक ८४ बोरी सीमेंट ही काम में लायी गयी है क्योंकि अभी कुछ काम होना शेष है।

३१—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार को मालूम है कि एस० डी० ओ० हाईडिल, मुरादाबाद के पास अर्से से मोटर कार नहीं है मगर वह बराबर उसका टी०ए० ले रहे हैं? क्या इस विषय में कोई जांच कराई जायेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एस०डी०ओ० हाईडिल, मुरादाबाद के पास २३-१२-६१ से अपनी स्वयं की मोटरकार नहीं है और तब से उन्होंने अपनी मोटरकार द्वारा यात्रा करने का भत्ता नहीं लिया है।

सीतापुर जिले में डकैतियां

३२—श्री शारदानन्द—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में कितने डाके सन् १९६०-६१ में पड़े और कितने १९६१-६२ में?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६०-६१ (११-४-६० से ३१-३-६१ तक) में ३१ डाके और सन् १९६१-६२ (१-४-६१ से ३१-३-६२ तक) में ५४ डाके सीतापुर जिले में पड़े।

भटनी बाजार में बिजली की मांग

३३—श्री कैलाश—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया के भटनी बाजार में बिजली लगाने का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भटनी बाजार के विद्युतीकरण के लिये जांच की जा रही है और उस के समाप्त होने पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

निघासन महिला चिकित्सालय में डाक्टरनी न होना

३४—श्री रामचरण शाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निघासन (खीरी) के लेडी हास्पिटल में कब से लेडी डाक्टर नहीं है; वहां पर लेडी डाक्टर भेजने का विचार कब तक है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—निघासन (खीरी) के महिला चिकित्सालय में २१-८-१९५८ से लेडी डाक्टर नहीं है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में महिला डाक्टरों की भारी कमी है। उक्त चिकित्सालय में शीघ्र ही एक लेडी डाक्टर को भेजने का विचार है।

पब्लिक प्रासीक्यूटर्स का वेतन

३५—श्री उमाशंकर—क्या सरकार यह बतायेगी कि पब्लिक प्रासीक्यूटर (पी० पी०) का वेतन-क्रम जो पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिया है उसे कब से लागू करने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने पब्लिक प्रासीक्यूटर्स का वेतन-क्रम, उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन, १९६० द्वारा सिफारिश किए हुए वेतन-क्रम को ध्यान में रखते हुये २२०-४०० रु० निर्धारित किया है जिसे १-१-६२ से लागू करने का विचार है।

गोंडा में पावर कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

३६—श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक कार्यालय, गोंडा में कितने प्रार्थना-पत्र जनता की ओर से पावर कनेक्शन के हेतु प्राप्त हुये थे जिनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? ऐसे लोगों का प्रार्थना-पत्र कार्यालय में कब प्राप्त हुआ है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हाइड्रो इलेक्ट्रिक कार्यालय, गोंडा में पावर कनेक्शन के हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में १५० व्यक्तियों को अभी तक कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। ऐसे प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र २९ दिसम्बर १९५९ के उपरान्त प्राप्त हुए हैं।

३७–३९—श्री रामचरण शाह—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

४०—श्री रामचरण शाह—[११वें मंगलवार के लिए प्रश्न ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सीमान्त जिलों के लिए छात्रवृत्ति

४१—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने चमोली जिला सीमान्त छात्रवृत्ति कोष में प्रति वर्ष कुल कितना धन दिया और बार्डर के अन्य दो जिलों के लिये कितनी धनराशि दी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पिछले तीन वर्षों में चमोली व अन्य दो सीमान्त जिलों में जो धनराशि छात्रवृत्ति के लिये दी गयी है उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'फ', आगे पृष्ठ १०२१–१०२२ पर)

४२—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले में सीमान्त छात्रवृत्ति कोष से सम्बन्धित छात्रवृत्ति विवरण के लिये उसने क्या सिद्धान्त, नीति व आधार निर्धारित किये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चमोली व दोनों अन्य सीमान्त जिलों में छात्रवृत्ति वितरण के लिये सरकार ने जो सिद्धान्त, नीति व आधार प्रसारित किये हैं उनकी सूचना भी सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'फ', आगे पृष्ठ १०२१–१०२२ पर)

मानसिक चिकित्सालय

४३—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने किस आधार पर मानसिक चिकित्सालय खोलने के लिये कहा है ? यदि हां, तो उसका पालन प्रदेश में कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। सुझाव विचाराधीन है, अतः इस सम्बन्ध में कोई निश्चित उत्तर देना कठिन है।

४४—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानसिक चिकित्सालयों की रूपरेखा क्या होगी, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रस्तावित मानसिक चिकित्सालयों की रूपरेखा के सम्बन्ध में भी इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है।

मैनपुरी का अस्पताल

४५—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर का शफाखाना ३५ बेड (चारपाइयों) का है और वहां पर हर समय ७५ या ८० मरीज भरती रहते हैं ? सरकार इन मरीजों की तकलीफ को देखते हुये इस पुराने शफाखाने को कब तक बड़ा बनाने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह अस्पताल ३५ शय्याओं का नहीं अपितु ३८ शय्याओं का है। ४७ मरीज औसतन भरती रहते हैं। आवश्यकतानुसार अस्थायी रूप से शय्यायें बढ़ा दी जाती हैं। अस्पताल को बड़ा बनाने की अभी कोई योजना नहीं है।

४६—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर के अस्पताल में प्रति दिन कितने मरीज आया करते हैं? क्या सरकार बतायेगी कि इतने मरीजों के लिये जो प्रति दिन इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, मौजूदा स्टाफ (६ कम्पाउन्डर, ५ वार्ड ब्वाय, ५ मेहतर, २ डाक्टर तथा १ सिविल सर्जन) क्यों नहीं बढ़ाया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अस्पताल में प्रति दिन औसतन २६६ मरीज आउट-डोर में आते हैं।

वर्तमान स्टाफ पर्याप्त है। अतः इसे बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

नौगढ़ व चकिया थानों में अपराध की घटनायें

४७—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६२ से ३१ जुलाई, १९६२ तक चकिया व नौगढ़ थाना, जिला वाराणसी के अन्दर कितनी डकैतियां, कत्लों तथा राहजनी की रिपोर्ट लिखी गई हैं? उपरोक्त अपराधों के कितने मामले कोर्ट में हैं कितने मामले पुलिस की जांच में हैं तथा कितने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में थाना चकिया में कोई डकैती नहीं पड़ी। कत्ल के तीन मुकदमों की रिपोर्ट हुई है जिनमें एक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, एक मुकदमा पुलिस की जांच में है तथा एक मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। राहजनी की एक रिपोर्ट लिखी गई है जिसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। थाना नौगढ़ में एक डकैती की रिपोर्ट हुई है जिसकी जाँच पुलिस कर रही है। कत्ल या राहजनी की कोई रिपोर्ट नहीं हुई है।

४८—श्री रामलखन वकील—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त थानों के अन्दर जो कत्ल हुये उनमें कितने मृतकों का पोस्ट-मार्टम किया गया तथा पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट क्या रही?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना नौगढ़ के अन्तर्गत कत्ल की कोई घटना नहीं हुई है। थाना चकिया में कत्ल की जो तीन घटनाओं की रिपोर्ट हुई है उन सभी में पोस्ट-मार्टम हुआ है। पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट निम्न प्रकार है:—

(१) मृतक श्रीराम अवलम्ब सिंह सा० मचचल, थाना चकिया, वाराणसी

The cause of death is due to coma, due to fracture of skull bones and laceration of the brain.

(२) मृतक श्री बच्चन मोनियां सा० पड़रिया थाना चकिया

The cause of death is syncope due to shock and severe haemorrhage grievous wound caused by sharp edged weapon. Undigested food matter containing rice and other grains in stomach.

(३) मृतक जगन्नाथ हरिजन, सा० पचोखर, थाना चन्दौली, मुकदमा थाना चकिया

The cause of death is due to drowning.

४९—श्री रामलखन वकील—क्या यह सच है कि चकिया थाने के अन्दर १ माह में ८ कत्ल हुये और पुलिस अपराधियों को अब तक नहीं गिरफ्तार कर सकी? इसका क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि चकिया थाने के अन्दर १ माह में ८ कत्ल हुए, बल्कि, जैसा कि प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर में कहा गया, चकिया थाने के अन्तर्गत जनवरी से जुलाई १९६२ तक तीन कत्ल की रिपोर्टें हुई। यह भी सत्य नहीं है कि अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। एक मुकदमा जो न्यायालय के विचाराधीन है उसमें ८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से ४ का चालान कर दिया गया व शेष यथेष्ठ सबूत न होने के कारण छोड़ दिये गये। दूसरे मुकदमें में जिसमें पुलिस जांच कर रही है ४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। तीसरे मुकदमे में भी ४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे परन्तु पोस्ट-मार्टम से मृत्यु डूबने के कारण पाई गई, इसलिये उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई और चारों अभियुक्तों को छोड़ दिया गया।

५०—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री गिरवर प्रसाद (जिला एटा)—[११वें मंगलवार के लिए प्रश्न ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

५१—श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

५२-५३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

५४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—[१७ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न १८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

झांसी जिले में रिवाल्वर के लाइसेंस

५५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में ३१ जुलाई, १९६२ तक किस-किस के पास रिवाल्वर के लाइसेंस थे?

५६—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ से दिसम्बर ६० तक, किस-किस व्यक्ति को रिवाल्वर के लाइसेंस दिये गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ब', आगे पृष्ठ १०२३ पर)

संय्या ग्राम में चोरी

५७—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव संय्यां, जिला आगरा, में ३० मार्च, १९६० की रात्रि को ३० हजार की चोरी हुई थी? यदि हां, तो उस पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या इस चोरी की जांच १० जून, १९६१ को डी० वाई० एस० पी० श्रीवास्तव द्वारा की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम संय्यां, जिला आगरा, निवासी श्री मनोहर लाल के घर पर ३०/३१ मार्च १९६० की रात्रि में चोरी की घटना हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो श्री मनोहर लाल ने थाना संय्यां में ३१ मार्च, १९६० को दी उसमें चोरी गई सम्पत्ति का कोई विवरण नहीं दिया था। पुलिस द्वारा इसकी जांच की गई परन्तु सफलता नहीं मिली और अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई। इस चोरी की जांच श्री हरी मोहन श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा भी की गई।

आगरा, लखनऊ, कानपुर के अस्पतालों को अनुदान

५८—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा, लखनऊ व कानपुर के अस्पतालों को सन् १९६०-६१, ६१-६२ व ६२-६३ में किस-किस मद में कितना-कितना अनुदान दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आगरा, लखनऊ व कानपुर के सरकारी अस्पतालों का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है अतः इन अस्पतालों को अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक आगरा, लखनऊ व कानपुर के गैरसरकारी अस्पतालों का प्रश्न है, इन अस्पतालों को एक मुश्त अनुदान दे दिया जाता है जोकि वे अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न मदों पर खर्च करते हैं। इन गैरसरकारी अस्पतालों को १९६०–६१, ६१–६२ व ६२–६३ में निम्नलिखित अनुदान दिये गये:—

	आवर्तक	अनावर्तक
आगरा		
१९६०–६१	१४,४३३	..
१९६१–६२	१४,५०५	..
१९६२–६३	१४,५०५	..
लखनऊ		
१९६०–६१	२२,३२,९१७	९,६९,२६५
१९६१–६२	१९,७०,०८४	४,६९,५१७
१९६२–६३	२१,२०,७७१	६,००,४००
कानपुर		
१९६०–६१	१६,३५०	७२,३८७
१९६१–६२	१६,३५०	६६,२००
१९६२–६३	३८,३५०	५०,९००

५९–६१—श्री कृष्णा तथा श्री चन्द्रबलीसिंह—[११ वें सोमवार के लिए प्रश्न १७–१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

६२–६३—श्री सुखदेवप्रसाद—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिए प्रश्न ६६–६७ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

६४—श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में कुआं, रहट तथा नलकूप के लिए ऋण

६५—श्री गिरजाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिला के अन्तर्गत विकास खंड, रामनगर में १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ वर्ष में कितने व्यक्तियों को कितना धन कुआं, रहट तथा ट्यूबवेल निर्माणार्थ कर्ज दिया गया? निर्माण-कार्य न होने पर किसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ १०२४ पर)

बसखारी ब्लाक के बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण

६६—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फजाबाद जिले के बसखारी ब्लाक के बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण लगभग १० माह पूर्व कमिश्नर महोदय द्वारा किया गया? यदि हां, तो अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, परन्तु कमिश्नर फैजाबाद ने ही अक्तूबर, १९६१ ई० में क्षेत्र विकास अधिकारी, बसखारी (फैजाबाद) के स्थानान्तरण के आदेश स्थगित कर दिये थे।

६७—श्री महादेव—[११ वें सोमवार के लिए प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

काकोरी षड़यंत्र केस शहीद, श्री रामप्रसाद बिस्मिल

६८—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि काकोरी षड़यंत्र केस के प्रमुख अभिनेता तथा शहीद श्री पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की गोरखपुर में प्रस्तर मूर्ति के निर्माण की कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं ।

६९—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसीदास—प्रश्न नहीं उठता ।

तुलसीपुर चीनी मिल मजदूरों का प्राविडेंट फण्ड

७०—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या श्रम मंत्राणी बताने की कृपा करेंगी कि प्रबन्धक तुलसीपुर चीनी मिल, जिला गोंडा ने सभी पुराने कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फंड दो आना प्रति रुपया को घटा कर एक आना प्रति रुपया काटना शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस पर कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं । पुराने कर्मचारियों के फंड का पैसा इस समय दो आना प्रति रुपये की ही दर से काटा जा रहा है ।

झांसी अशोक होटल में पुलिस का छापा

७१—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—क्या मुख्य मंत्री को तारीख १७ अगस्त को झांसी अशोक होटल में घटी रात को उस घटना के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिली है कि पुलिस दल में कौन जिम्मेदार अधिकारी व कितने कांस्टेबिल थे और छापा मारने का क्या कारण था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक १७-८-६२ को सर्किल आफिसर पुलिस (सिटी) को यह सूचना मिली कि अशोक होटल के कमरा नं० १ में ठहरे हुये व्यक्ति के लिये दो औरतें व कुछ शराब अवैध रूप से लाई गई हैं । अतः उनके आदेश से थाना नवाबाद के एक सब-इंस्पेक्टर व दो कांस्टेबुल तथा फ्लाइंग स्क्वायड के एक हेड कांस्टेबुल, तीन कांस्टेबुल अशोक होटल पर गये और जांच करने के बाद वापस आ गये ।

७२—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—क्या सरकार को इस आशय की सूचना मिली है कि पुलिस दल ने होटल के टेलीफोन की लाइन को काट दिया था ताकि बाहर कोई खबर न जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही नहीं है कि पुलिस ने जांच के समय होटल की टेलीफोन लाइन काट दी थी ।

७३-७५—श्री मुन्नूसिंह—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

७६—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—[४ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

७७—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—[हटा दिया गया ।]

सिंगाही में अस्पताल

७८—श्री रामचरण शाह—क्या सरकार यह जानते हुये कि सिंगाही टाउन एरिया की आबादी लगभग ११ हजार है और वहां के अस्पताल में रोगियों की दैनिक संख्या का औसत लगभग १०० रहता है, उस अस्पताल को स्टेट डिस्पेंसरी करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सिंगाही अस्पताल अन्तरिम जिला परिषद् के अधीन है । अन्तरिम जिला परिषद् ने इस अस्पताल के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में सरकार से कोई आग्रह नहीं किया है ।

हरदोई जिले में पुलिस प्रशासन

७९—श्री जे०पी० मिश्र--क्या सरकार हरदोई जिले के पुलिस प्रशासन को तत्काल दो जीपें देने का प्रबंध जरायम पर काबू पाने की दृष्टि से करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

८०--श्री जे०पी०मिश्र—क्या सरकार हरदोई जिले की रिजर्व पुलिस की तादाद में बढ़ोत्तरी का इरादा रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

८१—श्री जे०पी० मिश्र--क्या सरकार हरदोई जिले के मल्लावां पुलिस स्टेशन को हर दृष्टि में उपयुक्त होने के कारण एवं सरहद पर काबू पाने के दृष्टिकोण से पहली अक्तूबर, १९६२ से स्पेशल क्लास पुलिस स्टेशन बनाने को तैयार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

८२—श्री जे०पी०मिश्र--हरदोई जिले में सैलाब आदि में क्षेत्र और पुलिस स्टेशन जिले से कट जाते हैं इसलिये लगाव कायम रखने के लिये पुलिस स्टेशन पर वायरलेस सेट लगाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हरदोई जिले के पुलिस स्टेशन पर वायरलेस सेट लगाने का अभी कोई इरादा नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--इस समय कोई प्रश्न नहीं उठता है । आप कमरे में बात कर सकते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--विशेषाधिकार की २ सूचनाओं के सम्बन्ध में मैं आदेश दे दूं ।

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय काशीनाथ जी ने उठाया था और यह कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि जब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी हम मांग पर उत्तर नहीं देंगे । मैंने अस्वीकार किया है कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह संसदीय प्रथाओं के अनुरूप है ।

१० सितम्बर, १९६२ को विधान भवन के फाटक बन्द होने के कारण सदस्यों को अन्दर आने की रुकावट पड़ने तथा पुलिस द्वारा रोके जाने के सम्बन्ध में अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--अब पुलिस के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया गया था उसके सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय दे रहा हूं । ३ विशेषाधिकार अवहेलना की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, माननीय

[श्री अध्यक्ष]

नरसिंह नारायण पांडेय की, माननीय चन्द्रजीत यादव की और माननीय रामायण राय जी की। माननीय नरसिंह नारायण पांडेय व माननीय रामायण राय की सूचनायें एक ही घटनाचक्र से सम्बन्धित हैं। आश्चर्य है कि इन दोनों माननीय सदस्यों के तथ्यों के वृतांत में हमें सामंजस्य का अभाव मिलता है। माननीय नरसिंह नारायण पांडेय के भाषण से स्पष्ट है कि माननीय रामायण राय फाटक नं० ३ पर पहले से उपस्थित थे और उनको, माननीय रामायणराय के कथनानुसार फाटक बन्द होने के कारण सदन के परिषद् के भीतर प्रवेश करने को नहीं मिल रहा था। ताले द्वारा फाटक बन्द होने का उल्लेख माननीय रामायण राय ने नहीं किया है। वह यह भी कहते हैं कि सिपाहियों ने बताया कि किसी के आदेश से ऐसा किया जा रहा है, किसके आदेश से यह किया जा रहा है, उनका नाम बताने से इंकार किया। न वह यह कहते हैं कि उस समय किसी ने यह कहा कि आप लाट साहेब भी हों तो भी अन्दर नहीं जाने दिया जायगा। इस असामंजस्य का जो भी कारण हो, सम्प्रति हमारे प्रयोजनों के लिये विशेष महत्व नहीं रखता। इन दोनों माननीय सदस्यों की सूचनाओं का सार यह है कि उनके अधिकारों की अवहेलना इस अर्थ में हुई कि—

(१) वह सदन में निर्विघ्न प्रवेश करने में इस कारण से असमर्थ रहे कि पुलिस द्वारा दरवाजा बन्द कर दिया गया था,

(२) यह सूचित करने पर कि वे सदन के सदस्य हैं तो भी खोलने में विलम्ब किया गया,

(३) पुलिस के घेरेबन्दी के कारण भी मार्ग अवरुद्ध हुआ।

विशेषाधिकार का प्रश्न गृह विभाग, गृह मंत्री, आई०जी०पी०, एस०एस०पी० लखनऊ, कोतवाल कैसरबाग व जिलाधीश लखनऊ के विरुद्ध उठाया गया है। विशेषाधिकार का प्रश्न गृह मंत्री के विरुद्ध केवल इस आधार पर उठाया जा सकता है कि उन्होंने जानबूझ कर दुर्भावना से, अर्थात् माला फाइडो, किसी सदस्य विशेष को सदन के अन्दर आने से रुकवाया हो। किसी भी माननीय सदस्य की सूचना में इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है। अतः प्राग्दर्शन में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है।

रहा प्रश्न उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने आदेशों के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में, प्रबन्धात्मक व्यवस्थायें कीं थी। वह भी केवल तभी उठाया जा सकता है जबकि उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाय कि उन्होंने आदेशों के विपरीत कुछ किया हो या अपनी शक्तियों का अतिरेक किया हो। इस प्रकार के आरोप भी सूचनाओं में विद्यमान नहीं हैं। अतः उनके विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

हो सकता है कि माननीय सदस्यों के विचार से जो व्यवस्था की गई थी वह परिस्थितियों को देखते हुये आवश्यकता से अत्यधिक रही हो, किन्तु वह इस उद्देश्य से कदापि नहीं की गयी थी कि माननीय सदस्यों के सविधिक कार्यों में अड़चन या बाधा उपस्थित की जाय। उनका उद्देश्य तो अनधिकृत प्रवेशों के रोकने का था। एक प्रदर्शन जिसमें विशाल जनसमूह विद्यमान हो, नारे लगा रहे हों, किसी समय भी उत्तेजित हो सकता है। ऐसे प्रदर्शनों में जिनमें किसी पार्टी के बोना फाइडो तथा शांतिप्रिय सदस्य हों, उनमें अनुत्तरदायी तत्व भी सम्मिलित हो सकते हैं और दुर्व्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। उस दुर्व्यवस्था से जहां अन्य दुर्घटनायें हो सकती हैं वहां सदन व माननीय सदस्यों को भी हानि पहुंच सकती है। अतः व्यवस्थात्मक प्रबंध करना तो अनिवार्य है।

जिन दृष्टान्तों का हवाला इस सदन में दिया गया और उनके आधार पर यह मांग की गई है कि माननीय सदस्यों के सदन के मार्ग अनवरुद्ध रखे जाने चाहियें, उससे मैं सहमत हूं। किन्तु कठिनाई उस समय उपस्थित हो जाती है जबकि उन प्रदर्शनों का जिनके कारण अवरोध उपस्थित होता है, नेतृत्व सदन के सदस्य ही करते हैं। जब तक सदन के समक्ष प्रदर्शनों की प्रथा जारी

रहेगी माननीय सदस्यों को असुविधा होना स्वाभाविक है । इस प्रश्न के साथ वाच ऐण्ड वार्ड, सदन के परिसर और अनेक प्रश्न शामिल हैं, जिन पर मैं विचार कर रहा हूं । इस संदर्भ में उन प्रश्नों पर विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुये विशेषाधिकार की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—अगर आज्ञा हो तो आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । एक शब्द में कह दूं और उसका आप जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष—मैं जितनी सुविधायें हो सकती हैं, आपके वक्तव्य सुनने की, प्रिविलेज का मोशन देने पर, आपके विचार में सुनता हूं, और उनको सुनने के बाद निर्णय देता हूं । उसके बाद भी अगर आप प्रश्नोत्तर और विवाद उत्पन्न करें तो गलत है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं आपकी रूलिंग पर कुछ नहीं कह रहा हूं । रूलिंग शिरोधार्य है । लेकिन इसमें कुछ व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । बहुत वाद-विवाद के बाद आप निर्णय देते हैं । उसके बाद कोई आपत्ति उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेता विरोधी दल की कुछ तो बात सुन लूं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, जैसी आपने अभी रूलिंग दी और उसमें कहा कि इसमें बहुत से विषय सम्मिलित हैं, तो ऐसी अवस्था में कुछ विचार विनिमय भी आपसे हम लोगों का कुछ अंश पर हुआ था और शायद श्रीमन् ने सदन में भी कहा था कि इस विषय पर आप लोगों से बातचीत करूंगा । तो जब तक वे सब निर्णय न हो गये हों तब तक इस विषय पर श्रीमन् ने एक रूलिंग दी । वह कहां तक उचित थी, मैं श्रीमन् से केवल यही जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—हम कल फिर बैठ रहे हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—नरसिंहनारायण पांडेय और चन्द्रजीत जी गेट पर आते हैं और पास दिखाने पर भी उन्हें रोक दिया जाता है । आपने कहा था कि नेताओं को बुलायेंगे और उनकी राय लेंगे ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग होने के बाद प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१८ के अनुसार कोई वाद-विवाद नहीं उठाया जा सकता । हमेशा विरोधी दल के सदस्य इस तरह की बातों को उठाकर सदन का समय लेते हैं । मैं समझती हूं कि इसकी आप कड़ाई से व्यवस्था दें ।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष—दीपनारायण जी, आप बिला वजह उठा करते हैं । इस समय मैं दूसरे विषय को डील कर रहा हूं । कृपया आप बैठें ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव आया है और नियम ५२ के अन्तर्गत कई प्रस्ताव आये हैं । कामरोको प्रस्ताव चुर्क सीमेंट फैक्टरी के सम्बन्ध में आया है, उस पर मैंने आदेश दे दिये हैं । उस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और ४०–४५ मिनट तक सवालात हो चुके हैं । ....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में ७ आदमियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पी० ए० सी० लगायी गयी है। यह कामरोको प्रस्ताव नयी परिस्थिति में रखा गया है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष---अगर आप नहीं बैठते हैं तो बाहर चले जाइये। कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह---मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर एक बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप नहीं बैठते हैं तो बाहर चले जाइये। मैं आज्ञा देता हूं कि आप बाहर चले जाइये।

(माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े रहकर बोलने का प्रयत्न करते रहे।)

माननीय दीपनारायण सिंह जी बाहर नहीं जा रहे हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनको इंगित करता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह---आप ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं।

(इसके बाद श्री दीपनारायणसिंह सदन से चले गये।)

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री दीपनारायण सिंह जी.....

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, वह तो आपके आदेश से बाहर चले गये हैं। किस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी उनके विरुद्ध प्रस्ताव कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---एक व्यक्ति को जब मैंने इंगित कर दिया तो उसके बाहर जाने से कोई असर नहीं पड़ता।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दीपनारायण सिंह जी को आज के लिये सदन की सेवा से निलंबित किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि माननीय दीपनारायण सिंह जी के आज को लिये सदन की सेवा से निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी---इस समय श्री दीपनारायण सिंह सदन में वापस आ गये।)

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---अध्यक्ष महोदय, आपने दीपनारायण सिंह जी को इंगित किया था, वह फिर सदन में वापस आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष---अभी उनको निकाला नहीं गया है। पहले तो प्रस्ताव पास होगा।

प्रश्न यह है कि माननीय दीपनारायण सिंह को आज के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नमतानुसार स्वीकृत हुआ---
पक्ष में---१४२,
विपक्ष में---८७।)

श्री अध्यक्ष---माननीय दीपनारायण सिंह जी, आप सदन को छोड़ दें।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं सदन को छोड़ रहा हूं लेकिन यह संविधान के विरुद्ध किया जा रहा है और....

(व्यवधान—शोर, श्री दीपनारायण सिंह के बोलते रहने पर श्री अध्यक्ष ने मार्शल को पुकारा; इसी बीच श्री दीपनारायण सिंह सदन त्यागकर चले गये और मार्शल अपने स्थान पर वापस लौट आये।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—मुझे दुख है कि जब माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये थे, उसके बाद भी आपने इस प्रश्न को उपस्थित किया। मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित नहीं हुआ। मुझे आपकी इस व्यवस्था पर दुख है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं।

(व्यवधान)

अनेक सदस्य—हम लोग आपको नहीं बोलने देंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—और उस दुख के प्रतीक....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—व्यवस्था का प्रश्न अभी सुन नहीं पा रहे हैं। वे शायद कह रहे हैं कि उन्होंने बाहर जाना स्वीकार कर लिया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—और उस दुख के प्रतीक स्वरूप आपकी मर्यादा की रक्षा करते हुये हम लोग आधा घंटा के लिये सदन का परित्याग करते हैं।

(जन संघ दल के सदस्य व्यवधान के बीच सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के संबंध में, और यहां गेट पर माननीय सदस्यों के साथ पुलिस की ज्यादती के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न पर जो आपने व्यवस्था दी है, वह हमारे साथ अन्याय हुआ है और हिटलरशाही की तरह से सत्तारूढ़ दल अपने संख्या पर के नुसार बल पर जनतंत्र को जिस तरह से कुचल रहा है, उसके विरोध में सोशलिस्ट पार्टी एक घंटे के लिये सदन का परित्याग करती है।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी, आपने कहा कि "अन्याय हुआ है", यह सदन का अवमान है, मैं बतला देता हूं।

(व्यवधान)

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—श्रीमन्, मैं माननीय उग्रसेन जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं। उसे मैं लिख कर भेज दूंगा।

(व्यवधान)

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, सब की भी एक सीमा होती है और आप मुझे जो कुछ भी सजा दें, लेकिन मैं आपकी दोनों व्यवस्था जो आपने शुरू में दीं, प्रीविलेज वाले प्रश्न पर, उससे भी मैं अपना डिसएग्रीमेंट जाहिर करता हूं और आपने जो दूसरी व्यवस्था अभी दी जिसमें आपने इंगित किया श्री दीपनारायण सिंह जी को, उससे भी मैं अपनी असहमति और मैं समझता हूं मेरे में इतना साहस होना चाहिये कि मैं इस वक्त उससे डिसएग्रीमेंट जाहिर कर सकूं। आपने शुरू में ही कहा था, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, कि हम नेताओं से बात करेंगे। लेकिन बिना बात किये हुये आपने आज उस प्रिविलेज वाले प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया। उसमें हमारे अधिकारों का हनन है। और अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था तो दीपनारायण सिंह जी को भी आपको.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—साधारणतया आप यह प्रोटेस्ट करके जा सकते हैं, लेकिन उसको अगर डिस्कस किया जायगा तो मैं समझता हूं कि आप नियमों का उल्लंघन करेंगे। आप पुराने और हमारे सदन के एक आदरणीय नेता होने के कारण मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया नियमों का उल्लंघन न करें।

श्री गेंदासिंह—मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता अपनी फीलिंग कह कर सदन का १ घंटे के लिये त्याग करना चाहता हूं।

(इसके पश्चात् प्रजा समाजवादी दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, जो कुछ गेंदासिंह जी ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि कम से कम नेताओं को जो आपने अवसर देने को कहा था वह अवसर देना चाहिये था। इसलिये हम आपकी दोनों रूलिंग्स के खिलाफ १ घंटे के लिये इस हाउस का त्याग करते हैं।

(इसके पश्चात् साम्यवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—आपने जो व्यवस्थायें दी हैं, उनके सम्बंध में माननीय गेंदा सिंह जी और अपोजीशन के अन्य नेताओं ने जो बातें कही हैं उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूं और आपकी दोनों व्यवस्थाओं के विरुद्ध में और मेरी पार्टी १ घंटे के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(इसके उपरान्त निर्दलीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री नवरंग सिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, आज जो अपोजीशन की तरफ से विरोध किया गया है और जो हमारा अधिकार है उसका हनन हुआ है उसके विरोध में .....

श्री अध्यक्ष—यह आप गलत कह रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकारों का हनन हुआ है। कोई हनन नहीं हुआ।

श्री नवरंग सिंह—हमारी पार्टी भी १ घंटे के लिये सदन का त्याग कर रही है।

(इसके उपरान्त स्वतंत्र दल के सदस्य भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ और कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिये हैं।

कक्षा ६, ७, ८ की पाठ्य पुस्तकों के अभाव के सम्बन्ध में दी गई नियम ५२ की सूचना पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब आइटम नम्बर ६ के विषय में शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

शिक्षा उप मन्त्री (श्री केशभान)—अध्यक्ष महोदय, कक्षा ६, ७, ८ की पाठ्य पुस्तकें केवल दो पुस्तक मालाओं के अतिरिक्त सरकार द्वारा तैयार नहीं की जाती। इनका प्रकाशन और भिन्न-भिन्न स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार वितरण प्रकाशकों के द्वारा होता है। इन पाठ्य पुस्तकों की स्वीकृति और उनके प्रकाशन पर नियंत्रण शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—जरा जोर से पढ़िये।

श्री केशभान—इन पाठ्य पुस्तकों के कथित अभाव के संबंध में जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि भूगोल और इतिहास की पुस्तकों के अतिरिक्त इस सत्र में इन कक्षाओं की किसी भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुस्तक का अभाव नहीं रहा है। भूगोल और इतिहास की पुस्तकें थोड़ी विलम्ब से उपलब्ध हुईं। इसका कारण इस प्रकार है :

क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट, १९६१ के अनुसार किसी भी प्रकाशन में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का क्षेत्र, चिन्ह, शकल या किन्हीं अन्य दृश्य, विधियों द्वारा अशुद्ध अंकन अपराध घोषित किया जा चुका था। इस दृष्टि से जिन प्रकाशनों में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें अंकित थीं उनकी प्रामाणिकता की जांच कराना आवश्यक समझा गया। इसकी प्रामाणिकता की जांच करने की एक मात्र संस्था डायरेक्टर मैप पब्लिकेशन्स, भारत सरकार, देहरादून है। प्रकाशकों को इस संस्था द्वारा मान चित्रों की प्रामाणिकता कराने को कहा गया और साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय ने भी उपर्युक्त अधिकारी को समयानुकूल यह जांच करा देने का अनुरोध किया।

किन्तु कुछ मजबूरियों के कारण उपर्युक्त संस्था इस कार्य को समय के अन्तर्गत करने में असमर्थ रही। अन्त में इस संस्था द्वारा प्रकाशित एटलस में मुद्रित भारत के मानचित्र को अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के मानचित्र दुरुस्त कराये गये। इसमें समय लगा। फिर भी, और सभी पुस्तकें जुलाई के अन्तर्गत उपलब्ध हो गईं, केवल भूगोल की पुस्तकमाला अगस्त के पूर्वार्द्ध में उपलब्ध हुई।

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस सत्र में कक्षा ६, ७ और ८ की पाठ्य पुस्तकों का अभाव नहीं रहा है, अनिवार्य कारणों से केवल दो विषयों की पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में विलम्ब हुआ।

श्री अध्यक्ष—कोई प्रश्न है इस पर ?

(किसी ने प्रश्न नहीं किया)।

†उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

(क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब मैं बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ को ले रहा हूं।

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ८-क में—

(१) उपधारा (१) म शब्द और पूर्ण विराम "प्रार्थना-पत्र देगा।" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिये जायें:—

"व्यापारी द्वारा रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के लिये या, उसकी स्वेच्छा से, और अधिक अवधि के लिये, जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की न होगी, दिया जा सकता है।"

(२) उपधारा (१-क) में खंड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(क) कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे तथा ऐसी शर्तों पर जो निर्धारित की जायें, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और व्यापारी को रजिस्टर करा सकता है। इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, रजिस्ट्री उस अवधि में प्रवृत्त रहेगी जिसके लिये वह स्वीकृत हुई हो।

(ख) इस धारा के अधीन रजिस्टर हुआ व्यापारी, जब तक कि उसका रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रद्द न कर दिया गया हो, अपने

सं० प्रा० अधिनियम सं० १५, १९४८ ई० की धारा ८-क का संशोधन

---

†२१ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

**१९ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र का नवीकरण ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर करायेगा जो निर्धारित किया जाये ।

(ग) व्यापारी को प्रत्येक ऐसे कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके लिये रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकृत किया गया हो, १० रुपये शुल्क देना होगा;" और

(३) उपधारा (३) में—

(क) शब्द "नकदी पर्चा (कैश मेमो)" तथा शब्द "देगा" के बीच में शब्द तथा कामा "या उधार पर्चा, जैसी भी दशा हो" रख दिये जायें; तथा

(ख) शब्द "क्रेता से कोई रकम कर के रूप में वसूल करता है" के स्थान पर शब्द "कर के रूप में कोई धनराशि क्रेता से लेता या आदेय करता है", शब्द "वसूल की गई" के स्थान पर शब्द" ली या आदेय की गयी", शब्द "नकदी पर्चा" के स्थान पर शब्द "पर्चे" तथा शब्द "जिन्हें उसने निर्धारित ढंग से वसूल किया हो, सही और ठीक लेखा भी रखेगा" के स्थान पर शब्द "जिन्हें उसने लिया या आदेय किया हो, निर्धारित ढंग से सही और ठीक लेखा भी रखेगा" रख दिये जायें ।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) को निकाल दिया जाय ।

मेरा यह संशोधन बहुत महत्व का है और इसमें एक सिद्धान्त की बात भी है किन्तु खंड ३ में इस बात का प्राविजन दिया गया है . . . .

श्री अध्यक्ष—अगर माननीय मंत्री जी इसे मान लें तो आपको कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी को यह प्रस्ताव मंजूर है ?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—मुझे मंजूर नहीं है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—माननीय मंत्री को अपनी बात समझाकर मैंने यह कोशिश की कि वह मेरी बात को समझ कर इसे स्वीकार कर लें, लेकिन मैं उसमें असफल रहा । इसलिये मैं मजबूर हुआ कि इस अमेंडमेंट को उपस्थित करूं और जो कुछ उसके पक्ष में निवेदन करना है उसको इस आशा से पुनरावृत्ति करूं कि कदाचित् माननीय मंत्री जी उसको सुन कर या तो संतुष्ट कर सकें कि वह बात जो मैं उसके पक्ष में कहूं वह गलत है या फिर वह कृपया उसे स्वीकार करने की कृपा करें ।

इस संशोधन के द्वारा इस बात का एक नया प्राविजन बढ़ाया गया है । अब तक सेल्स टैक्स ऐक्ट में केवल यह था कि कैश मेंमो एक डीलर को देना पड़ता था, उसको क्रेडिट मेमो नहीं देना पड़ता था । इसका विशेष कारण यह था कि आखिर जब हम कोई प्रतिबन्ध लगाते हैं तो उसका एक अर्थ और मतलब होता है । उसका अर्थ और मतलब यह होता है कि उसके द्वारा वेरिफिकेशन्स संभव हों कि कोई गलती न हो, कोई बेईमानी न हो, कोई इवेजन न हो । इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं । प्रतिबन्ध लगाने में कोई खुशी नहीं हो सकती कि प्रतिबन्ध लगाने के लिये प्रतिबन्ध लगाये जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक क्रेडिट मेमो का संबंध था, वह इसलिये रखा गया था कि जो डीलर के एकाउन्ट्स होते हैं, उनमें उधार के सारे विवरण होते हैं। फिर क्या आवश्यकता है कि हम उस डीलर पर इस बात की जिम्मेदारी लादें कि वह क्रेडिट मेमो इश्यू करे एक खास शक्ल में, एक खास रूप में ? ऐसा खयाल है माननीय मंत्री जी का कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके एकाउन्ट रखने की बात जो है वह पूरी नहीं हो पायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। जहां एक एकाउन्ट रखने की बात है इस ऐक्ट में मूल धारा १२ जो है, उसमें विस्तृत एकाउन्ट रखने की बात कही गयी है। अभी कल माननीय बसन्त सिंह जी यहां पर सेल्स टैक्स के संबंध में भाषण करते हुये कह रहे थे—वह पता नहीं क्या कहना चाहते थे, लेकिन कहते कहते वह यह कहने लगे—कि भारतीय दूकानदारी का नाम बेईमानी है। मैं नहीं समझ सका उनका वह शब्द, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब हम यहां कोई नियम पारित करते हैं उस समय हम ऐसे नियम बनायें जिनका पालन सम्भव हो। अगर बेईमानी होती या बढ़ती है तो वह इसलिये होती है कि हम नियम इस सदन में ऐसे बनाते हैं जो मजबूर करते हैं लोगों को उनका पालन न करने के लिये। अगर नियम बनाते समय हम इस बात का ध्यान रखें कि वह ऐसे सरल नियम हों, जिनका पालन संभव हो तो कदाचित् ऐसी दिक्कत न हो।

मायन्वर, मैंने दूसरे प्रदेशों के संबंधित सेक्शन्स को भी देखा है लेकिन उनमें कहीं पर भी क्रेडिट मेमोज को इश्यू करना जरूरी नहीं समझा गया है। मैं अधिक न कह कर इन्तजार करूंगा इस बात का कि माननीय मंत्रीजी यह बतायें कि वह कौन से कारण हैं जो उन्हें मजबूर करते हैं इस नयी पाबन्दी को व्यापारी पर लागू करने के लिये। मैं इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब भी जो एकाउन्ट्स रखने पड़ते हैं उसमें ६-७ प्रकार के एकान्ट्स को रखना पड़ता है डीलर को। अगर कई कमोडीटीज में डील करता है तो हर कमोडिटी का अलग-अलग रूप में एकाउन्ट रखेगा। अगर इम्पोर्टेड और प्रदेश की वस्तुओं में डील करता है तो उनके अलग अलग एकाउन्ट्स रखेगा। गरज यह कि ७/८ तरीके से उसको एकाउन्ट्स रखने पड़ते हैं। नियम पास करते समय हमें ऐसा लगता है कि बड़ी सीधी सी बात है इतनी चीजें जहां हैं वहां एक चीज और बढ़ जायगी तो क्या कठिनाई बढ़ जायगी। लेकिन अगर उस डीलर की कल्पना करें जो एक छोटा सा डीलर होता है, जिसके पास सीमित साधन होते हैं, छोटा छोटा सौदा बेचता है, वह कैश मेमो तो देता ही है लेकिन अब क्रेडिट मेमो भी बड़ी संख्या में दे तो यह कैसे संभव हो सकेगा ?

मैं इतना ही कह कर समाप्त करूंगा इस बात की प्रतीक्षा में कि यदि माननीय मंत्री जी कोई विशेष कारण बतायें तब तो ठीक है वरना कदाचित वह स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जगदीश शरण जी के ६/७ और संशोधन इसमें आगे हैं और एक कमेटी बनी हुई है जो सेल्स टैक्स के पूरे ऐक्ट पर विचार कर रही है कि किस तरह से उसका अमेंडमेन्ट किया जाय और जगदीश शरण जी भी उसके एक वरिष्ठ मेम्बर हैं। तो मेरा खयाल ऐसा है कि जब उस कमेटी का काम पूरा होगा तो कोई न कोई अमेंडमेंट आयेगा ही। और जो क्रेडिट मेमो की बात है, तो वह इसलिये रखा गया है कि उससे हमारा हिसाब किताब साफ होता है। नहीं तो कोई कैश में वसूल करे और दे क्रेडिट मेमो। अगर कोई क्रेडिट में देता है और क्रेडिट मेमो इश्यू करता है तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इन सारी चीजों पर विचार करने के लिये उनको आगे मौका मिलेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि वे अपने संशोधन रख दें, सरकार जिनको स्वीकार करना चाहेगी स्वीकार कर लेगी अन्यथा सारा प्रश्न उस कमेटी के सामने रहेगा और उसमें उन्हें मौका मिलेगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—मान्यवर, मेरे पास कोई और चारा कारी नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड अनुयायी के नाते मैं इसको वापस लेता हूं इसी आशा में कि यथासमय इस पर विचार हो सकेगा।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ४

सं० प्रा० अधिनियम सं० १५, १९४८ ई० की धारा ९ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ९ में—

(१) उपधारा (३) में—

(क) खंड (ग) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कामा रख दिया जाये और तत्पश्चात् शब्द "अथवा" बढ़ा दिया जाये ; और

(ख) खंड (ग) के पश्चात् नये खंड (घ) और (ङ) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:—

"(घ) (१) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन मुक्त करने या न करने की आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं, उसे रद्द या परिष्कृत कर सकते हैं ; या

(२) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा लगाये गये शुल्क का समर्थन कर सकते हैं या उसे बढ़ा-घटा सकते हैं ; या

(३) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन मुक्त करने या न करने की आज्ञा को रद्द कर सकते हैं और कर निर्धारक अधिकारी को, ऐसी अतिरिक्त जाँच, जिसका निदेश दिया जाये, करने के पश्चात् नयी आज्ञा देने का निदेश दे सकते हैं ; या

(ङ) धारा ३० के अधीन दी गयी आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं अथवा उसे रद्द कर सकते हैं और कर-निर्धारक अधिकारी को धारा ३० के अधीन मामले की सुनवाई पुनः आरम्भ करने के लिये निदेश दे सकते हैं ।

(२) उपधारा (५) में—

(क) शब्द "यदि अपील सुनने वाले अधिकारी के निर्णय के अनुसार देय कर की धनराशि कम हो जाती है" के स्थान पर शब्द "यदि निर्धारित कर या लगाये गये शुल्क या अर्थ-दंड की धनराशि उपधारा (३) के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा कम कर दी जाये" रख दिये जायें, और

(ख) शब्द "अधिक कर" और शब्द "को लौटाने" के बीच में कामा तथा शब्द, "शुल्क या अर्थ-दंड" रख दिये जायें ।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है कि—

खंड ४ के उपखंड (१) (ख) की पंक्ति १ में चिन्ह व अक्षर '(घ)' के बाद 'और' निकाल दिया जाय तथा '(ङ)' के बाद और '(च)' बढ़ा दिया जाये, जो निम्न प्रकार होगा—

"(च) विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदंड की कुल धनराशि अथवा आंशिक धनराशि की वसूली को अपील के निश्चय तक रोकना :

परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वसूली यदि स्थगित की जाय, तो प्रार्थी से यह अपेक्षा की जायगी कि वह संबद्ध कर-निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार, ऐसी अवधि के भीतर, जो अपील अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाय, प्रतिभूति दे ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इस संशोधन के जरिये मैंने केवल एक माँग की है। जो हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स में प्रचलित सेल्स टैक्स ऐक्ट हैं, उनमें जो पावर दी गई है उसकी ही मैंने माँग की है। आपके डिवीजन में हेड क्वार्टर पर अधिकारियों के खिलाफ जो जज अपील फैसला सुनते हैं उनको अधिकार है कि जब तक अपील का फैसला हो, अगर वह समझते हैं कि यह गलत तरीके से लगाया गया है तो वह अपीलान्ट को संरक्षण दे सकते और डिसप्यूटेड टैक्स को रोक सकते हैं, उस समय तक के लिये जब तक कि अपील तय हो। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के सेल्स टैक्स की यह विशेषता है और यह प्रवृत्ति गलत है कि आपने जुडीशियल आफिसर्स से पावर हटाकर सेल्स टैक्स आफिसर को दी है। मान्यवर, जो अधिकार आपने सेल्स टैक्स आफिसर को दे रखे हैं कि जहां चाहे स्टे कर सकता है उनको भी जज अपील को नहीं दिया है। इसकी हिन्दुस्तान की किसी स्टेट के सेल्स टैक्स ऐक्ट में मिसाल नहीं मिलती है। इसका परिणाम यह होता है कि करप्शन बढ़ता है और लोगों को दिक्कत पड़ती है और स्टे हासिल करने के लिये लोगों को लखनऊ आना पड़ता है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने एक कारण बतलाया था कि व्यावहारिक कठिनाई होती है। लेकिन वह कौन सी कठिनाई है, इस पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला है। मुझे आशा है कि इसका भी जवाब मुझे मिलेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको उस समय तक के लिये रोक दें जब तक कि कमेटी इस पर अपना फैसला न ले ले। हम पीछे की ओर क्यों अपने कदम उठायें ? दूसरे सूबों की आप एक तरफ नकल करते हैं कि सेल्स टैक्स आफिसर को जजेज बनाया जाय और जो चीज दूसरे सूबों में नहीं होती है उसको अपने यहां क्यों रखना चाहते हैं ? हर बात में Retsogessive स्टेप्स का लेना हमारा लक्ष्य हो रहा है। मैं इसको समझ नहीं सकता हूं। मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, उनका मतलब सिर्फ इतना है कि स्टे करने का अधिकार जजेज अपील को दे दिया जाय। उन्होंने एक आपत्ति उठाई थी कि जजेज अपील का काम जो असिस्टेंट कमिश्नर को ट्रांसफर किया है यानी उनका नाम हटाकर असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं तो यह एक प्रतिगामी कदम होगा। अब उनसे स्टे करने का अधिकार हम छीन नहीं रहे हैं। आपका कहना यह है कि नया अधिकार जजेज अपील को दे दिया जाय। मैं यह कहता हूं कि कमेटी को पूरा अधिकार है और जैसा कि उन्होंने कहा कि अपील विभाग के लोग सुनते हैं उनके बजाय जजेज को पावर दी जाय तो यह सारी बातें कमेटी के सामने मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि माननीय जगदीश शरण जी कमेटी में थैंश आउट कर लें और फिर कमेटी से सदन में आयेगा तो सदन उस पर विचार करेगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट—मान्यवर, इसीलिये मैंने प्रारम्भिक भाषण में निवेदन किया था कि अच्छा होता यदि यह बिल ही न आया होता। जनता जिस आशा को लिये बैठी होती है अगर उसके खिलाफ होता है तो उसको असंतोष होता है। लेकिन माननीय मंत्री जी की यह बात शायद जनता तक पहुंच जायगी और आगे शायद उचित व्यवस्था हो जाय, इसी आशा से मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड ५–७

सं० प्रा० अधिनियम सं० १५, १९४८ ई० की धारा १० का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १० में—

(१) उपधारा (३) के खंड (१) में—

(क) शब्द "पुनरीक्षण अधिकारी (Revising Authority)" तथा शब्द "अपना" के बीच में शब्द "अथवा कोई अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी" रख दिये जायें; और

(ख) उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित नये प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिये जायें:—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कर, शुल्क या अर्थ-दंड की किसी धनराशि की वसूली के स्थागन के लिये प्रार्थना-पत्र पुनरीक्षण अधिकारी या किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण न किया जायेगा, जब तक कि कर-निर्धारक अधिकारी या अपील सुनने वाले अधिकारी, जैसी भी दशा हो, की आज्ञा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण उसके समक्ष विचाराधीन न हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कभी कर, शुल्क या अर्थ–दंड की किसी धनराशि की वसूली पुनरीक्षण अधिकारी या किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थगित की जाय, तो प्रार्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह संबद्ध कर-निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार, ऐसी अवधि के भीतर, जो उसके पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त, पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाय, प्रतिभूति दे।"

(२) उपधारा (३) के खंड (२) में शब्द "संविधान के अनुच्छेद २१७ के खंड (२) के अधीन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश (Judge) की नियुक्ति के निमित्त अर्ह (qualified) किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त पुनरीक्षक अधिकारी (Additional Revising Authority) नियुक्त कर सकती है" के स्थान पर शब्द तथा कामा "पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह व्यक्तियों में से उतने अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जितने वह आवश्यक समझे" रख दिये जायें; और

(३) उपधारा (५) में—

(क) शब्द "यदि फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा (३) के अन्तर्गत निर्धारित की गई रकम को कम कर देता है" के स्थान पर शब्द "यदि निर्धारित कर या लगाये गये शुल्क या अर्थ–दंड की रकम उपधारा (३) के अधीन पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा कम कर दी जाये" रख दिये जायें, और

(ख) शब्द "वह कर" और शब्द "की उस अधिक रकम" के बीच में कामा तथा शब्द, "शुल्क या अर्थ–दंड" रख दिये जायें।

सं० प्रा० अधिनियम सं० १५, १९४८ की धारा २४ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) का खंड (चच) निकाल दिया जाये।

७—मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात्, नयी धारा ३१ के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये और १ अप्रैल, १९४८ से इसी प्रकार बढ़ाया गया समझा जाये :—

सं० प्रा० अधिनियम सं० १५, १९४८ ई० में नयी धारा ३१ का बढ़ाया जाना।

"३१—(१) यदि किसी व्यापारी ने, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, १९५६ की धारा ७ द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व की धारा ७ के उपबन्धों के अनुसार, पूर्व वर्ष के अपने विक्रय-धन के आधार पर कर-निर्धारण किये जाने की स्वेच्छा व्यक्त की हो, तो उस पर कर ऐसी दरों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा जो उस वर्ष में प्रचलित हो, जिसके लिये कर निर्धारण किया जा रहा हो, और यदि उस कर निर्धारण वर्ष में किसी माल या माल के वर्ग पर कर की दरों में परिवर्तन कर दिया जाये, तो व्यापारी, ऐसे माल के विक्रय धन के संबंध में, परिवर्तित दरों के अनुसार कर का उसी प्रकार देनदार होगा मानो परिवर्तित दरें पूर्व वर्ष में भी उसी अनुपात में उतने दिनों के लिये प्रचलित थीं, जितने दिनों के लिये वे कर निर्धारण वर्ष में प्रचलित रहीं।

(२) किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आज्ञा में किसी बात के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, १९५६ द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व की धारा ७ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन कार्य करते हुये भासित होने वाले किसी, अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किये गये सभी कर निर्धारण या दी गयी सभी आज्ञाएं, किये गये सभी कार्य या की गयी सभी कार्यवाहियाँ, जारी किये गये सभी निदेश, प्रयुक्त सभी क्षेत्राधिकार या लगाये गये अथवा वसूल किये गये सभी कर, विधि की दृष्टि से उसी प्रकार ठीक तथा वैध समझे जायेंगे मानों वे कर-निर्धारण, आज्ञाएं, कार्य, कार्यवाहियाँ, निदेश, क्षेत्राधिकार और कर, उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, १९६२ द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उक्त उपबन्धों के अधीन या अनुसार, यथास्थिति, विधिवत् किये गये, दी गयी, किये गये, की गयी, जारी किये गये, प्रयुक्त हुए, लगाये गये या वसूल किये गये हों और मानो इस प्रकार किया गया संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनाँकों पर प्रचलित रहा हो।

उ० प्र० अधिनियम संख्या, १९६२।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पदावली "पूर्व वर्ष" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, सन् १९५६ ई०, की धारा २ द्वारा संशोधित होने के पूर्व के इस अधिनियम की धारा २ के खंड (ञ) के उप-खंड (२) में दिया हुआ था।"

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—मान्यवर, अब की दफा मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन बहुत डिस्प्यूटेड नहीं है, माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

उसे मैं प्रस्तुत करता हूं— 'खंड ५ के उपखंड (१) (ख) में प्रस्तावित प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड की अन्तिम पंक्ति में शब्द "उसके" के स्थान पर शब्द "समुचित अधिकारी के" रख दिये जायं।

इसके पक्ष में केवल इतना निवेदन करना है कि समुचित अधिकारी रखने से वह कन्फ्यूजन समाप्त हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) (ख) में प्रस्तावित प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'उसके' के स्थान पर शब्द 'समुचित अधिकारी के' रख दिये जाँय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ तथा खंड ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जाँय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८

सं० प्रा० अधिनियम संख्या १५, १९४८ ई०, में नयी धारा का बढ़ाया जाना ।

८—मूल अधिनियम की उक्त धारा ३१ के पश्चात् नयी धारा ३२ के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये और २० जुलाई, १९६१ से इसी प्रकार बढ़ाया गया समझा जाये:—

"३२—(१) उपधारा (३) उपबन्धों के अधीन रहते हुये—

(१) धारा ९ के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्रों पर,

(२) कर, शुल्क या अर्थ-दंड की वसूली के स्थगन के लिये प्रार्थना-पत्रों सहित, धारा१० के अधीन पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्रों पर; और

(३) इस अधिनियम के अधीन अन्य प्रार्थना-पत्रों पर, जो २० जुलाई, १९६१ को या उसके पश्चात् प्रस्तुत किये गये हों, चाहे कर-निर्धारण की कार्यवाहियाँ उक्त दिनाँक के पूर्व प्रारम्भ की गयी हों या उसके पश्चात, शुल्क निम्नलिखित प्रकार से देय होगा और उपर्युक्त दिनाँक से इस प्रकार देय समझा जायगा, मानो उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६२ द्वारा इस अधिनियम का संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनाँकों पर प्रचलित रहा हो, भले ही किसी अन्य विधि, न्यायालय की डिक्री या आज्ञा में कोई प्रतिकूल बात दी हो :—

(१) धारा ९ के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र पर	विवाद-ग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ-दंड की धनराशि का एक प्रतिशत, किन्तु कम से कम एक रुपया तथा अधिक से अधिक पचास रुपये ।
(२) धारा-१० के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र पर	विवाद-ग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ-दंड की धनराशि का पाँच प्रतिशत, किन्तु कम से कम पाँच रुपये तथा अधिक से अधिक एक सौ रुपये ।
(३) किसी अन्य प्रार्थना-पत्र पर—	
(क) यदि वह बिक्री-कर कमिश्नर या पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को संबोधित हो	दो रुपये ।

(ख) यदि वह किसी अन्य अधिकारी को संबोधित हो— एक रुपया ।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित शुल्क का भुगतान या तो कोर्ट फीस टिकट लगा कर किया जायेगा या ऐसा खजाना चालान लगा कर किया जायेगा जिससे यह विदित हो कि उस के संबंध में देय शुल्क की अपेक्षित धनराशि खजाने में जमा कर दी गयी है ।

(घ) निम्नलिखित के संबंध में कोई शुल्क देय न होगा—

(क) बिक्री-कर कमिश्नर या कर-निर्धारक अधिकारी या इस अधिनियम अथवा तदधीन बने नियमों के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र ;

(ख) ऐसा प्रार्थना-पत्र, जिसमें केवल सूचना माँगी गयी हो और जिसमें किसी विशेष अनुतोष की माँग न की गयी हो, और

(ग) सुनवाई का स्थगन करने के लिये प्रार्थना-पत्र ।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—मान्यवर, यह संशोधन भी एक महत्वपूर्ण संशोधन है । मैं आपके द्वारा इसको रखता हूं—

खंड ८ में प्रस्तावित धारा ३२ की उपधारा (१) के खंड (२) में नीचे लिखे शब्द निकाल दिये जायं—

"कर, शुल्क या अर्थदंड की वसूली के स्थगन के लिये प्रार्थना-पत्रों सहित,"

इतना केवल कहना चाहता हूं कि इसको तो माननीय मंत्री जी निकाल ही दें । चूंकि नयी ३२ धारा जोड़ी जा रही है, उसमें यह परेशानी पैदा हो जायगी कि पहली जुलाई, १९६१ से अब तक जो और प्रार्थनापत्र आये हैं उनके बारे में क्या होगा । इसलिये इसको इस तरह से संशोधित करने से वह पूरा हो जायगा । लेकिन एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से इसी सिलसिले में कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी चाहे अपने स्पष्टीकरण द्वारा या ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर द्वारा एक बात का किसी तरह से स्पष्टीकरण करा दें । उस रोज जब माननीय वित्त मंत्री जी भाषण दे रहे थे तो मैंने निवेदन किया था लेकिन उस वक्त उसका जवाब नहीं आ सका । पहली जुलाई, १९६१ तक जो प्रार्थनापत्र आये थे, और अब तक जो रिवीजन तय हो चुके हैं— इतना और निवेदन कर दूं—मान्यवर, आप इसको सबसे ज्यादा ऐप्रीशिएट कर सकेंगे—कि जब रिवीजन में प्रार्थनापत्र गया तो रिवीजन जज ने हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर रूलिंग दे दी कि अगर पहली जुलाई, १९६२ से पहले प्रोसीडिंग्स इनीशिएट हो चुकी हैं तो कर की बढ़ी हुई दर नहीं मिलेगी । आप इसके द्वारा यह करने जा रहे हैं, इरेस्पेक्टिव आफ दि फैक्ट कि पहली जुलाई, १९६१ से पहले प्रोसीडिंग्ज इनशिएट हो चुकी थीं, या नहीं, उस पर टैक्स लागू हो जायगा और उसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं । पहली जुलाई, १९६१ से । तो एक बात स्पष्ट हो जाय कि पहली जुलाई, १९६१ तक जो रिवीजन हो चुके और उनमें बहुत से खारिज भी हो गये, तो इस नियम के अनुसार यह दिक्कत तो नहीं पैदा हो जायगी कि आप सब से दोबारा पिछले पीरियड का टैक्स वसूल कर लेंगे । इसका भी स्पष्टीकरण करने की कृपा करें ।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन् जी, कोई दोबारा वसूल करने का सवाल नहीं है और इसमें अस्पष्ट अगर है तो उसको स्पष्ट कर दिया जायगा और एक संशोधन माननीय सदस्य ने इसके बाद और दिया है, उससे वह बात साफ हो जायगी । यह संशोधन स्वीकार नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---अब कुछ कहने की तो कोई गुंजाइश नहीं रही। अगर आप उसको अपने स्पष्टीकरण द्वारा ठीक कर देंगे और आपका यह मंशा है कि उन पर यह नहीं लगेगा तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---मान्यवर, यह वह संशोधन है जिसकी ओर कि अभी माननीय मंत्री जी ने संकेत किया और इसको मान लेने से कदाचित् वह बात जिसको मैं निवेदन कर रहा था काफी अंश तक पूरी हो सकेगी। मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर देता हूं---खंड ८ में प्रस्तावित धारा ३२ की उपधारा (१) में देय शुल्क से संबंधित मद (२) में शब्द "प्रार्थना पत्र पर" के बाद कामा तथा शब्द "जो कर, शुल्क या अर्थ दंड की वसूली के स्थगन के लिये प्रार्थना-पत्र न हो" बढ़ा दिये जायं।

श्री जयराम वर्मा---यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ३२ की उपधारा (१) में देय शुल्क से संबंधित मद (२) में शब्द "प्रार्थना-पत्र पर" के बाद कामा तथा शब्द "जो कर, शुल्क या अर्थ दंड की वसूली के स्थगन के लिये प्रार्थना-पत्र न हो" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, यह शाब्दिक संशोधन है, "खंड ८ में प्रस्तावित धारा ३२ की उपधारा (१) में देय शुल्क से संबंधित मद ३ की उपमद (ख) में 'एक पया' के स्थान पर 'एक रुपया' रख दिया जाय।"

श्री जयराम वर्मा---यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ३२ की उपधारा (१) में देय शुल्क से संबंधित मद ३ की उप-मद (ख) में "एक पया" के स्थान पर "एक रुपया" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड, ९ १०, १ और प्रस्तावना तथा शीर्षक,

९---मूल अधिनियम में---

(१) धारा १० के शीर्षक में शब्द "फिर से कर निर्धारण" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "पुनरीक्षण (अथवा निरीक्षण या फिर से कर-निर्धारण)" रख दिये जायें; तथा

(२) जहां भी शब्द "फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी" अथवा "फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी" अथवा "पुनरीक्षक अधिकारी" या "पुनरीक्षक प्राधिकारी" आये हों उनके स्थान पर शब्द पुनरीक्षण अधिकारी" रख दिये जायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१०—२० जुलाई, १९६१ के असाधारण गजट में वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-२७६०/१०—९००(एस)/५२, दिनांक १५ जुलाई, १९६१ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स रूल्स, १९४८ (उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ ई०) का नियम ८४ निकाल दिया जाता है। नियम ८४ का निरसन

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने का सं० प्रा० अधि-नियम सं०, १५ १९४८ ई०

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

(२) यह, इस अधिनियम में की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९, १०, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Bill, 1962] पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Sales Tax (Amen dment) Bill, 1962] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२

***समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)**—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of dissipation of Properties) (Temporary Powers) Bill, 1962] में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

जो संशोधन यहाँ पर पास हुये थे, उनमें एक यह था कि जिन ट्रस्टों की जायदाद ५० हजार रुपये से ज्यादा हो। पहले यह था कि जिसकी आमदनी १२०० रुपये हो या उससे अधिक हो। अब यह संशोधन किया गया है कि जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५० हजार रुपये या उससे अधिक हो उस पर यह स्वीकार किया गया है।

इसी तरह से कमिश्नरों के स्थान पर 'कमिश्नर' रखने का संशोधन है। इन लफ्जों में ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से परिषद् को यह संशोधन करने पड़े। ये संशोधन बिल्कुल फार्मल हैं और उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो विवाद की हो। मैं आशा करता हूं कि जो संशोधन वहाँ से आये हैं, उनको नियम ५३ के अनुसार यह सदन स्वीकार करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—श्रीमन्, मैंने उन संशोधनों को पढ़ा है। म समझता हूं कि उन संशोधनों से हमारा मतलब और अच्छा हो जाता है। उसमें कोई भी ऐसा संशोधन नहीं है, जिसमें आपत्ति की गुंजायश हो। यह बिल एक ऐसा बिल रहा है जो इस सदन में अपना दूसरा उदाहरण नहीं रखता। पहले यह आवाज आई थी कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाय। यह आपोजिशन की तरफ से आवाज आई थी। तो मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ (Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Bill, 1962. में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Bill, 1962] में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों से सहमत है।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये अन्य संशोधनों की सूची (विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन जिनका विधान परिषद् के संशोधनों में संदर्भ है, संबंधित संशोधनों के नीचे कोष्ठकों के भीतर दे दिये गये हैं।)

खण्ड २

(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्य की आठवीं पंक्ति में शब्द "संस्था पर" के बाद शब्द "या ऐसी संस्था पर" और बढ़ा दिये जायं।

(२) विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन संख्या (३) में आये हुये शब्द "उस पर" निकाल दिये जायं।

[(३) खंड २ की अंतिम पंक्ति में शब्द 'पर' के बाद और शब्द 'प्रवृत्त' के पहले निम्नांकित जोड़ दिया जाय—

"जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५० हजार रुपये या उससे अधिक हो उस पर"]

खण्ड ४

(३) विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन संख्या (७) में से शब्द "अपने" निकाल दिया जाय।

[(७) खंड ४ के उपखंड (२) में शब्द "आयुक्तों" के स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जाय और इसी उपखंड में शब्द "अपने-अपने" के स्थान पर शब्द "अपने" रख दिया जाय।]

(४) उपखंड (२) की प्रथम व दूसरी पंक्ति में से शब्द "अधिक्षेत्रों में" निकाल दिये जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(५) उपखंड (३) की प्रथम व दूसरी पंक्ति में से शब्द "अपने अधीन काम करने वाले" निकाल दिये जायं।

(६) उपखंड (४) की अंतिम पंक्ति में शब्द "समझा जायगा तथा होगा" के स्थान पर शब्द "समझे जायेंगे तथा होंगे" रख दिये जायं।

खण्ड ६

(७) उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "रुपये" के बाद शब्द "या उससे अधिक" और जोड़ दिये जायं।

(८) विधान सभा द्वारा दिये गये संशोधन संख्या (१३) में शब्द "या" के बाद के शब्दों के स्थान पर शब्द "उसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये से कम है" रख दिये जायं।

[(१३) खंड ६ के उपखंड (५) की पंक्ति ३ में शब्द "है" और "किन्तु" के बीच निम्नांकित जोड़ दिया जाय—

"या जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये से कम हो।"]

खण्ड ८

(९) विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन संख्या (१४) में प्रथम व दूसरी पंक्ति में शब्द "निर्देश" के स्थान पर शब्द "निदेश" रख दिया जाय।

[(१४) खंड ८ के उपखंड (घ) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"यदि निर्दिष्ट समय में उक्त निर्देश का पालन न किया जाय तो उस निर्देश के पालन के लिये रिसीवर नियुक्त करना।"]

श्री अध्यक्ष—अब प्रस्ताव यह है जिसको मैं रखता हूं कि प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) Temporary Powers) Bill, 1962] में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों से सहमत है।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये अन्य संशोधनों की सूची (विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन जिनका विधान परिषद् के संशोधनों में संदर्भ है, संबंधित संशोधनों के नीचे कोष्ठकों के भीतर दे दिये गये हैं)।

खण्ड २

(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्य की आठवीं पंक्ति में शब्द "संस्था पर" के बाद शब्द "या ऐसी संस्था पर" और बढ़ा दिये जायं।

(२) विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन संख्या (३) में आये हुये शब्द "उस पर" निकाल दिये जायं।

[(३) खंड २ की अंतिम पंक्ति में शब्द "पर" के बाद और शब्द "प्रवृत्त" के पहले निम्नांकित जोड़ दिया जाय—

"जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५० हजार रुपये या उससे अधिक हो उस पर"।]

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड ४

(३) विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन संख्या (७) में से शब्द "अपने" निकाल दिया जाय।

[(७) खंड ४ के उपखंड (२) में शब्द "आयुक्तों" के स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जाय और इसी उपखंड में शब्द 'अपने अपने" के स्थान पर शब्द "अपने" रख दिया जाय।

(४) उपखंड (२) की प्रथम व दूसरी पंक्ति में से शब्द "अधिक्षेत्रों में" निकाल दिये जायं।

(५) उपखंड (३) की प्रथम व दूसरी पंक्ति में से शब्द "अपने अधीन काम करने वाले" निकाल दिये जायं।

(६) उपखंड (४) की अंतिम पंक्ति में शब्द "समझा जायगा तथा होगा" के स्थान पर शब्द "समझे जायेंगे तथा होंगे" रख दिये जायं।

खण्ड ६

(७) उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "रुपये" के बाद शब्द "या उससे अधिक" और जोड़ दिये जायं।

(८) विधान सभा द्वारा दिये गये संशोधन संख्या (१३) में "शब्द या" के बाद के शब्दों के स्थान पर शब्द "उसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये से कम है" रख दिये जायं।

[(१३) खंड ६ के उपखंड (५) की पंक्ति ३ में शब्द "है" और "किन्तु" के बीच निम्नांकित जोड़ दिया जाय—

"या जिसकी कुल सम्पत्ति का मूल्य ५०,००० रुपये से कम हो"।

खंड ८

(९) विधान सभा द्वारा किये गये संशोधन संख्या (१४) में प्रथम व दूसरी पंक्ति में शब्द "निर्देश" के स्थान पर शब्द 'निदेश' रख दिया जाय।

[(१४) खंड ८ के उपखंड (घ) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"यदि निर्दिष्ट समय में उक्त निर्देश का पालन न किया जाय तो उस निर्देश के पालन के लिये रिसीवर नियुक्त करना"।]

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२*

न्याय मन्त्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२ [The U.P. High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Bill, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

---

*१३ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२ [The U.P. High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Bill, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेण्ट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय में लेटर्स पेटेंट अपीलों की समाप्ति की व्यवस्था करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उच्च न्यायालय की परिभाषा

२—इस अधिनियम में "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य यू० पी० हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, १९४८ द्वारा यथासंघटित हाई कोर्ट आफ जूडिकेचर ऐक्ट इलाहाबाद से है।

अपीलीय क्षत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय या दी गयी आज्ञा के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों की समाप्ति

३—(१) ऐसे वाद या कार्यवाही से, जो चाहे इस अधिनियम के प्रचलित होने से पहले संस्थित अथवा प्रारम्भ की गयी हो या बाद में, उत्पन्न होने वाली ऐसी कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न की जा सकेगी जो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के उस निर्णय या आज्ञा के विरुद्ध हो जो उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा दी गयी डिक्री या आज्ञा के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके दी गयी हो, भले ही यू० पी० हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, १९४८ के खंड १७ के साथ पठित दिनांक १७ मार्च, १८६६ के हर मेजेस्टी के लेटर्स पेटेंट के खंड १० में या किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, वे सब अपीलें जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक के ठीक पूर्व के दिनांक को उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, वहां बनी रहेंगी और उनकी सुनवाई और निस्तारण उसी प्रकार पूर्ववत् किया जायगा, मानो यह अधिनियम प्रचलित हो न हुआ हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २,३,१, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रसिंह रावत—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२ [The U. P. High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Bill, 1962] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२ (The U.P. High Court (Abolition of Letters Patent Appeals) Bill, 1962) जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†प्रिज़न्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Prisons (Uttar Pradesh Sanshodhan) Vidheyak, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि.....

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—मान्यवर, मेरा सुझाव है कि मंत्री जी विधेयक प्रस्तुत करते समय दो मिनट तो दिया करें। इत्तफाक से जो बिल आये हैं वे इतने संक्षिप्त हैं कि अपोजीशन के रहते हुये भी ४,५ मिनट से ज्यादा उनमें नहीं लगना चाहिये था। बाद में यह भी कहा जा सकता है कि इतने थोड़े समय में चार बिल पास हो गये। तो कम से कम दो मिनट में संक्षिप्त रूप से वह कुछ बता दिया करें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—माननीय अग्रवाल जी, आप जो कह रहे हैं, उन विचारों का आदर हम सब इस सदन के सदस्य करते हैं। हमारी इच्छा रहती है कि विरोधी दल का प्रत्येक सदस्य यहां रहे। दुख केवल यह होता है कि जब हमारे नियमों का उल्लंघन होता है तो उस समय हम विवश हो जाते हैं और मजबूरी आ जाती है।

प्रश्न यह है कि प्रिजंस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Prisons (Uttar Pradesh Sanshodhan) Vidheyak, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

ऐक्ट संख्या ९, १८९४ — कतिपय प्रयोजनों के लिये प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में, संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार — १—(१) यह अधिनियम प्रिज़न्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

---

†१४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

२—प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ की धारा ५७ की वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

ऐक्ट संख्या ९, १८९४ की धारा ५७ का संशोधन

"(1) The sentence of imprisonment for life shall be regarded as a sentence of rigorous imprisonment and the prisoners undergoing such sentence may, subject to any rules made under section 59, be confined in fetters for the first three months after admission to prison."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसीदास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि "प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Prisons (Uttar Pradesh Sanshodhan) Vidheyak, 1962]" जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि 'प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Prisons (Uttar Pradesh Sanshodhan) Vidheyak, 1962]' जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२

*समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Zamindars' Debt Reduction (Amendment) Bill, 1962] पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह संशोधन ऐसा है कि जो बहुत उचित है और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इसको विचार करने के बाद पास कर देगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Zamindars' (Debt Reduction (Amendment) Bill, 1962)] पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधयक, १९६२

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनार्थ "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" को संशोधित करने के लिये

---

†१३-९-६२ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३ का संशोधन के साथ प्रभावी होना ।

२—उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ प्रचलित होने के दिनांक से इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधनों के अधीन रहते हुये इस प्रकार प्रभावी होगा मानो यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित था :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे ऋण पर प्रवृत्त न होगी जो इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पूर्व शोधित हो चुका हो ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५,१९५३ की धारा ४ का संशोधन

३—"उत्तर प्रदेश जमींदरों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" कीधारा ४ में शब्द तथा कोष्ठक "जो डिक्री द्वारा भारित हो (charged under the decree)" निकाल दिये जायें तथा शब्द "डिक्री द्वारा भारित सम्पति" के स्थान पर शब्द "बन्धक की गयी सम्पत्ति" रख दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २,३,१, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—मान्यवर, मैं इसमें एक उपधारा बढ़ाना चाहता हूं। संशोधन आपके पास इसलिये पहले नहीं भेजा गया कि मुझे यह आशा थी कि यह कल आयेगा। मैंने माननीय मंत्री जी को दिखाया, उन्हें भी कदाचित् कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं मूव कर दूं।

श्री अध्यक्ष—जो आप का एमेंडमेंट है.....

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—श्रीमन्, मैं आपके पास इसलिये नहीं भेज सका कि आशा थी कि वह कल कार्यक्रम में आयेगा । इस विशेष परिस्थिति में माननीय न्याय मंत्री को स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—वह अब इस तरह से आ सकता है कि ३६ आवर्स की नोटिस दी जाय पहले से।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—श्रीमन्, नियमों में साफ लिखा हुआ है कि आप उसको वैसे कर सकते हैं, अगर किसी को एतराज न हो ।

श्री अध्यक्ष—यह आप ठीक कहते हैं, बशर्ते कि मेरे पास आ तो जाता ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—श्रीमन्, सारी स्थिति आपके सामने है।

श्री अध्यक्ष—वह इस समय नहीं आ सकता है ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Zamindars' Debt Reduction (Amendment) Bill, 1962] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Zamindars' Debt Reduction (Amendment)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

Bill, 1962], जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान-परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

† हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Hindu Marriage (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

यह संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया कि एक दूसरे के साथ मार पीट और बुरा बर्ताव जो कभी-कभी पति-पत्नी में हो जाया करता है, उसके कारण हिन्दू परिवारों में कलह होती रहती है। उन्हें शान्ति नहीं मिलती, इसलिये उसको दूर करने के लिए इसमें व्यवस्था की गयी है कि दो साल का जो रेस्टोरेशन फार कांजुगल राइट्स का अधिकार हासिल कर लिया हो उस दौरान में भी अगर वह रेस्टोरेशन न हुआ हो और आपस में व्यवहार ठीक न हो तो उसके बाद पेटीशन फार डाइवोर्स की स्वीकृति मिल सकती है। यह भी इन एक्सट्रीम केसेज में ही मिल सकती है।

***श्री हरिनाथ तिवारी** (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि डाइवोर्स पेटीशन में दोनों पार्टीज के लिए इसमें एक ही जगह रखी गयी है। अभी तक जितने भी केसेज आये हैं, उनमें यह देखा गया है कि हमेशा अग्रेसर हस्बैंड ही रहा करता था। जो इस समय अमेंडमेंट है उसमें दोनों पार्टी के लिए रखा गया है कि कोई भी क्रुएलटी के बेसिस पर पेटीशन दे सकते हैं। अबतक तो वीक सेक्स हमेशा वीक ही रही है, उसे कभी क्रुअल हमने तो सुना नहीं। मुमकिन है मंत्री महोदय को जाती अनुभव रहा हो कि जहां पर वाइफ ने भी हस्बैंड के साथ ऐसी क्रुएलटी की हो जिससे उस को पेटीशन लाने की आवश्यकता हुई हो। इसलिए यह अनावश्यक है, इसे मंत्री महोदय वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Hindu Marriage (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

हिन्दू मैरिज ऐक्ट, १९५५ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृति के संबंध में, संशोधित करने के लिए

विधेयक

ऐक्ट संख्या २५, १९५५

हिन्दू मैरेज ऐक्ट, १९५५ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, निर्दयता के कतिपय मामलों में विवाह-विच्छेद की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये संशोधित करना इष्टकर है।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रवृत्ति

१---(१) यह अधिनियम हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

---

† १८ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य के अधिवासी (domiciled) हिन्दुओं पर प्रवृत्त होगा और तब भी प्रवृत्त होगा जब विवाह-पक्षों में से कोई भी पक्ष विवाह के समय उत्तर प्रदेश राज्य का अधिवासी हिन्दू रहा हो।

ऐक्ट संख्या २५, १९५५ की धारा १३ का संशोधन

२—हिन्दू मैरेज ऐक्ट, १९५५ की धारा १३ की उपधारा (१) में —

(क) खंड (I) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय :—

"(i-*a*) has persistently or repeatedly treated the petitioner with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in the mind of the petitioner that it will be harmful or injurious for the petitioner to live with the other party ; or", और

(ख) खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय—

"(viii) has not resumed cohabitation after the passing of a decree for judicial separation against that party and

(*a*) a period of two years has elapsed since the passing of such decree, or

(*b*) the case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the other party ; or".

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रसिंह रावत—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Hindu Marriage (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 1962] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Hindu Marriage (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 1962] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—आज की कार्य-सूची में जो कार्य-क्रम था वह समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं। कल १० १/२ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १२ बज कर ४० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२० सितम्बर, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०४ पर]

१३ मई, १९६१ से १५ मई, १९६२ तक बन्द हुई बिजली का विवरण

	बार
१—देवरिया (११) ४ के० वी० सब-स्टेशन	
(क) ४० मिनट के अन्दर	१६
(ख) ५ घंटे के भीतर	१५
(ग) ५ से १० घंटे तक	४
२—रामपुर कारखाना	
नार्थ आर०एल० फीडर ११/४ देवरिया	
(क) ४० मिनट के अन्दर	३०
(ख) ५ घंटे के भीतर	३३
(ग) ५ से १० घंटे तक	५
३—पडरौना	
पडरौना आर० एल० फीडर ११/४	
(क) ४० मिनट के अन्दर	१६
(ख) ५ घंटे के भीतर	४०
(ग) ५ से १२ घंटे तक	२
४—लार (५) सलेमपुर (६) भाटपार	
भाटपार आर० एल० फीडर ११/४	
(क) ४५ मिनट के अन्दर	६०
(ख) ५ घंटे के भीतर	३४
(ग) ५ से ६ घंटे तक	२
७—बरहज (८) रुद्रपुर	
बरहज आर० एल० फीडर ११/४	
(क) ३० मिनट के अन्दर	२८
(ख) ५ घंटे के भीतर	४०
(ग) ५ से ११ घंटे तक	१२
९—कसिया (१०) कुशीनगर	
कसिया आर० एल० फीडर ११/४	
(क) ३० मिनट के अन्दर	२५
(ख) ३ घंटे के भीतर	३०
(ग) ३ से ४ घंटे तक	५
११—हाटा	
सरदार नगर आर० एल० फीडर ११/४	
(क) ३० मिनट के अन्दर	१६६
(ख) ५ घंटे के भीतर	३०
(ग) ५ से ८ घंटे तक	१६

विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१५ पर]

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में सहकारी रसायनशालायें चार हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम-संख्या	जिला का नाम	सहकारी रसायन-शाला का नाम	प्रत्येक रसा-यनशाला में मेम्बरों की संख्या	मेम्बरों का शेयर (रुपयों में)	सरकारी सहायता (रुपयों में)	एक वर्ष में तैयार की हुई दवाओं का मूल्य	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१	अल्मोड़ा ..	कोआपरेटिव ड्रग्स फैक्टरी उद्योग नगर रानीखेत	२२४	३३,२८,०००.००	२०,००,०००.००	२,६७,१५०.००*	*यह विवरण सन् १९६०-६१ का है। इस रसायनशाला में सदस्यता व्यक्तिगत रूप में नहीं है।
२	बरेली ..	आयुर्वेदिक औषधि निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड	२८	३,१२०.००	१,१२८.६६	५०३८.९९	..
३	झांसी ..	आयुर्वेदिक सहकारी समिति लिमिटेड	१७	१७००.००	कुछ नहीं	इस संस्था में कोई नियम नहीं है कि कितनी दवा निर्माण की जायगी परन्तु स्थानीय मांग के अनुसार ही निर्माण-कार्य होता है।	
४	लखनऊ ..	मृत्युंजय सहकारी रसायनशाला	२७	१,१३५.००	कुछ नहीं	अप्राप्त	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९–१० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१९ पर)

मिल का नाम	कारण
वे मिलें जिनमें सिफारिशें बिलकुल ही नहीं कार्यान्वित हुईं	
१—बिजली काटन मिल्स हाथरस	मिल मालिकों ने हाई कोर्ट में रिट दायर करके स्टे आर्डर ले लिया है।
वे मिलें जिनमें सिफारिशें आंशिक रूप से कार्यान्वित हुईं	
१—जेनरल फाइबर डीलर्स, लखनऊ	संकलित वेतन विधि के कारण क्लर्कों के वेतन-क्रम तथा महंगाई भत्ते से सम्बन्धित सिफारिशें लागू नहीं की जा सकीं।
२—रजा टैक्सटाइल, रामपुर	" " "
३—लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल, सहारनपुर	" " "
४—प्रेम स्पिनिंग मिल, उझानी।	" " "

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर।)

सूची

१—जिप फास्टनर्स ..
२—प्रेस तथा नाइलान के बटन ..
३—ताले ..
४—नाप जोख तथा गणित के यंत्र ..
५—कांच के खिलौने ..
६—लालटेन तथा बरनर ..
७—सिलाई की मशीन तथा उसके पुर्जे
८—साइकिल की तीलियां तथा फ्रिव्हील
९—रेफ्रीजीरेटर तथा उसके पुर्जे ..
१०—स्टील के बने हुए नापने के फीते ..
११—काग़ज़ बनाना ..
१२—गन्ना पेरने की मशीन ..
१३—फाउन्टेनपेन बनाना ..
१४—लकड़ी के फ्रेम वाली स्लेट तथा उन पर लिखने वाली पेंसिलें
१५—बिजली का सामान ..
१६—डिज़िल आयल से चलने वाले इंजिन
१७—खेल-कूद का सामान बनाना ..
१८—दाढ़ी बनाने के लिये ब्लेड्स ..
१९—चित्रकारी का सामान
२०—टीन की बाल्टियां बनाना
२१—आल्पीन बनाना
२२—कटीले तार बनाना
२३—मिट्टी के तेल से जलने वाले चूल्हे
२४—खेती तथा बाग़वानी के औज़ार
२५—छाते की छड़ियां
२६—सिगरेट लाइटर
२७—बैटरीज़
२८—बिजली के पंखे
२९—प्लास्टिक तथा पोलीथीन के थैले
३०—वार्निश
३१—नाइट्रिक एसिड बनाना
३२—प्लास्टिक के खिलौने तथा अन्य वस्तुएं
३३—चमड़े का सामान
३४—फल संरक्षण
३५—जूतों की पालिश
३६—दियासलाई
३७—कपूर बनाना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२५ पर)

वर्ष			डकैती की संख्या	व्यक्तियों की संख्या जो अदालत भेजे गये	व्यक्तियों की संख्या जो बरी हुए
१९५७	..	..	१९	१०६	७५
१९५८	..	..	८	५५	३२
१९५९	..	..	९	३४	२७
१९६०	..	..	१४	७७	५३
१९६१	..	..	३२	१५८	६२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२६ पर)

तालिका

थाना	अपराध	रिपोर्ट	तफतीश	चालान	सजायाब	रिहा	जेर तज-बीज	लापता
				१९६०				
घोसी	कत्ल	२	२	२	—	२	—	—
	डकैती	—	—	—	—	—	—	—
	नकबजनी व चोरी	२२	२०	१०	१	९	—	१०
				१९६१				
घोसी	कत्ल	३	३	२	—	—	२	१
	डकैती	१	१	१	—	१	—	—
	नकबजनी व चोरी	३५	३५	१६	१	१	१४	१९

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२८ पर)

यह सत्य है कि दोनों ग्राम झरपुरा और पीतिपुरा थाना शमशाबाद में कुछ व्यक्तियों के मार पीट की रिपोर्ट दिनांक ५–१०–६१ को की गई थी। इनके विवरण निम्नांकित हैं:—

१—एक रिपोर्ट दौजीराम पुत्र पोहम राम जाटव, निवासी ग्राम झरपुरा मजरा धौमश्री थाना शमशाबाद ने १२–१५ बजे लिखाई जिसके अनुसार उसके भतीजे बुद्धा को ५ बजे सुबह लाठियों द्वारा मारा गया और उसे ग्राम आमनीमान ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। कथित मारने वालों के नाम निम्न हैं:—

(१) बाबूलाल, (२) रन्तू, (३) भगवान सिंह, (४) कामता प्रसाद हैं जो ग्राम जामनी मान थाना शमशाबाद के रहने वाले हैं। यह भी कहा गया था कि मारने वाले ग्राम फरपुर वापस आये और दौजीराम के भाई नत्था को पकड़ा और उसको भी उसी कमरे में बन्द कर दिया जिसमें कि बुद्धा उपस्थित था। तत्पश्चात् नत्था और बुद्धा को एक कोरे कागज पर अपने-अपने निशानी अंगूठा लगाने को मजबूर किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार कामता प्रसाद को छोड़ कर शेष मारने वाले व (५) भंवर सिंह, (६) गोकुल, (७) कंचन, (८) लोटन, एवं (९) हाकिम सिंह के साथ वादी दौजीराम की तलाश में ग्राम पीतिपुरा गये और राम सिंह से दौजीराम के विषय में पूछा और उसके मना करने पर उसको गाली गलौज दी और उसके घर पर ईंट और पत्थर फेंके। मान प्रताप सिंह पुत्र रामसिंह घटनास्थल पर आया और इन लोगों ने इसे लाठियों से मारा तथा ग्रामवासियों के हस्तक्षेप पर वे भाग गये। इन लोगों ने बाद में बुद्धा और नत्था को स्वतंत्र कर दिया।

यह घटना अपराध नं० ६८ धारा ३९४/३४२/४५२ भा० द० विधान थाना शमशाबाद से संबंधित है जिसमें तफतीश के बाद फाइनल रिपोर्ट भेजी गई। जांच से यह ज्ञात हुआ कि चुनाव में पैदा हुई रंजिश के परिणामस्वरूप यह घटना घटी और इसकी रिपोर्ट बहुत बढ़ा-चढ़ा करके की गई। तफतीश से यह भी जान पड़ा है कि वादी दौजीराम उसके भाई नत्था एवं उसके भतीजे बुद्धा कथित अपराधियों के कर्जदार थे और इस संबंध में सिविल कोर्ट में मुकदमेबाजी हो रही है। इस पृष्ठभूमि में साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट भेज दी जिसको कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया।

२—दूसरी रिपोर्ट समय १२–३० बजे स्वयं राम सिंह निवासी ग्राम पीतिपुरा ने इसी घटना के संबंध में जिसका उल्लेख दौजीराम की रिपोर्ट में पहले ही आ चुका था। राम सिंह की रिपोर्ट पर यह घटना भा० द० ४६ धारा १४७/३२३ भा० दं० विधान पर दर्ज की गई किन्तु पैरा १०४ पुलिस रेगुलेशंस के अनुसार अदम तफतीश रखी गई।

दौजीराम ने समस्त अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें डी० आई० जी०, एस० एस० पी० और डी० एम० भी सम्मिलित हैं। उन प्रार्थना-पत्रों पर क्षेत्राधिकारी ने घटना-स्थल पर जांच की थी और इस संबंध में आवश्यक आदेश स० इ० को दिये थे। क्षेत्राधिकारी की जांच के पश्चात् ही दरियापत हाल के स्थान पर मुकदमा अपराध नं० ४ धारा १४७/३२३ भा० दं० वि० पर कायम हुआ था और तफतीश की गई थी। तफतीश के बाद इस मुकदमे में चार्जशीट लगाई गई। कुछ सबूत के गवाहों का बयान दिनांक २३–८–६२ को हुआ किन्तु कथित अपराधियों ने न्यायालय सेशन्स से स्टे-आर्डर प्राप्त कर लिये। अतः मुकदमा रोक दिया गया है। क्रम सं० २ पर उल्लिखित मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और उसमें पुलिस द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। क्रम १ पर उल्लिखित मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट (अंतिम रिपोर्ट) उपरोक्त कारणों से भेजी थी और यह न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

अपराध नं० ४६ धारा १४७/३२३ भा० दं० विधान निम्नलिखित अपराधियों के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजा गया था। यह मुकदमा सेशन कोर्ट के आदेशानुसार स्टे कर दिया गया है।

(१) बाबू लाल पुत्र शिव लाल, (२) रूतो, (३) भंवर सिंह, (४) भगवान सिंह पुत्र पोथी राम, (५) लोटन सिंह, (६) कंचन सिंह पुत्र बहादुर सिंह, (७) द्वारका पुत्र चिंजी लाल, (८) गोकुल सिंह पुत्र ग्यासी राम—निवासी ग्राम नगला जामनी भान, थाना शमशाबाद।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३० पर)

क्र०-सं०	मिल का नाम	स्थायी श्रमिकों की संख्या	एवजीदारों की संख्या	अस्थायी श्रमिकों की संख्या	अप्रेंटिसों की संख्या	ठेकेदारी के मजदूरों की संख्या	अप्रेंटिस रखने की योजना तथा उनके प्रशिक्षण की सुविधायें	अप्रेंटिसों के प्रशिक्षण की अवधि
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स कं० लिमि०, कानपुर।	२६८६	१८६५	५७	९५	—	कोई योजना नहीं	निश्चित नहीं
२	न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लिमि०, कानपुर।	४४५२	६७५	९६१	६२	—	"	पीवर्स ३ से ६ मास डाफर्स ३ मास इंजीनियरिंग वर्कशाप १ वर्ष
३	कानपुर टेक्सटाइल्स लिमि०, कानपुर।	१५७२	२६५	५७६	१	—		सामान्यतः ६ मास
४	म्योर मिल्स कं० लिमि०, कानपुर।	५७५९	७२२	५९०	—	१२१	"	"
५	जे० के० काटन मैनुफैक्चरर्स लिमि०, कानपुर।	१६०९	३६८	१८३	—	—	"	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मिल का नाम	स्थायी श्रमिकों की संख्या	एवजीदारों की संख्या	अस्थायी श्रमिकों की संख्या	अप्रेंटिसों की संख्या	ठेकेदारी के मजदूरों की संख्या	अप्रेंटिस रखने की योजना तथा उनके प्रशिक्षण की सुविधायें	अप्रेंटिसों के प्रशिक्षण की अवधि
१	२	३	४	५	६	७	८	९
६	जमुना वीविंग मिल्स, कानपुर	७	२	१७	—	—	,,	सामान्यतः ६ मा०
७	कुमार वीविंग ऐंड इंडस्ट्रियल वर्क्स, कानपुर।	१२	—	२	—	२	,,	,,
८	एलिगन मिल्स कं० लिमि० नं० १, कानपुर।	४६०८	१३६३	१०६३	३४	—	१—भारत सरकार की साइंटिफिक रिसर्च तथा कल्चरल स्टाइपेंड की योजना। २—इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यू० पी० की इन-प्लान्ट ट्रेनिंग योजना। ३—टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स, कानपुर वाराणसी, गौहाटी (आसाम) पंजाब तथा बिहार की योजना।	अप्रेंटिसों की योग्यता के अनुसार १ से ५ वर्ष।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

९	एल्गिन मिल्स कं० लिमि० नं० २, कानपुर ।	२७१३	१२१४	२७५	१६	— कोई योजना नहीं	सामान्यतः ६ मास जो और अधिक भी बढ़ाई जा सकती है ।
१०	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लिमि०, कानपुर ।	२९१३	६०३	—	४०७	लगभग २०० मिल की योजना (परिवर्तनीय) है	प्रथम ६ मास रु० १.५० प्रति दिन द्वितीय ६ मास १.७५ रु० प्रति दिन द्वितीय वर्ष २ रु० प्रति दिन इसके बाद काम सीख जाने पर ठेके पर रख लिया जाता है ।
११	स्वदेशी काटन मिल्स कं० लिमि०, कानपुर ।	७०१०	९३१	२८१८	२००	२३८ प्रबन्धकों द्वारा बनाई गई अप्रेंटिसशिप की योजना	सामान्यतः ६ मास परंतु चीफ लेबर आफिसर इसे घटा बढ़ा सकता है ।
१२	अर्थटन वेस्ट ऐंड कं० लिमि०, कानपुर ।	१९८१	१३६	३९१	२८	१२२ कोई योजना नहीं	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३१ पर)

मिल के काटन गोडाउन का निर्माण हो चुका है। मिल के मुख्य भवन तथा अन्य भवनों (Buildings) के निर्माण के लिए ठेका देना निश्चित किया जा चुका है।

मिल के एडहाक कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैं। वे २७ मार्च, १९५८ से है:—

१—निदेशक उद्योग	..	प्रेसीडेंट
२—श्री नवाब एजाज रसूल	..	सदस्य
३—श्री पी० सी० सक्सेना	..	सदस्य
४—श्री सी० पी० गुप्ता	..	सदस्य
५—श्री हयात मोहम्मद	..	सदस्य
६—श्री शफात अहमद	..	सदस्य
७—उप-निदेशक उद्योग (हथकरघा)	..	सेक्रेटरी
८—उप-निबन्धक (औद्योगिक समितियां)	..	सदस्य

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३२ पर)

तालिका

जिला भ्रष्टाचार निरोधक समिति, रायबरेली के विभिन्न अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन १३ शिकायती पत्रों का विवरण

विचाराधीन पत्रों की संख्या	अधिकारी जिनके समक्ष पत्र विचाराधीन हैं		दिनांक जब से विचाराधीन है।
६	सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, रायबरेली	..	१— ७-११-६१
			२— १२-१२-६१
			३— ३०-१२-६१
			४— २-४-६२
			५— ३-४-६२
			६— १९-४-६२
२	जिलाधीश, रायबरेली ..	..	१— २०-१२-६१
			२— ४-४-६२
१	खंडमंडलाधीश, डलमऊ, रायबरेली	..	४-६-६२
१	खंडमंडलाधीश, रायबरेली ..	..	२०-१२-६१
१	खंडमंडलाधीश, सलोन, रायबरेली	..	८-१-६२
१	चकबन्दी अधिकारी, रायबरेली	..	२-४-६२
१	अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, रायबरेली	..	१२-१२-६१

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३५ पर)

बीड़ी उद्योग कर्मचारी यूनियन, इलाहाबाद, के दिनांक ३ जुलाई, तथा २४ जुलाई, १९६२ के स्मृतिपत्रों में उल्लिखित मांगों तथा उनके विषय में स्थिति के विवरण की तालिका।

मांगें	स्थिति
१—सरकार द्वारा बीड़ी उद्योग के लिये वेज बोर्ड की नियुक्ति की जाय तथा बीड़ी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन २ रु० प्रति हजार दिया जाय।	वेज बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर ही किया जा सकता है। २ रु० प्रति हजार बीड़ी की दर से न्यूनतम वेतन निर्धारित करना अभी सम्भव नहीं है क्योंकि १ जून, १९६१ से लागू की गई १ रु० ५० न० पै० प्रति हजार बीड़ी की दर न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत नियुक्त की गई एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही निर्धारित की गई है।
२—अनुचित ढंग से बीड़ी रद्द करने तथा पत्तियों के दाम काटने आदि के संबंध में एक उच्च स्तरीय जांच समिति नियुक्त की जाय।	इस संबंध में ११ अप्रैल, १९६२ को अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, इलाहाबाद के समक्ष बीड़ी उद्योग के मालिकान एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मध्य हुए एक समझौते का पालन कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन अधिनियम में उच्च स्तरीय जांच समिति की नियुक्ति करने का कोई प्राविधान नहीं है।
३—बीड़ी कर्मचारियों को प्राविडेंट फंड, बोनस, ग्रेच्युटी, सालाना छुट्टी तथा ८ घंटे कार्य की सुविधा दी जाय।	बीड़ी कर्मचारियों पर लागू न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत प्राविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस तथा सालाना छुट्टी की कोई व्यवस्था न होने के कारण यह सुविधायें देना सम्भव नहीं है परन्तु कार्य के घंटे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा पहले ही निर्धारित किये जा चुके हैं।
४—ठेकेदारों का कमीशन २५ न० पै० प्रति हजार बीड़ी निर्धारित किया जाय तथा उन्हें कर्मचारी घोषित करके उनके कारखानों को ब्रांच आफिस समझा जाय।	न्यूनतम वेतन अधिनियम में दी हुई "श्रमिक" की परिभाषा में ठेकेदार नहीं आते। अतः इस मांग पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मांगें	स्थिति
५—सरकार इस प्रकार की उचित व्यवस्था करे कि सभी श्रमिकों को दिनांक १–६–६१ से निर्धारित वेतन की दर से भुगतान मिल सके।	श्रम निरीक्षकों द्वारा बीड़ी कारखानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा इस संबंध में कोई शिकायत मिलने पर भी आवश्यक जांच-पड़ताल की जाती है। यदि यूनियन के पास इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें हों तो उन्हें प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त इलाहाबाद को दें ताकि उन पर आवश्यक जांच पड़ताल की जा सके।

अध्यक्ष सभा पटल पर

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३८ पर)

तालिका

ऐडजु० केस (वाद) संख्या	एवार्ड की तिथि	पक्षों के नाम	आर० डी० केस नं०	आर० डी० केस तारीख	एवार्ड्स के इम्प्लीमेन्टेशन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही
१	२	३	४	५	६
(क) १८६/५६	८–५–१९५७	वर्कमैन बनाम कानपुर आयरन ब्रास ऐंड फ्लोर मिल्स, कानपुर।	१०/६०	२५–३–६२	सेवायोजकों ने पंच-निर्णय के विरुद्ध रिट दायर कर दी। हाई कोर्ट के ५–१–१९५९ के स्थगन आदेशानुसार पंच-निर्णय कार्यान्वित न किया जा सका और सेवायोजकों ने पंच-निर्णय के अधीन देय धनराशि का आधा तथा ५–१–१९५९ से आधा वेतन श्रमिक को भुगतान कर दिया है और उसे नौकरी पर वापस ले लिया है। हाई कोर्ट द्वारा रिट खारिज होने के बाद से सरकार द्वारा पंच-निर्णय पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।
(ख) ९५/५७	३०–१२–५७	वर्कमैन बनाम १—न्यू यू०पी० दाल मिल्स, कानपुर, २—गिरधारी लाल लक्ष्मण प्रसाद, कानपुर और ३—प्रकाश यू० पी० दाल मिल्स, कानपुर।	२२३/५८	२०–६–५८	सरकार द्वारा प्रयत्न करने पर भी सर्वश्री गिरधारी लाल लक्ष्मण प्रसाद ने पंच-निर्णय कार्यान्वित नहीं किया। फलतः उन पर मुकदमा चलाया गया जो अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है।

अनन्य प्रदेश विधान सभा

(ग) १२/५६	५-५-५६	वर्कमैन बनाम जे०के० काटन मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, कानपुर।	..	..	सेवायोजकों ने लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के १८-७-१९५६ के निर्णय द्वारा परिष्कृत एस० आई० टी० के अभिदेश वाद संख्या १२/५६ में पंच-निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया और इस के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। रिट खारिज होने के बाद श्रमिकों ने मिलने वाले रुपये की धनराशि निर्दिष्ट कराने के लिये श्रम न्यायालय (प्रथम) कानपुर को प्रार्थना-पत्र दिया जो अभी वहाँ विचाराधीन है। यह धनराशि निर्दिष्ट हो जाने पर पंच-निर्णय कार्यान्वित करने की दिशा में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
(घ) १२५/६०, ९८/६०	२०-१२-६०	वर्कमैन बनाम जगदीश रोलिंग वर्क्स, कानपुर। २६९/६१ २६८/३१	२६८/६१	१०-८-६१	पंच-निर्णयों के अनुसार संबंधित श्रमिक काम पर लिये गये। दोनों पक्षों के मध्य १६-४-६२ को हुये एक समझौते के अनुसार श्रमिकों को बेकारी के दिनों का मुआवजा भी भुगतान किया जा चुका है।
(ङ) मध्यस्थ वाद संख्या १/१९६०	२४-१-६१	"	२१४/६१	२२-७-६१	१९-१-६२ को मध्यस्थ निर्णय के अनुसार सेवायोजकों से ५०४.७२ रुपये वसूल करके संबंधित श्रमिक को भुगतान करने के लिये कलेक्टर कानपुर को वसूली का सर्टीफिकेट भेज दिया गया है जिस पर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३९ पर)

विवरण

दिनांक २९-७-६२ की रात्रि में थानाध्यक्ष घूरपुर तथा सब-इंस्पेक्टर इंचार्ज पुलिस चौकी अतरसुइया एक नकबजनी के मुकदमें की जांच के लिये जा रहे थे। रास्ते में एक मुखबिर द्वारा थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि २ व्यक्ति सायकिल से करछना आग्नेय शस्त्र बेचने जा रहे हैं। इस सूचना पर गवाहों को बुलाकर मुखबिर के इशारे से सायकिल पर आते हुए दोनों व्यक्तियों की, जिनका नाम लेखराम पुत्र सरजूदास उर्फ सरजू प्रसाद तथा सरजूदास उर्फ सरजूप्रसाद पुत्र बबोल, निवासी उमरी, थाना घूरपुर, जिला इलाहाबाद था, नहर के पुल पर जामा तलाशी ली गई। लेखराम की जामा तलाशी से एक देशी तमंचा बरामद हुआ। लेखराम ने बताया कि उसका पिता सरजू प्रसाद घर में देशी तमंचा बनाता है। इस आधार पर सरजू प्रसाद के घर की तलाशी ली गई तो १ देसी तमंचा, २ अधबने देसी तमंचे तथा आग्नेयास्त्र बनाने का कुछ सामान और कुछ औजार बरामद हुये। इस सम्बन्ध में एक मुकदमा धारा १९ (एफ), इंडियन आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत कायम किया गया तथा अभियुक्तों का चालान किया गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२५–१२७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४० पर)

घटना का विवरण

गोंडा नगर के वकील श्री लक्ष्मीनारायन शुक्ला दिनांक २९ जुलाई, १९६२ को चकबंदी से सम्बन्धित मुकदमे (अजमत बीबी बनाम राम औतार सिंह) में प्रतिवादी राम औतार सिंह की तरफ से पैरवी करने के लिये ग्राम मधवापुर, थाना वजीरगंज गये हुये थे। उस दिन लगभग ४ बजे शाम को बुद्धू खां व सलीम खां जो वादी श्रीमती अजमत बीबी के लड़के हैं, तथा ४–५ अन्य आदमियों ने लाठी से उन्हें चोट पहुंचाई।

२–श्री शुक्ल ने घटना की रिपोर्ट थाना नवाबगंज में दिनांक २९ जुलाई, १९६२ को ६–१० बजे शाम को दर्ज कराई जिसमें उन्होंने बुद्धू खां व सलीम खां को नामजद किया तथा शेष अभियुक्तों को देख कर पहचानने के लिये कहा। घटनास्थल थाना वजीरगंज के क्षेत्र का था। अतः नकल चिक थाना नवाबगंज से आवश्यक कार्यवाही के लिये थाना वजीरगंज भेज दी गई जहां एक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा १४७/३२३ के अन्तर्गत कायम हुआ और जांच प्रारम्भ हुई। चूंकि श्री शुक्ल को एक गम्भीर (ग्रीवस) चोट लगी थी अतः मुकदमा १४७/३२३ से धारा १४७/३२५ में परिणित कर दिया गया और इजाजत लेकर जांच प्रारम्भ की गई। जांच अभी हो रही है।

३––जांच के दौरान श्री शुक्ल ने राम शब्द का भी नाम बताया जो ग्राम शिवावख्तावर, डाकखाना हजारी थाना कोतवाली गोंडा का निवासी है। बुद्धू खां, सलीम खां और राम शब्द न्यायालय में हाजिर होकर जमानत पर छूटे हैं। शेष अभियुक्तों की खोज हो रही है।

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न २०० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५० पर)

तालिका

मन्त्रियों तथा उप-मंत्रियों द्वारा १० से २० अगस्त, १९६२ के बीच आगरा की यात्रा का विवरण ।

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	यात्रा का उद्देश्य सरकारी/गैर-सरकारी		व्यय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
				रु० न०पै०	
१	ठा० फूल सिंह, लघु उद्योग मंत्री	सरकारी	..	१०५.००	१०५ रु० रेलवे रिक्वीजीशन का व्यय है । टैक्सी का बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।
२	श्री धर्म सिंह, स्वास्थ्य उप-मंत्री ।	सरकारी	..	..	यात्रा भत्ते का बिल नहीं बना है ।
३	श्री शांति प्रपन्न शर्मा, विद्युत उप-मंत्री ।	सरकारी	..	६३.७५	..
४	श्री शिव प्रसाद गुप्ता, ग्राम तथा लघु उद्योग उप-मंत्री ।	सरकारी	..	६४.०६	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न २०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५१ पर)

बल्देवदास बाजौरिया अस्पताल, सहारनपुर के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री की मुआयना रिपोर्ट, तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण।

मुख्य मंत्री के पर्यवेक्षण	की गई कार्यवाही
१—अस्पताल के भवन को समान रूप देने के लिये पश्चिमी ब्लाक का निर्माण।	१—इस कार्य को अस्पताल के भवन के विस्तार (Further construction) के कार्य के साथ-साथ हाथ में लिया जायगा।
२—आपरेशन थियेटर में मोजेक (Mosaic) का फर्श।	२—अभी फर्श इस लायक नहीं कि यहां से संगमरमर हटा कर उसे मोजेक का बना दिया जाय, यह आवश्यकता ध्यान में रखी गई है और भविष्य में जब फर्श बदला जायगा तो उसे मोजेक का कर दिया जायगा।
३—औरथोपेडक टेबल की व्यवस्था।	३—इसकी व्यवस्था कर दी गई है।
४—नेत्र विभाग का उन्नतिकरण तथा वहां पर आपरेशन आदि के लिये स्टाफ तथा साधनों की व्यवस्था।	४—आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
५—बच्चों के वार्ड में बिजली के पंखों की व्यवस्था।	५—८ पंखे लगाये जा रहे हैं।
६—रक्त प्रक्षेपण (blood tansfusion) की व्यवस्था।	६—रक्त प्रक्षेपण का कार्य एक पैथोलोजिस्ट की देख-रेख में आरम्भ कर दिया गया है।
७—अस्पताल के पुस्तकालय के लिये पुस्तकों की व्यवस्था।	७—कुछ पुस्तकों की व्यवस्था कर दी गई है तथा कुछ और पुस्तकों का प्रबंध किया जा रहा है।

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २०९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५१ पर)

महासंघ का नाम	सम्बद्ध यूनियनों की संख्या	यूनियन के सदस्यों की संख्या
१—इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लखनऊ ।	१८३	७१,८०९
२—इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन, लखनऊ ।	५२	३०,३७२
३—यू०पी० इलेक्ट्रिक वर्कर्स फेडरेशन, लखनऊ।	८	२,७०१
४—यू०पी० टैक्सटाइल वर्कर्स फेडरेशन, कानपुर।	६	६,२६०
५—यू० पी० केन यूनियन्स इम्प्लाईज फेडरेशन, पीलीभीत।	१	६०
६—यू०पी० डिस्टलरी वर्कर्स फेडरेशन, लखनऊ।	७	७२४
७—हिन्दू मजदूर सभा, कानपुर ।	४६	२२,७५०
८—यू०पी० ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कानपुर।	५४	१३,८७५
९—यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कानपुर।	२५	९,२८०
१०—भारतीय मजदूर संघ, कानपुर ।	३७	२,८८५
११—इंडस्ट्रियल मजदूर फेडरेशन, यू०पी० कानपुर।	१३	३,१६७
१२—इंडस्ट्रियल वर्कर्स फेडरेशन, यू० पी०, मेरठ।	१३	२,२७७
१३—यू०पी० इंडस्ट्रियल मजदूर फेडरेशन, कानपुर।	१३	१,०६७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५३ पर)

विद्युत वितरण की दरें

गंगा ग्रिड तथा शारदा ग्रिड	१—रोशनी, पंखा तथा सड़कों की रोशनी।	३८ नये पैसे प्रति यूनिट
	यदि निर्धारित तिथि तक भुगतान किया गया तो ३ न० पै० प्रति यूनिट की छूट।	
	२—उद्योग कार्य के निमित्त जिसका अधिस्थापित भार १ किलोवाट से अधिक तथा २० किलोवाट से कम हो दर प्रत्येक बी० एच० पी० (B. H. P.) अधिस्थापित विद्युत् भार पर प्रथम १५० के०डब्लू०एच० (K. W. H.) प्रतिमास	१४ नये पैसे
	प्रति के०डब्लू० एच० मास की शेष खपत प्रति के०डब्लू०एच० (K.W.H.) उपरोक्त दर पर २ न० पै० प्रति के०डब्लू०एच० की छूट दी जायेगी यदि बिल का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जायगा।	१२ नये पैसे
पूर्वी क्षेत्र में जहां कि बिजली वाष्प विद्युत्गृह से दी जाती है।	१—रोशनी और पंखा, सात आने प्रति यूनिट निर्धारित तिथि तक भुगतान होने पर १ आना प्रति यूनिट की छूट।	
	२—उद्योग कार्यों के लिये	सवा तीन आने प्रति यूनिट
	निर्धारित तिथि तक भुगतान होने पर ३ पाई प्रति यूनिट की छूट दे दी जाती है।	

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५३ पर)

तालिका

यूनियन का नाम तथा प्रार्थना-पत्र की तिथि	वेतन और नौकरी की शर्तों से संबंधित मुख्य मांगें	कार्यवाही का विवरण
१—कैसा वर्कर्स यूनियन, कानपुर। २१-८-१९६१	(१) श्रमिकों के लिये मकानों का प्रबंध।	बेनाझाबर कालोनी में १०० मकान कैसा के श्रमिकों के लिये नियत किये गये हैं। अन्य मकानों के लिये राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा भूमि हस्तगत करने की कार्यवाही हो रही है।
	(२) वेतन ढांचे में संशोधन	लगभग ६७ श्रेणियों के श्रमिकों के वेतन-क्रम में परिवर्तन करने का प्रश्न स्थायी संराधन समिति के समक्ष विचाराधीन है।
	(३) बोनस	राज्य विद्युत् बोर्ड ने इस प्रश्न पर विचार किया और बोनस बढ़ाने में असमर्थता प्रकट की है।
	(४) ओवरटाइम वेतन दिया जाना।	यह प्रश्न राज्य विद्युत् बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है जिसमें कानूनी दृष्टि से छानबीन की जा रही है।
२—कानपुर बिजली मजदूर सभा, कानपुर अक्टूबर, १९६१।	श्रमिकों के वेतन क्रम में परिवर्तन के प्रार्थना-पत्र।	प्रार्थना-पत्र स्थायी संराधन समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये गये।
३—कैसा वर्कर्स यूनियन, कानपुर। २४-४-६२	(१) वेतन मंडल की नियुक्ति।	बड़े-बड़े उद्योगों के लिये वेतन मंडल साधारणतया भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इसलिये प्रादेशिक सरकार द्वारा कोई वेतनमंडल नियुक्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
	(२) श्रमिकों के लिये मकानों का प्रबंध।	स्थिति ऊपर इस मांग के सम्मुख अंतिम स्तम्भ में उल्लिखित है।
	(३) बोनस	स्थिति ऊपर इस मांग के सम्मुख अंतिम स्तम्भ में उल्लिखित है।
	(४) ओवरटाइम वेतन दिया जाना।	स्थिति ऊपर इस मांग के सम्मुख अंतिम स्तम्भ में उल्लिखित है।
	(५) प्राविडेंट फंड के पैसे का शीघ्र वितरण।	राज्य विद्युत् बोर्ड ने इस सम्बन्ध में जनरल मैनेजर कैसा को उचित आदेश दे दिये हैं।

यूनियन का नाम तथा प्रार्थना-पत्र की तिथि	वेतन और नौकरी की शर्तों से संबंधित मुख्य मांगें	कार्यवाही का विवरण
	(६) अस्थायी श्रमिकों का स्थायी किया जाना।	इस प्रतिष्ठान में अस्थायी श्रमिकों की संख्या नाममात्र है। वैसे स्थायी आदेशों में जो इस प्रतिष्ठान में लागू हैं। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि एक साल से अधिक काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों को स्थायी किया जाय।
	(७) आकस्मिक छुट्टी	इस सम्बन्ध में श्रमिकों की मांग राज्य विद्युत् बोर्ड के विचाराधीन है।
	(८) श्रमिकों को वर्दी देने का प्रश्न	श्रमिकों की यह मांग भी राज्य विद्युत् बोर्ड के विचाराधीन है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'म'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५५ पर)

List of letters received from Industrial Central Weavers Co-operative Union, Khalilabad and action taken thereon.

Sl. No.	and date No. of letters.		SUBJECT	ACTION TAKEN
1	2		3	4
1	1517	10-6-61	Regarding marketing of powerloom cloth and arrangement for running of the Yarn Preparatory Factory.	The apex society was persuaded to make purchases and had purchased cloth of Rs.5,000. The Union was also advised to sell the products through the established Trade channels and its contacts were established with a few cloth dealers. At a later stage it had appointed a selling agent.
2	1613	18-6-61	Regarding allotment of additional 66 power-looms in Khalilabad circle.	Additional looms have been allotted in Khalilabad Circle.
3	Nil.	1-7-61	Requesting for release of amount of Loan and Grant of power connection sanctioned under the Scheme.	The loan and Grant-in-aid have been paid.
4	Telegram	16-7-62	Informing that Technical Manager (P. L.) was not attending Factory since one month and work continuing without supervision.	The Technical Manager (P. L.) was asked to explain about his negligence in discharging his duties.
5	Nil.	29-7-61	Requesting for getting the amount of Rs.74,000 as loan for Working Capital released from U. P. Industrial Co-operative Association, Kanpur.	UPICA was requested to release the loan of Rs.74,000 for Working Capital and the amount was released by UPICA.
6	636	8-7-61	Requesting Deputy Registrar to visit Khalilabad in connection with power loom Scheme.	Suitable reply was sent to the Union by the Deputy Registrar and the Deputy Registrar visited Khalilabad in January, 1962.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7	574	30-8-61	Forwarded a copy of Resolution of Board of Directors regarding appointment of a Sizing Master for the Yarn Preparatory Factory.	The Union was advised to appoint an efficient and suitable Sizing Master for the Y. P. F. The Managing Director was also introduced to a competent Sizing Master of Kanpur but the Union failed to appoint him.
8	628	8-9-61	Requesting to move Hydel Department for giving power connection to the Amardhoba Societies.	Hydel authorities were moved to sanction and to give power connection to those societies. This has since been done.
9	Nil.	29-9-61	Expressing difficulties in running the Yarn Preparatory Factory and need of more working capital and requested for allotment of additional 66 powerlooms in Khalilabad.	Advised the Union vide letter No. 1178, dated 4th October, 1961 to appoint efficient technical staff to run the Factory. Regarding allotment of 66 powerlooms, the same was done.
10	970	28-10-61	Regarding organizing a Seminar on Zonal basis. ..	Informed by Deputy Registrar that the Seminar cannot be held due to paucity of field staff at present. The matter would be considered as and when necessary funds are available.
11	1008	3-11-61	Regarding realization of dues from Kargha Co-operative Society, Shohratgarh (Basti).	Advised by Deputy Registrar to file an arbitration against the Society.
12	1094	13-11-61	Sending resolution no. 10 proposing payment of Honorarium to the ex-Managing Director.	Informed Union that honorarium is not allowed under rules.
13	1155	28-11-61	Requesting for Grant of subsidy on the power consumption by the powerloom units.	Subsidy on power consumed by the powerloom units is now being paid to them in accordance with the provisions of Government Orders on the subject.
14	1557	28-11-61	Representing against the allotment of powerlooms to Vidhiyani Society of Khalilabad and requesting for cancellation thereof.	The application was considered. Since the Society's Office bearers assured to make arrangement for adequate funds for installation of looms, 14 Powerlooms were allotted which was in consonance with the rules.
15	1888	8-12-61	On the same subject as above.	As above.
16	1498-99	30-1-62	Requesting to help in the inauguration of the Powerloom Unit of Brahmachari Society.	The Unit was inaugurated by Smt. Sucheta Kripalani the then Vikas Mantri.
17	1640	3-3-62	Requesting to relax the condition of verifying the power subsidy bills by a Gazetted Officer.	The District Industries Officer, Basti, was requested to help the societies enabling them to submit their claims without any difficulty. The claims are now being paid to the Societies.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Sl. No. and date No. of letters			SUBJECT	ACTION TAKEN
1	2		3	4
18	1747	6-4-62	Regarding appointment of a competent Manager for the Union.	The Managing Director called on this office and was personally advised to make recruitment from the open market.
19	1768	9-4-62	Indicated that : (i) The Powerloom Scheme is deteriorating because of total apathy and in difference of the Technical Manager (PL) posted at Khalilabad and desired to take immediate steps in guidance and supervising their activities.	Instructions were issued to the field staff to exercise proper supervision.
			(ii) The factory is incurring loss as the same is not being run in full capacity and as such the Union was unable to repay the first instalment of loan.	The request could not be acceded to, as it was not possible under the rules on the subject.
20	1952	11-5-62	Requesting to make arrangements for the Cement for construction of powerloom sheds of certain societies.	The requirement of one wagon of cement was forwarded to the Aids Section for allotment which was recommended to P. I. S. C. who in turn recommended the case to the State Trading Corporation, New Delhi for issue of authorisation.
21	2005	23-5-62	On the same subject as above	
22	2235	17-6-62	On the same subject as above	
23	Resolution no. 9.	19-5-62	Requesting postponement of payment of the instalment due against loan given for the Yarn Preparatory Factory and Powerlooms.	The Union had agreed to pay instalments on the due dates but it has not yet repaid the loan instalment. The request for extension in the period of the payment of loan instalments could not be acceded to.
24	Resolution no. 10.	19-5-62	Requesting Deputy Registrar to approve the borrowing capacity to Rs.10.50 lacs as fixed by the Speial General Meeting of the Union on 15th July, 1961.	The matter was referred to Deputy Registrar. Since then the borrowing capacity of the Union was further revised in the Annual General Meeting. The same is under consideration of the Deputy Registrar for approval.

25	1194	13-6-62	Regarding permission by Sri Abdul Majid to seek Election for membership of the Board of Directors.	Reply sent telegraphically by Deputy Registrar allowing Sri Abdul Majid to seek Election.
26	45	10-7-62	Regarding Profit distribution of Union	The matter has been referred to the District Industries Officer, Basti, by the Deputy Registrar for comments.
27	47	10-7-62	Regarding Maximum borrowing capacity of the Union ...	
28	46	10-7-62	Regarding approval of members, elected in the Annual General Meeting for the Board of Directors.	Elected members approved except Sri Mohd. Ishaq.
29	Memorandum of the Union.		(1) Request for inauguration of a powerloom unit by Laghu Udyog Mantri. (2) Requested for a Working Capital of Rs.5,00,000 for running the factory. (3) The complaint against the Technical Manager (PL)..	The Union had already been informed to approach the Industrial Co-operative Bank or any other Bank for credit facilities. The request for nauguration s under consideration. The posts of the Technical Manager since kept in abeyance.
30	2183	16-6-62	Requesting A. D. I. (HL) to attend the Annual General Meeting of the Union on 23rd June, 1962 and to visit the Factory and suggest ways and means to run the factory	A. D. I. visited the Factory on 15th July, 1962, discussed the various problems of the Union and gave his suggestions to improve the working of the factory and powerlooms.
31	101 & 102	13-7-62	A D. O. letter addressed to A. D. I. (PL) requesting to help the Union in the appointment of Technical Staff for the Factory.	A. D. I. (PL) discussed the matter with the Managing Director of Tanda Central Weavers Co-operative Society which has also set-up the Yarn Preparatory Factory and already appointed a Sizing Master, who had agreed to spare him for a week every month to work at Khalilabad. The Union was advised to contact the Managing Director of Tanda Society if this arrangement may suit, settle the terms and conditions. The Union was also advised to appoint better technical staff in consultation with the Sizing Master from the open market.

नत्थी 'प'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५८ पर)

तहसील इगलास, जिला अलीगढ़, के उन लाइसेन्सदारों की सूची जिन्होंने बन्दूक का लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई धनराशि जमा नहीं की।

नाम

१—श्री पुरतमल पुत्र परमा लाल
२—श्री रोशन सिंह पुत्र सत्ता सिंह
३—श्री राम जी लाल पुत्र ठा० करन सिंह
४—श्री दाताराम पुत्र श्री जयन्ती प्रसाद
५—श्री अता उल्ला
६—श्री किशन प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री दलपत सिंह
७—श्री महावीर प्रसाद
८—श्री भगवन्त सिंह वकील
९—श्री चिरन्जीलाल पुत्र टीकाराम
१०—श्री चौबे सिंह पुत्र श्री मिहीलाल
११—श्री पन्ना सिंह पुत्र श्री शेर सिंह।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'फ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४१–४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६० पर)

४१—पिछले तीन वर्षों में चमोली व अन्य दो सीमान्त जिलों में निम्नलिखित धनराशि छात्रवृत्ति के लिये दी गई:—

जिला	छात्रवृत्ति के लिये स्वीकृत धनराशि		
	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६१–६२
१	२	३	४
चमोली	३७,७९८	६१,२९८	५९,४४८
पिथौरागढ़ ..	६०,७००	७६,७००	७९,३६४
उत्तरकाशी ..	२३,६६२	३४,५२६	३३,६८८
योग	१,२२,१६०	१,७२,५२४	१,७२,५००

४२—(अ) उत्तराखंड के विद्यालयों में पढ़ने वाले निर्धन व तेज विद्यार्थियों को पुस्तकों के लिये आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति निम्न रूप से दी जायगी :

(१) आधारिक विद्यालयों के छात्रों को आवश्यकतानुसार पुस्तकें निःशुल्क दी जायेंगी। उत्तराखंड में ऐसे १०५३ विद्यालय हैं। औसत तौर पर प्रत्येक विद्यालय में २० रु० की पुस्तकें दी जा सकेंगी और कम से कम ४, ५ विद्यार्थियों को हर विद्यालय में सहायता होगी।

(२) कक्षा ७ व ८ के छात्रों को हर जूनियर हाई स्कूल में हर कक्षा में एक-एक छात्र वृत्ति ५ रु० माह की दर से १२ माह के लिये दी जायगी। इससे २२० छात्रों को सहायता मिल सकेगी।

(३) कक्षा ९ व १० के लिये कला व विज्ञान के छात्रों की गणना अलग-अलग होगी और हर कक्षा में दो-दो छात्रवृत्ति १० रु० की दर से १२ माह के लिये दी जायगी। इससे १६८ छात्रों को सहायता मिल सकेगी।

(४) कक्षा ११ व १२ के छात्रों के लिये कला व विज्ञान की गणना अलग-अलग होगी और प्रत्येक कक्षा में तीन-तीन छात्रवृत्ति १६ रु० की दर से १२ माह के लिये दी जायगी। इससे ७८ छात्रों को सहायता मिल सकेगी।

(ब) उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ अभी उत्तराखंड में उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड के विद्यार्थी जो ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश की दूसरी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, उन्हें निम्न दर से ८ माह के लिये छात्रवृत्ति दी जायगी :

D. Phil, Ph. D.	५० रु० प्रति माह
M. Sc.	५० रु० प्रति माह
M.A., LL.M., M.Ed., M.S.W.	४० रु० प्रति माह

M. B. B. S., B. E. (Civil, Mechanical, Electrical, Technical.)	७५ रु० प्रति माह
B.V.A. Sc. B.Sc. (Ag.)	५० रु० प्रति माह
B.Sc.	४० रु० प्रति माह
B.A., LL.B., B.Com., B.T., L.T., Sanskrit Graduation Courses	३० रु० प्रति माह
Mechanical Engineering, I.T.I. Diploma	४० रु० प्रति माह
J. T. C., Assistant Master, H.T.C. Girls, Nursery Training, Home Science, Ayurvedic, Agriculture, Medical, Shorthand, Fitter, Draftsman, Stenographer, Arts and Crafts Diploma Courses	२५ रु० प्रति माह

(स) उत्तराखंड के छात्रों का मानसिक विकास व देश के विकास कार्यों से उनका सम्पर्क बढ़ाने के लिये प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व इन्टरमीडिएट कालेज में निम्न रूप से आर्थिक सहायता दी जायगी :

(१) कक्षा ९ व १० के छात्रों के लिये ५०० रु०

(२) कक्षा ११ व १२ के छात्रों के लिये ५०० रु०

(द) सन् १९६२-६३ में मद्वार इनका ब्यौरा निम्न रूप से है :

जिला	श्रेणी अ	श्रेणी ब	श्रेणी स	योग
१	२	३	४	५
चमोली ..	.. २४,४४८	३०,०००	५,०००	५९,४४८
पिथौरागढ़	.. ३०,३६४	४०,०००	९,०००	७९,३६४
उत्तरकाशी ..	.. १५,१८८	१५,०००	३,५००	३३,६८८
योग	.. ७०,०००	८५,०००	१७,५००	१,७२,५००

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री ।

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५५-५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६२ पर)

उन व्यक्तियों के नाम जिनके पास झांसी जिला में दिनांक ३१ जुलाई, सन् १९६२ तक रिवाल्वर के लाइसेंस थे—

(१) श्री राम साहब रामदास (२) श्री रावभान प्रताप सिंह (३) श्री कु० इन्द्रपाल सिंह (४) श्री सेठ शिवप्रसाद (५) श्री रघुनाथ सिंह (६) डा० शादीलाल दुबे (७) डा० बाहुबली कुमार (८) श्री एजेन्ट स्टेट बैंक शाखा ललितपुर (९) श्री जी० डी० पान्डे (१०) श्री रतन चन्द जैन (११) सेठ काशीनाथ (१२) श्री माहेश्वरी सिंह (१३) श्रीमती बेनी बाई (१४) श्री हर प्रसाद शर्मा (१५) श्री गोपालदास अग्रवाल (१६) श्री शिवप्रसाद श्रीवास्तव (१७) श्री बच्ची लाल गुप्ता (१८) श्री वेदनारायन दूबे (१९) श्री बैकुन्ठनारायन दुबे (२०) श्री हरदेव सिंह (२१) विश्वमित्र (२२) कुन्डेश्वर दयाल (२३) श्री महाराम दुबेदी (२४) श्री रघुराजसिंह (२५) श्री सज्जन सिंह (२६) महाराज कुमार्य ज्योत्सना (२७) श्री वीरेन्द्र सिंह (२८) श्री विश्वनाथ सिंह (२९) श्री रोशन सिंह (३०) श्री घनेन्द्र सिंह कटेरा (३१) श्री छोटे लाल सिघई (३२) श्री मुन्नी सिंह परिहार (३३) श्री दयाराम (३४) श्री राम सहाय (३५) श्री प्रभु दयाल सिघारिया (३६) श्री मर्दन सिंह (३७) श्री स्वामी स्वराज्यानन्द (३८) श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (३८) श्री सुन्दर लाल गुरुदेव (४०) डा० सुरेश चन्द्र शास्त्री (४१) पं० लखपत राम शर्मा (४२) श्री बोधराज साहनी (४३) आफीसर इंचार्ज इम्पीरीयल बक झांसी (४४) श्री एस० सी० चतुर्वेदी (४५) श्री सुन्दरलाल मेहरोत्रा (४६) श्री कृष्ण चन्द्र (४७) श्री लक्ष्मण दास (४८) डा० चिन्तामान भार्गव (४९) श्री नन्द गोपाल सूरी (५०) श्री भगत सिंह (५१) डा० टोम गुडिन्हो (५२) श्री राघेला जैसवाल (५३) श्री मनोहर लाल सूरी (५४) श्री भारतभूषण (५५) श्री मुन्नालाल वैश्य (५६) लाला श्याम सुन्दर लाल (५७) श्री विश्वामित्र (५८) श्री गज्जूराम (५९) श्री भगवान दास गुप्ता (६०) श्री थोमस एक्ट कोनीधम (६१) श्री भूवेन्द्र जोहर (६२) श्री राम स्वरूप गुप्ता (६२३) श्री जयगोपाल गुप्ता (६४) श्री राम दास राय (६५) श्री सच्चिदानन्द (६६) श्री आत्मा नरायन दुबे (६७) श्री तुलसी राम राय (६८) डा० बालकृष्ण (६९) लालता प्रसाद सक्सेना (७०) श्री सम्भूदयाल पटेल (७१) श्री भगवान दास साहू (७२) श्री रेवा शंकर (७३) डा० जी० डी० शर्मा (७४) श्री बिहारी लाल विशिष्ठि (७५) श्री नारायनसिंह (७६) श्री रामचरण साहु (७७) डा० विन्द्रावन लाल वर्मा (७८) श्री जयराम शर्मा (७९) श्री कुन्ज बिहारी लाल।

उन व्यक्तियों के नाम जिनको झांसी जिला में सन् १९५८ से दिसम्बर ६० तक रिवाल्वर के लाइसेंस दिये गये हैं।

(१) श्री रघुनाथ सिंह (२) ऐजेन्ट स्टेट बैंक शाखा ललितपुर (३) श्री जी० डी० पान्डे (४) सेठ शिव प्रसाद अग्रवाल (५) श्री रोशन सिंह (६) श्री मन्नी सिंह परिहार (७) श्री सुन्दर लाल गुरुदेव (८) श्री बृजेन्द्र कुमार शर्मा (९) श्री भारत भूषण (१०) श्री थोमस एवट कोनीधम (११) श्री राम दास राय (१२) श्री लालता प्रसाद सक्सेना (१३) श्री शम्भू दयाल पटेल (१४) भगवान दास साहू (१५) भूपेन्द्र जोहर।

नत्थी 'भ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६३ पर)

जितने व्यक्तियों को कर्ज दिया गया उसका विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष	कार्य जिसके लिये कर्ज दिया गया	व्यक्तियों की संख्या जिनको कर्ज दिया गया	कर्ज की धनराशि जो दी गई
१	२	३	४
१९५९–६० ..	कुआं ..	५६	२६,५५०.००
	रहट ..	२४	८,६७५.००
	ट्यूब वैल ..	२	५,९००.००
१९६०–६१ ..	कुआं ..	१६	७,६८९.००
	रहट ..	५	२,०००.००
	ट्यूब वैल ..	२	४,२००.००
१९६१–६२ ..	कुआं ..	८९	४५,९८०.००
	रहट ..	१०	३,९४०.००
	ट्यूब वैल ..	६	१९,५७०.००

जिन्होंने कार्य पूरा नहीं किया उनसे कर्ज का धन वसूल किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

व्यक्ति का नाम	ग्राम
सर्वश्री	
१—नन्हेलाल	दरागापुर
२—गुर चरन	दरागापुर
३—भैरों प्रसाद	सिलोटा
४—राम नारायण	बडन पुर
५—प्रदुम्न प्रसाद	बडन पुर
६—सीताराम	विदारां पारसपुर
७—दायम	सआदतगंज
८—शिवराज सिंह	बिदौरा
९—भगौती प्रसाद	महौली
१०—शीतल प्रसाद	पुरनिया
११—मो० मुबीन	नुहारी
१२—कृष्ण स्वरूप	लेन
१३—माता प्रसाद	अगानपुर
१४—भुलई	बहलबलपुर
१५—राम दर्शन	बिदौरा पारसपुर
१६—बिहारी लाल	सआदत गंज
१७—दुर्गा प्रसाद	बनौली कलां
१८—शीतल बख्श सिंह	अगानपुर

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १८८ एल० ए०—१९६२—८४५ (प्रो०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा